

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

मार्च-अप्रैल, 2015 सत्र

सोमवार, दिनांक 6 अप्रैल, 2015

तारांकित प्रश्नोत्तर

सरगुजा/सूरजपुर जिले के ग्रामों में बकाया विद्युत बिल की पूर्ति न किए जाने पर विद्युत विच्छेद की, की गई कार्यवाही

1. (*क्र. 2245) **श्री चिन्तामणी महाराज** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 1-1-2015 से 22-02-2015 के मध्य सरगुजा/सूरजपुर जिले के किन-किन गांव में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली बिल भुगतान न करने के कारण संपूर्ण बिजली काट दी गयी ? (ख) विद्युत सप्लाई काटने वाले ग्रामों में कुल कितना बिल लेना बकाया था ? कृपया ग्रामवार विकासखण्डवार जानकारी दें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) दिनांक 01-01-2015 से 22-02-2015 के मध्य सरगुजा व सूरजपुर जिले के क्रमशः 11 एवं 06 अर्थात् कुल 17 ग्रामों के उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिलों का भुगतान न करने के कारण छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उक्त ग्रामों की बिजली काटी गई थी. ग्रामवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) उत्तरांश “क” में संदर्भित 17 ग्रामों के उपभोक्ताओं से प्रश्नाधीन अवधि में राशि रुपये 1,07,36,587/- की वसूली बकाया है. जिलेवार, विकासखण्डवार एवं ग्रामवार बकाया राशि का विवरण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो द्वारा मारे गये छापे में प्राप्त संपत्ति/राशि

2. (*क्र. 2567) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के यहां मारे गये छापे में किसके-किसके पास से कितनी-कितनी राशि एवं अन्य संपत्ति प्राप्त हुई है ? (ख) उपरोक्त “क” वर्णित अधिकारियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के यहां मारे गये छापे में कुल राशि रुपये 7,18,43,200/- नगद तथा रुपये 2,16,17,261/- मूल्य की अन्य सम्पत्ति प्राप्त हुई है. जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में है. (ख) कंडिका “क” में वर्णित अधिकारियों में से 04 अधिकारियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है. जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में है.

मानपुर-मोहला विधान सभा क्षेत्र में वन मार्ग की स्वीकृति

3. (*क्र. 1369) **श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मानपुर-मोहला विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत खड़गांव लौह अयस्क खदान किस कम्पनी को आवंटित की गई है ? (ख) क्या प्रश्नांश “क” में आवंटित कंपनी द्वारा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली से वन मार्ग हेतु स्वीकृति ली गई है ? (ग) यदि नहीं तो, वन क्षेत्र में मार्ग किस आदेश के तहत बनाया जा रहा है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) राजनांदागांव जिले के राजनांदागांव वन मंडल अंतर्गत मानपुर-मोहला विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत खड़गांव वन क्षेत्र में मेसर्स गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लि. रायपुर एवं मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल लि. रायपुर (रायपुर एलायज) को लौह अयस्क उत्खनन की स्वीकृति दी गई है. (ख) जी नहीं. (ग) उक्त वन क्षेत्र में कोई मार्ग नहीं बनाया जा रहा है.

साजा विधान सभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

4. (*क्र. 2974) **श्री लाभचंद बाफना** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) साजा विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? इनमें से कितने आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवन में तथा कितने आंगनबाड़ी केन्द्र अन्य भवनों में संचालित हैं ? विकासखण्डवार जानकारी दें। (ख) इन आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषक आहारों में क्या-क्या वितरण किया जाता है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) कुल 407 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। इनमें से 256 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवन में तथा 151 आंगनबाड़ी केन्द्र अन्य भवनों में संचालित है। विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है। (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है।

सक्ती विधान सभा क्षेत्र में पुल-पुलिया एवं सड़क निर्माण की स्थिति

5. (*क्र. 2903) **डॉ. खिलावन साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सक्ती विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2011-2012 से फरवरी, 2015 तक वन विभाग द्वारा कहां-कहां पुल-पुलिया एवं सड़क का निर्माण कितनी-कितनी लागत से किया गया है ? (ख) कितने निर्माण कार्य पूर्ण एवं कितने अपूर्ण हैं ? यदि अपूर्ण है तो इसके क्या कारण हैं ? (ग) अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण होंगे ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) सक्ती विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2011-12 से फरवरी 2015 तक वन विभाग द्वारा पुल-पुलिया का निर्माण नहीं किया गया है। नगरदा से घुईचुंवा मिट्टी सड़क निर्माण कार्य 16.61 लाख रुपये की लागत से कराया गया है। (ख) एक ही सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत है जो अपूर्ण है। जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा से स्वीकृत राशि 33.10 लाख के विरुद्ध 16.61 लाख की राशि प्राप्त हुई है। शेष राशि प्राप्त न होने से निर्माण कार्य अपूर्ण है। (ग) जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा से राशि प्राप्त होने के पश्चात कार्य पूर्ण हो सकेगा।

कृषकों के सिंचाई पंपों के विद्युतीकरण के लंबित प्रकरण

6. (*क्र. 111) **श्री लखन देवांगन** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कृषकों के सिंचाई पंपों के विद्युतीकरण के कितने प्रकरण लंबित हैं ? (ख) लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक किया जावेगा ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) प्रदेश में दिनांक 28-02-2015 की स्थिति में कृषकों के सिंचाई पम्प विद्युतीकरण के लंबित 17,315 प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	लंबित रहने का कारण	संख्या
1.	प्राक्कलन स्वीकृति लंबित	3,616
2.	कृषकों द्वारा औपचारिकता पूर्ण नहीं करने के कारण.	5,053
3.	लाईन विस्तार की आवश्यकता के कारण	8,646
योग (1+2+3)		17,315

(ख) लंबित प्रकरणों का निराकरण यथाशीघ्र करने का प्रयास है।

जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में सीमेंट उद्योगों द्वारा सी.एस.आर. मद में व्यय राशि

7. (*क्र. 2983) **श्री शिवरतन शर्मा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में स्थापित उद्योगों से सी.एस.आर. मद में राशि खर्च करने हेतु शासन ने क्या मापदंड निर्धारित किये हैं ? (ख) बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में स्थापित सीमेंट उद्योगों द्वारा 2012-13, 2013-14 व 2014-15 में इस मद से कहां-कहां, किस-किस, कार्य में कितनी-कितनी राशि खर्च की गई ? उद्योगवार जानकारी दें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) राज्य शासन द्वारा “निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति 2013” लागू की गई थी. भारत सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रावधान किये जाने के कारण राज्य की नीति के स्थान पर कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान लागू हैं जो निम्नानुसार है :—“कंपनी अधिनियम 2013” की धारा 135 के अनुसार 01-04-2014 से कंपनियों को निम्नानुसार स्थितियों में पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत सी.एस.आर. में करना है.

- अ- नेटवर्थ रु. 500 करोड़ या अधिक हो, अथवा
 ब- टर्न ओवर रु. 1000 करोड़ या अधिक हो अथवा
 स- शुद्ध लाभ रु. 5 करोड़ या अधिक हो.

(ख) जिला बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत स्थापित सीमेंट संयंत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सी.एस.आर. के तहत् व्यय की गई राशि की वर्षवार, कार्यवार तथा स्थलवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है.

गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न पेंशन के स्वीकृत/लंबित प्रकरण

8. (*क्र. 332) **श्री राजेन्द्र कुमार राय** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 05 वर्षों में गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन व विकलांग पेंशन के कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ? (ख) कितने प्रकरण स्वीकृत हुए हैं, कितने लंबित हैं ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र में विगत 05 वर्षों में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या निम्नानुसार है :—

क्रमांक	योजना का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या
1.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	543
2.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	1956
3.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना	67
योग		2566

(ख) स्वीकृत एवं लंबित प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार है :—

क्रमांक	योजना का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या	लंबित प्रकरण
1.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	427	निरंक
2.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	712	निरंक
3.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना	31	निरंक
योग		1170	

पानाबरस परियोजना मण्डल में अवैध कटाई के दर्ज प्रकरण

9. (*क्र. 2977) **श्री भोलाराम साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले के अंतर्गत पानाबरस परियोजना मण्डल द्वारा वर्ष 2014-15 में 06 फरवरी, 2015 तक कितने कृषि/वन भूमि में अवैध कटाई के प्रकरण दर्ज किये गये हैं ? (ख) उक्त अवधि में कितनी गाड़ियों को राजसात किया गया एवं कितने व्यक्तियों के ऊपर कौन-कौन सी प्रजाति की लकड़ी कटाई के विरुद्ध कितना-कितना जुर्माना किया गया ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) राजनांदगांव जिले के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के पानाबरस परियोजना मण्डल द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में वनों के अवैध कटाई के 509 प्रकरण दर्ज किये गये, विवरण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में कोई भी वाहन राजसात नहीं किया गया, तथापि व्यक्तियों, लकड़ी कटाई, वसूल किये गये जुर्माने की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

बिल्हा विधान सभा क्षेत्र में विस्फोटक सामग्री भण्डारण की प्रदत्त अनुज्ञप्ति

10. (*क्र. 2525) **श्री सियाराम कौशिक** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित किनती डोलोमोईट खदानों के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विस्फोटक सामग्री भण्डारण की अनुज्ञप्ति ली गई है ? भण्डारित भूमि के जानकारी सहित विवरण देंगे ? (ख) क्या खदान में प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा विस्फोट किया जाता है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित 17 डोलोमाईट खनिज के समस्त खनिपट्टाधारियों द्वारा विस्फोटक लायसेंस ली गई है. विस्फोटक सामग्री हेतु भण्डारित भूमि की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम नंबर-06 पर दर्शित है. (ख) जी हां. उपरोक्त खदानों में प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा विस्फोट किया जाता है.

जिला कोरबा में सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिवार को क्षति पूर्ति राशि का भुगतान

11. (*क्र. 2768) **श्री रामदयाल उड़के** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा जिले के विभिन्न थानांतर्गत हुये सड़क दुर्घटना में दिनांक 01 जनवरी, 2014 से 28 जनवरी, 2015 में मृतक के परिवार को कितनी-कितनी क्षतिपूर्ति राशि दी गई है, तथा कितने को भुगतान देना शेष है ? (ख) लंबित क्षतिपूर्ति का भुगतान कब तक दिया जावेगा ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) कोरबा जिले के विभिन्न थानांतर्गत सड़क दुर्घटना में दिनांक 01 जनवरी, 2014 से 28 जनवरी, 2015 में मृतक परिवार के निकटतम वारिसों को रुपये 4,25,000/- (रुपये चार लाख पच्चीस हजार मात्र) क्षतिपूर्ति राशि दी गई है. 21 मृतक परिवार के वारिसों को भुगतान होना शेष है. जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ”, “ब” एवं “स” में है. (ख) लंबित क्षतिपूर्ति का भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

जिला जांजगीर-चांपा में रेडी-टू-ईट योजना के तहत पूरक पोषक आहार की गुणवत्ता की जांच

12. (*क्र. 2941) **श्री केशव चन्द्रा** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा के अंतर्गत रेडी-टू-ईट योजना के तहत पूरक पोषक आहार बनाये जाने हेतु किन-किन स्व सहायता समूहों को कब से कार्य आवंटित किया गया है ? विधान सभा क्षेत्रवार बतायें ? (ख) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित पूरक पोषण आहार की गुणवत्ता की जांच हेतु वर्ष 2012-2013, 2013-2014 एवं 2014-2015 में कितने सैंपल लिये गये ? गुणवत्ताहीन पाये जाने पर किन-किन समूहों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (ग) विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर में उक्त अवधि में रेडी-टू-ईट के एवज में कुल कितना भुगतान किया गया है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) जिला जांजगीर-चांपा में 79 महिला स्व सहायता समूहों द्वारा रेडी-टू-ईट फूड निर्माण एवं प्रदाय का कार्य किया जा रहा है. समूहवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) वर्ष 2012-2013 में 20 नमूने, वर्ष 2013-14 में 24 नमूने एवं वर्ष 2014-2015 में 33 नमूने परीक्षण हेतु भेजे गये. जिसमें से वर्ष 2012-13 में 19 नमूनों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जो गुणवत्ता मापदंड के अनुरूप पाये गये. वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में प्रेषित नमूनों के परीक्षण रिपोर्ट अप्राप्त है. अतः कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है. (ग) प्रश्नाधीन अवधि में रेडी-टू-ईट फूड के देयकों का कुल राशि रुपये 8,40,97,464/- का भुगतान किया गया है.

बेमेतरा जिला में वन विकास निगम को आवंटित एवं व्यय राशि

13. (*क्र. 2984) **श्री अवधेश सिंह चंदेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2012-13 से 2014-15 (28 फरवरी तक) में छत्तीसगढ़ वन विकास निगम को बेमेतरा जिला में कुल कितना आय किस-किस मद से प्राप्त हुई, तथा कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई ? वर्षवार जानकारी दें. (ख) उक्त अवधि में छत्तीसगढ़ वन विकास निगम द्वारा बेमेतरा जिला में वृक्षारोपण कार्य, अनुरक्षण कार्य, आग से बचाव के कार्य कहां-कहां, कितनी-कितनी राशि के कराए गए ? विकासखण्डवार जानकारी दें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) छत्तीसगढ़ वन विकास निगम को बेमेतरा जिला में प्रश्नाधीन अवधि में कोई आय नहीं हुई, तथापि उक्त अवधि में हरियर छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के तहत विभिन्न औद्योगिक संस्थानों से प्राप्त राशि से किये गये रोपण कार्य पर हुए व्यय का विवरण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

जांजगीर-चांपा में वनों की कटाई एवं वनीकरण

14. (*क्र. 2955) **श्री मोतीलाल देवांगन** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले में 2010-11 से 12-3-2015 तक विभाग एवं वन विकास निगम के द्वारा किये गए वनों की कटाई एवं वनीकरण का क्षेत्रफल कितना है ? (ख) उक्त अवधि में किये गये वनीकरण में से वर्तमान में जीवित पौधों की संख्या कितनी है ? (ग) उक्त अवधि में अवैध वन कटाई के कितने प्रकरणों में क्या-क्या कार्यवाहियां की गई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जांजगीर-चांपा जिले में वर्ष 2010-11 से 12-3-2015 तक विभाग एवं वन विकास निगम द्वारा वनों की कटाई नहीं की गई है. वनीकरण की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) उक्त अवधि में किये गये वनीकरण में से वर्तमान में जीवित पौधों की संख्या † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ग) उक्त अवधि में दर्ज अवैध वन कटाई के कुल 101 प्रकरणों में से 93 प्रकरण अभिसंधानित किये गये एवं शेष 08 प्रकरणों में जांच की जा रही है ?

प्रदेश में वन क्षेत्र में कमी

15. (*क्र. 2980) **श्री उमेश पटेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2012-13 से वर्ष 2014-15 तक प्रदेश के कुल कितने वन क्षेत्रफल में कमी आई है ? जिलेवार वन क्षेत्रफल में कमी की जानकारी दें. (ख) प्रश्नांकित अवधि तक वन क्षेत्र में कमी किन-किन कारणों से हुई है ? इसकी पूर्ति हेतु कितने क्षेत्रफल में पौधे रोपे गए हैं ? (ग) प्रदेश सरकार द्वारा वन क्षेत्रफल बढ़ाने एवं प्रदेश में वनों के संरक्षण हेतु क्या-क्या उपाय एवं योजना क्रियान्वित की गई है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

अंतागढ़ विधान सभा क्षेत्र में पेंशन वितरण

16. (*क्र. 2530) **श्री भोजराज नाग** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अंतागढ़ विधान सभा क्षेत्र में कितनी पंचायतों में निराश्रित पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा परित्यक्ता पेंशन विकलांगता पेंशन दिया जा रहा है ? (ख) कितनी पंचायतों में विगत एक वर्ष से शासन द्वारा दी जा रही पेंशनों का वितरण नहीं हो पाया है ? विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) अंतागढ़ विधान सभा क्षेत्र के 145 ग्राम पंचायतों में सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है. (ख) विगत एक वर्ष से किसी भी पंचायत में पेंशन भुगतान लंबित नहीं है. प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

बलरामपुर जिले अंतर्गत श्रमिकों को प्रदत्त सामग्री

17. (*क्र. 2932) **डॉ. प्रीतम राम** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलरामपुर जिले के अंतर्गत असंगठित कर्मकार मण्डल द्वारा असंगठित कर्मकार योजना अंतर्गत श्रमिकों को 01 अप्रैल, 2012 से 10 मार्च, 2015 तक क्या-क्या सामग्री प्रदाय की गई है ? (ख) छ.ग. राज्य सन्निर्माण एवं कर्मकार मण्डल द्वारा बलरामपुर जिले में कितने निर्माण श्रमिकों को लाभान्वित किया जावेगा ? वित्तीय वर्ष 2015-16 में लक्ष्य क्या है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) बलरामपुर जिले के अंतर्गत छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत 01 अप्रैल 2012 से 10 मार्च 2015 तक 540 सायकल एवं 500 सिलाई मशीन प्रदाय की गई है. (ख) छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा बलरामपुर जिले में निर्माण श्रमिकों को योजनाओं के अंतर्गत नियमानुसार लाभान्वित किया जावेगा. वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है.

सरगुजा वन वृत्त में एन.जी.ओ. द्वारा कराए गए जनहित व वन सुधार के कार्य

18. (*क्र. 604) **श्री अमरजीत भगत** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरगुजा वन वृत्त के अंतर्गत विभिन्न वन परिक्षेत्रों में जनहित व वन सुधार कार्यक्रम के तहत वर्ष 2013-14 व 2014-15 में किन-किन एनजीओ (सामाजिक संस्थाओं) के द्वारा कितने कार्य करवाये गये ? (ख) क्या संस्थाओं (एनजीओ) द्वारा कराये गये कार्य पूर्ण हो चुके हैं व किन-किन संस्थाओं को कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों के लिए उपलब्ध कराई गई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) सरगुजा वनवृत्त के अंतर्गत सरगुजा वनमंडल के सीतापुर परिक्षेत्र में ग्रीन इंडिया मिशन योजना के तहत वर्ष 2013-14 में वन आस्था जन विकास सेवा समिति, अंबिकापुर के द्वारा वन प्रबंधन समितियों के माईक्रोप्लान, प्रास्पेक्टिव प्लान, आजिविका कार्य प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार का कार्य कराया गया है. वर्ष 2014-15 में एन.जी.ओ. के माध्यम से वन सुधार अथवा जनहित का कोई कार्य नहीं कराया गया है. (ख) जी हां, उक्त संस्था द्वारा कराये गये कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं संस्था को कार्यवार उपलब्ध कराई गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	कार्य का नाम	उपलब्ध कराई गई राशि (रु. लाख में)
1.	माईक्रोप्लान	1.10
2.	प्रास्पेक्टिव प्लान	6.00
3.	प्रचार-प्रसार	2.00
4.	आजिविका के कार्य	11.99
योग		21.09

मनगटा वन चेतना केन्द्र हेतु स्वीकृत एवं व्यय राशि

19. (*क्र. 2961) **श्री गिरवर जंघेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 13वें वित्त आयोग से वन चेतना केन्द्र मनगटा (मुढीपार) राजनांदगांव वनमंडल को सत्र 2013-14 एवं 2014-15 में 28 फरवरी तक कितनी राशि स्वीकृत की गई है ? (ख) स्वीकृत राशि का उपयोग किस-किस मद में किया गया ? मदवार व्यय की जानकारी दें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) 13वें वित्त आयोग से वन चेतना केन्द्र मनगटा (मुढीपार) राजनांदगांव वनमंडल को वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में 28 फरवरी तक राशि रुपये 252.23 लाख स्वीकृत की गई है. (ख) स्वीकृत राशि का उपयोग 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा 48-2406-4406-7461-1301, 1302 एवं 1303 मद के अंतर्गत किया गया है, जिससे चेनलिंग फेंसिंग कार्य मद में 182.16 लाख रुपये व्यय किया गया. स्कूल, कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण मद में 22.72 लाख, लैंटाना उन्मूलन कार्य मद में 7.38 लाख एवं स्टॉपडेम निर्माण मद में 6.90 लाख व्यय किया गया है.

गरियाबंद जिला अंतर्गत कार्यरत एन. जी. ओ. को किया गया भुगतान

20. (*क्र. 2862) **श्री संतोष उपाध्याय** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरियाबंद जिला अंतर्गत वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में 10 मार्च, 2015 तक कौन-कौन से एनजीओ, महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु कार्यरत हैं ? एनजीओ के नाम संचालक/सदस्यों के नाम एवं रजिस्ट्रेशन दिनांक सहित जानकारी उपलब्ध कराये ? (ख) कंडिका (क) के एनजीओ को कितना-कितना भुगतान कब-कब किया गया ? (ग) क्या उपरोक्त एनजीओ को दिये गये कार्यों की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी ? यदि हां तो, नियमानुसार कार्य नहीं करने वाले एनजीओ पर क्या कार्यवाही की गई ? कृपया नाम सहित जानकारी दें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) गरियाबंद जिला अंतर्गत वर्ष 2012-13 में विभाग द्वारा संचालित नवाजतन योजना अंतर्गत कार्यरत संस्थाओं का विवरण † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कार्यरत एनजीओ की जानकारी निरंक है. (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ग) जी हां. संबंधित संस्थाओं को उनके कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर ही भुगतान किया गया है. सामाजिक चेतना मंच एनजीओ के द्वारा योजना अंतर्गत कार्य नहीं करने के कारण भुगतान नहीं किया गया.

जिला राजनांदगांव में वन विभाग द्वारा डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों का निर्माण

21. (*क्र. 2965) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वन विभाग द्वारा राजनांदगांव जिले के अंतर्गत 41—4342 सड़क व भवन बजट मद योजना से सड़क व भवन कार्य, डब्ल्यू.बी.एम. वन मार्ग कहां-कहां, कितनी-कितनी लागत से कितनी लम्बाई तक स्वीकृत किया गया ? वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 का विवरण बतावें ? (ख) इस योजना के तहत डब्ल्यू.बी.एम. सीतागोटा से कन्हारटोला, रामजीटोला से कौहापानी में उपयोग में लाए जा रहे निर्माण सामग्री गिट्टी व मुरूम किस खदान से कितने कि.मी. से लाया जा रहा है ? खदान की रायल्टी राशि सहित बतावें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) राजनांदगांव जिले के अंतर्गत 41—4342 सड़क व भवन बजट मद योजना से सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है. इस मद से स्वीकृत भवन एवं डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग से संबंधित वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 का स्थलवार स्वीकृत कार्य एवं लागत का विवरण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) प्रश्नांश “क” की योजना के तहत सीतागोटा से कन्हारटोला, रामजीटोला से कौहापानी में डब्ल्यू.बी.एम. निर्माण हेतु गिट्टी एवं मुरूम का संग्रहण स्थानीय क्षेत्र से कराया जा रहा है. अतः खदान से दूरी या खदान की रायल्टी का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

विधान सभा क्षेत्र अहिवारा के औद्योगिक संस्थाओं में कार्यरत श्रमिकों के मृत्यु पर प्रदत्त मुआवजा एवं अनुकम्पा नियुक्ति

22. (*क्र. 1588) **राजमहंत सांवला राम डाहरे** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र अहिवारा के विभिन्न निजी औद्योगिक संस्थाओं में वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में कुल कितने-कितने श्रमिकों की विभिन्न दुर्घटनाओं में मौत हुई है ? (ख) कितने-कितने श्रमिकों के परिजनों को मुआवजा राशि एवं अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई है. (ग) कितने मृत श्रमिकों के परिजनों को रोजगार नहीं दिया गया है ? (घ) कितने संस्थाओं में किन-किन जिम्मेदार लोगों पर अपराधिक प्रकरण दर्ज किये गये हैं ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) विधान सभा क्षेत्र अहिवारा के विभिन्न निजी औद्योगिक संस्थाओं में वर्ष 2012-13 में 02, 2013-14 में 06 एवं 2014-15 में 02 कुल-10 श्रमिकों की विभिन्न दुर्घटनाओं में मौत हुई है. (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. (ग) मृत श्रमिकों के परिजनों को रोजगार नहीं दिया गया. (घ) 10 संस्थानों में जिम्मेदार लोगों पर अपराधिक प्रकरण दर्ज की गई है. विस्तृत जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” पर है.

अचानकमार टाइगर रिजर्व में पानी संग्रहण हेतु एनीकट निर्माण

23. (*क्र. 1393) **डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत पांच वर्षों में अचानकमार टाइगर रिजर्व में पानी संग्रहण हेतु कितने एनीकट निर्माण किये गये ? (ख) अचानकमार टाइगर रिजर्व में अनुमानित शेरों की कितनी संख्या है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) प्रश्नांश अवधि में अचानकमार टाइगर रिजर्व में पानी संग्रहण हेतु 1 नग एनीकट का निर्माण किया गया है. (ख) अचानकमार टाइगर रिजर्व बिलासपुर के अंतर्गत वर्ष 2010 में भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून के आंकलन प्रतिवेदन अनुसार 11 से 13 बाघ पाये जाने का अनुमान है. वर्ष 2014 में संपन्न किये भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून के बाघ आंकलन प्रतिवेदन के अनुसार प्रदेश में 46 बाघ आंकलित किये गये हैं. भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून से विस्तृत रिपोर्ट अप्राप्त है.

बलरामपुर जिला अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

24. (*क्र. 2919) **श्री बृहस्पति सिंह** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बलरामपुर अंतर्गत कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है ? कितने केन्द्रों में रेडी-टू-ईट संचालित है ? कितने स्व सहायता समूह द्वारा संचालित किये जा रहे हैं ? (ख) प्रश्नांश “क” के संबंध में कितने स्व सहायता समूह के पास रेडी-टू-ईट बनाने की मशीन लगी है ? (ग) क्या रेडी-टू-ईट बनाने वाली स्व सहायता समूहों की जांच विभाग द्वारा की जाती है ? यदि हां तो, वर्ष 2014-15 में 11-03-2015 तक कब-कब किस स्तर के अधिकारी द्वारा की गई है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) जिला बिलासपुर अंतर्गत 1647 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है एवं इन सभी संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में 75 महिला स्व सहायता समूहों द्वारा रेडी-टू-ईट फूड का प्रदाय किया जा रहा है. (ख) सभी 75 महिला स्व सहायता समूहों के पास मशीन लगी है. (ग) जी हां. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है.

निजी विद्युत उत्पादक कंपनी/संयंत्रों से विद्युत खरीदी

25. (*क्र. 2915) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 10 मार्च, 2015 की स्थिति में किन-किन कोलबेस/बायोमॉस आधारित निजी विद्युत कंपनी/संयंत्रों से कितनी-कितनी मात्रा में, किस-किस दर पर विद्युत खरीदी की जा रही है ? (ख) कंडिका “क” की कंपनियों से कब-कब अनुबंध किया गया ? अनुबंध कितनी अवधि के लिये है ? (ग) कंडिका “क” की कंपनियों को वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में विद्युत खरीदी के एवज में कितनी-कितनी राशि भुगतान की गई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग/वितरण कंपनी द्वारा कोलबेस/बायोमॉस आधारित निजी विद्युत कंपनी/संयंत्रों के साथ निष्पादित अनुबंध के अधीन 10 मार्च, 2015 को कंपनीवार क्रय की गई बिजली की मात्रा एवं दर का विवरण † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. (ख) उत्तरांश (क) में उल्लेखित कंपनियों के साथ निष्पादित अनुबंध की तारीख एवं अनुबंध की प्रभावशील अवधि † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है. (ग) उत्तरांश (क) में उल्लेखित कंपनियों के साथ वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में क्रय की गई विद्युत के लिये किये गये भुगतान का कंपनीवार विवरण † संलग्न प्रपत्र “स” में दर्शित है.

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

सरगुजा-कोरिया जिला में कैम्पा मद से आवंटित राशि

1. (क्र. 606) श्री अमरजीत भगत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरगुजा-कोरिया जिले हेतु कैम्पा मद के तहत कुल कितनी राशि वर्ष 2011 से 31 दिसम्बर 2014 तक स्वीकृत की गई ? वर्षवार जानकारी देवें ? (ख) कंडिका “क” के तहत स्वीकृत राशि से कितने कार्य आरंभ किए गये तथा कितने आरंभ नहीं हो पाये ? (ग) क्या कंडिका “ख” के तहत स्वीकृत कार्यों में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां तो उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (घ) क्या कैम्पा मद की राशि को अन्य मद में व्यय किया गया है ? यदि हां तो किन नियमों के तहत तथा इस हेतु कौन-कौन जिम्मेदार है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) सरगुजा एवं कोरिया जिले हेतु कैम्पा मद के तहत वर्ष 2011 से 31 दिसम्बर 2014 तक स्वीकृत राशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष	जिलेवार स्वीकृत राशि (रु. लाख में)		
	सरगुजा	कोरिया	योग
(1)	(2)	(3)	(4)
2011	225.98	857.82	1083.80
2012	31.13	728.56	759.69
2013	750.56	905.82	1656.38
2014	668.30	1135.61	1803.91
योग	1675.97	3627.81	5303.78

(ख) प्रश्नांश “क” के तहत स्वीकृत समस्त कार्य प्रारंभ है, विस्तृत विवरण † संलग्न परिशिष्ट में है. (ग) जी हां. जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. (घ) जी नहीं.

बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र में खेल मैदान एवं स्टेडियम की स्वीकृति

2. (क्र. 929) श्री जनकराम वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत जनवरी, 2013 से 28-02-2015 तक कहां-कहां पर खेल मैदान एवं स्टेडियम स्वीकृत किए गए ? विकासखंडवार जानकारी देवें ? उनकी कार्य एजेंसी कौन थी ? (ख) स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण एवं कितने अपूर्ण हैं ? निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण एजेंसी पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जनवरी 2013 से 28-02-2015 तक बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत में खेल मैदान एवं स्टेडियम स्वीकृति की जानकारी निरंक है. (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

बालोद जिला में प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु स्वीकृत एवं व्यय राशि

3. (क्र. 1240) श्रीमती अनिला भेंड़िया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालोद जिला अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रशिक्षण के लिए वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई ? (ख) उक्त अवधि में जिले के अन्तर्गत कौन-कौन से प्रशिक्षण दिया गया ? कितने लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया ? (ग) प्रशिक्षण में कितनी राशि व्यय की गई ? (घ) प्रशिक्षण नहीं दी गई तो प्राप्त राशि किस कार्य में व्यय की गई है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) बालोद जिला अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रशिक्षण के लिए वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक प्राप्त राशि की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) उक्त अवधि में बालोद जिले के अंतर्गत कराये गये प्रशिक्षण एवं लाभान्वितों की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ग) प्रशिक्षण में व्यय राशि की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (घ) वर्ष 2011-12 में परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना डौण्डीलोहारा द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु रुपये 18 लाख की राशि प्रदान की गई थी. प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बरती गई अनियमितता के फलस्वरूप कलेक्टर द्वारा जांच समिति गठित की गई जिसके प्रतिवेदन अनुसार तत्कालीन जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी बालोद द्वारा संबंधित एन.जी.ओ. से सांठ-गांठ कर शासकीय धन का दुरुपयोग करना पाया गया. अतः प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में गंभीर अनियमितता के कारण संबंधित अधिकारी के विरुद्ध पुलिस थाना बालोद में एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी है तथा उन्हें निलंबित किया गया है.

अचानकमार से विस्थापित किए जाने वाले ग्राम

4. (क्र. 1395) **डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अचानकमार के कितने ग्राम कहां पर विस्थापित किये जाने की योजना है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : अचानकमार टायगर रिजर्व के 05 ग्रामों (पूर्व वनग्रामों) को विस्थापन करने की योजना है. इस हेतु अचानकमार क्षेत्र के बाहरी वन क्षेत्र चयन की गई जहां ग्रामों को बसाये जाने संबंधित विस्थापन प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली को दिनांक 31-01-2014 को प्रेषित किया गया है. प्रस्ताव केन्द्र शासन स्तर पर विचाराधीन है. अचानकमार टायगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से विस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्रामों की सूची एवं सम्भावित स्थान जहां उक्त ग्रामों को बसाया जावेगा की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

केशकाल विधान सभा क्षेत्र के टाटामारी वन का सौंदर्यकरण

5. (क्र. 1515) **श्री संतराम नेताम** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि केशकाल के टाटामारी वन के सौंदर्यकरण, विकास एवं रख-रखाव हेतु वर्ष 2013-14 से 2014-15 में दिनांक 31 जनवरी, 2015 तक कितनी राशि व्यय की गई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : केशकाल के टाटामारी वन के सौंदर्यकरण, विकास एवं रखरखाव हेतु वर्ष 2013-14 से 2014-15 में दिनांक 31 जनवरी 2015 तक राशि रुपये 68.13 लाख व्यय की गई.

तखतपुर विधान सभा क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल/भवन की व्यवस्था

6. (क्र. 1853) **श्री राजूसिंह क्षत्री** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तखतपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में कितने भवन विहीन एवं पेयजल सुविधा विहीन केन्द्र हैं ? इन केन्द्रों को भवन एवं पेयजल की सुविधा कब तक प्रदान की जायेगी ? (ख) क्या तखतपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी टू ईट में गुणवत्ताविहीन खाद्य सामग्री वितरण में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) कुल संचालित 370 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 182 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन है एवं 48 आंगनबाड़ी केन्द्र पेयजल सुविधा विहीन है. वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर भवन निर्माण की स्वीकृति दी जाती है, इसी तरह अन्य विभागों से समन्वय कर आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है. अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (ख) तखतपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी टू ईट में गुणवत्ताविहीन खाद्य सामग्री वितरण की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है.

जिला बलोदाबाजार एवं भाटापारा में वनांचल क्षेत्रों में कार्यरत संयुक्त वन प्रबंधन समितियां

7. (क्र. 1945) **डॉ. सनम जांगड़े** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बलोदाबाजार-भाटापारा के अंतर्गत वनांचल क्षेत्रों में संयुक्त वन प्रबंधन की कुल कितनी समितियां जिले में कार्यरत है ? (ख) वन विकास अभिकरण के अंतर्गत जिले के † परिशिष्ट "पन्द्रह" †† परिशिष्ट "सोलह"

कौन-कौन से वनमण्डलों का चयन किया गया है ? वर्ष 2011 से 2014 तक कितनी राशि विभिन्न कार्यों के लिये प्राप्त हुई है ? वनमण्डलवार जानकारी दें।

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के अंतर्गत वनांचल क्षेत्रों में संयुक्त वन प्रबंधन की कुल 186 समितियां कार्यरत हैं। (ख) वन विकास अभिकरण के अंतर्गत जिले के एकमात्र बलौदाबाजार वनमंडल का चयन किया गया है। उक्त वनमंडल (वन विकास अभिकरण) को वर्ष 2011 से 2014 तक कुल रुपये 454.76 लाख की राशि विभिन्न कार्यों हेतु प्राप्त हुई है।

नागरिक आपूर्ति निगम विभाग में आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो द्वारा मारे गये छापे में प्राप्त राशि

8. (क्र. 2568) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम विभाग में मारे गये छापे में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है ? किस-किस अधिकारी-कर्मचारी पर किस-किस अपराध के तहत जुर्म दर्ज किया है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : कुल राशि रुपये 3,64,63,320/- नगद प्राप्त हुई। जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में है।

खारून नदी के किनारे सौन्दर्यीकरण हेतु संपन्न कार्यों में व्यय राशि

9. (क्र. 2783) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2012-13 से 2014-15 में फरवरी 2015 तक खारून नदी के किनारे सौन्दर्यीकरण कार्यों के तहत कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी लागत के कराये गये ? वृक्षारोपण कार्यों के तहत रोपित पौधों की संख्या तथा इस पर व्यय की गई राशि की अलग-अलग जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश “क” के उल्लेखित रोपित किये गये पौधों में से वर्तमान में कितने प्रतिशत पौधे जीवित हैं ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) वर्ष 2012-13 से 2014-15 में फरवरी 2015 तक खारून नदी के किनारे सौन्दर्यीकरण कार्य नहीं कराये गये हैं, परन्तु खारून नदी किनारे रोपित पौधे एवं व्यय की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है। (ख) प्रश्नांश “क” में उल्लेखित रोपित पौधों में से वर्तमान में जीवित पौधे का प्रतिशत †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है।

ग्राम घोड़ारी की सीमा पर फर्शी खदान में विस्फोट करने की प्रदत्त अनुमति

10. (क्र. 2889) **डॉ. विमल चोपड़ा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आरंग से सरायपाली तक निर्माणाधीन फोरलेन सड़क की कंपनी बी.एस.पी.एल. द्वारा ग्राम घोड़ारी की सीमा पर फर्शी खदान में विस्फोट करने की अनुमति शासन से ली गई है ? यदि हां तो, इसकी विस्फोट की तीव्रता क्या रखी गई ? (ख) क्या इस विस्फोट से ग्राम घोड़ारी के आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों में दरार पड़ने की कोई शिकायत प्राप्त हुई ? यदि हां तो शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) आरंग से सरायपाली तक निर्माणाधीन फोरलेन सड़क बनाने वाली कंपनी मेसर्स बी.एस.सी.पी.एल. कंपनी द्वारा ग्राम घोड़ारी की सीमा पर फर्शी खदान में विस्फोट करने के लिये मेसर्स एक्शप्लोटेक सर्विस, शंकर नगर मेन रोड, रायपुर के साथ अनुबंध किया गया है। मेसर्स एक्शप्लोटेक सर्विस द्वारा विस्फोटक कार्य हेतु संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक आगरा से लाइसेंस प्राप्त किया गया है। लाइसेंस में विस्फोट की तीव्रता अधिकतम 200 मीटर से 300 मीटर की परिधि तक प्रभावशील है। (ख) विस्फोट से ग्राम घोड़ारी के आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों में दरार पड़ने की शिकायत समाचार पत्र के माध्यम से प्राप्त हुई है। मेसर्स बी.एस.सी.पी.एल. कंपनी को स्वीकृत फर्शीपत्थर खदान से ग्राम घोड़ारी के आवासीय क्षेत्रों की दूरी 1 किलोमीटर से भी अधिक है। शिकायत की जांच हेतु डायरेक्टर जनरल ऑफ माईन्स सेफ्टी, बिलासपुर को लिखा गया है।

महासमुन्द विधान सभा क्षेत्र में रेत खदानों का संचालन

11. (क्र. 2890) **डॉ. विमल चोपड़ा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुन्द विधान सभा क्षेत्र में रेत की खदानें कहाँ-कहाँ स्वीकृत है व इनका संचालन कौन कर रहा है ? (ख) क्या ग्राम गढ़सिवनी की रेत खदान को बेचे जाने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई ? यदि हाँ तो की गई कार्यवाही की जानकारी दें.

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) महासमुन्द विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गढ़सिवनी, अछोला, बड़गांव, घोड़ारी, चिंगरौद, बम्हनी एवं बरबसपुर में रेत की खदानें संचालित है. ग्राम गढ़सिवनी, अछोला, बड़गांव, घोड़ारी में संचालित रेत खदान का संचालन जनपद पंचायत महासमुन्द एवं ग्राम चिंगरौद, बम्हनी, बरबसपुर में संचालित रेत खदान का संचालन संबंधित ग्राम पंचायत कर रहा है. (ख) जी हाँ. ग्राम गढ़सिवनी की रेत खदान बेचे जाने की शिकायत प्राप्त हुई है. जांच में शिकायत सही पाये जाने पर पंचायत राज अधिनियम के तहत सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महासमुन्द के न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है.

कोण्डागांव जिले में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से स्वीकृत कार्य

12. (क्र. 2897) **श्री मोहन मरकाम** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोण्डागांव जिले में वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना से कितने कार्य स्वीकृत किये गये हैं ? (ख) प्रश्नांश "क" के अनुसार वर्षवार निर्माण एजेंसी को कितनी राशि किन कार्यों के लिए प्रदाय किया गया ? वर्षवार कौन से कार्य पूर्ण/अपूर्ण है ? (ग) प्रश्नांश "ख" के अनुसार किन कार्यों का निरस्त किया गया तथा निरस्त कार्यों की राशि से कौन से कार्य कहाँ के लिए स्वीकृत किये गये ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क), (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

बस्तर जिले में मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत कराई गई यात्रा

13. (क्र. 2937) **श्री दीपक बैज** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले में मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अन्तर्गत 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 में 28 फरवरी तक कुल कितने तीर्थ यात्रियों को कहाँ-कहाँ की तीर्थ यात्रा करायी गयी ? विकासखण्डवार जानकारी दें. (ख) क्या उक्त वर्षों में तीर्थ यात्रा के दौरान किसी तीर्थ यात्री की मृत्यु होने या गुम होने की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हाँ तो उसका नाम व पता क्या है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) बस्तर जिले में मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा के अन्तर्गत प्रश्नाधीन अवधि में कुल 3416 तीर्थयात्रियों को यात्रा करायी गई. विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है. (ख) उक्त वर्षों में किसी भी तीर्थयात्री की मृत्यु होने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है अपितु दो यात्रियों के गुम होने की सूचना प्राप्त हुई है. नाम व पता निम्नानुसार है :—

1. श्री झितरू पिता श्री धनुर्जय ग्राम पंचायत आड़ावाल विकासखण्ड जगदलपुर जिला बस्तर.
2. श्री अकबर पिता श्री मो. हसन ग्राम पंचायत बड़ेधाराउर विकासखण्ड लोहाण्डीगुड़ा, जिला बस्तर.

जिला जांजगीर-चांपा में मुरुम एवं रेत की स्वीकृत खदानें

14. (क्र. 2940) **श्री केशव चन्द्रा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में कितने मुरुम एवं रेत खदान स्वीकृत है एवं कहाँ-कहाँ पर किसके द्वारा संचालित है ? (ख) जिला जांजगीर-चांपा में वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में मुरुम एवं रेत से कितनी रायल्टी शासन को प्राप्त हुई ? वर्षवार जानकारी दें ? (ग) कंडिका "ख" में वर्णित वित्तीय वर्ष में अवैध मुरुम एवं रेत खनन एवं परिवहन के कितने प्रकरण दर्ज किए गए एवं उस पर क्या कार्यवाही की गई ? (घ) क्या उक्त कार्यवाही में अवैध परिवहन में लिप्त किसी गाड़ी को राजसात करने की कार्यवाही की गई है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जिला जांजगीर-चांपा में मुरुम का कोई खदान स्वीकृत नहीं है तथा रेत के पर्यावरण सम्मति प्राप्त कर संचालित 07 खदानें हैं, जिनकी जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" पर दर्शित है. (ख) जिला जांजगीर-चांपा में वित्तीय वर्ष 2011-12,

2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में मुरूम से शासन को कुल रुपये 2336000/- की रायल्टी प्राप्त हुई है, जिनका वर्षवार विवरण † संलग्न प्रपत्र “ब” पर दर्शित है. रेत से शासन को सीधे कोई रायल्टी प्राप्त नहीं होती है, अपितु रायल्टी संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकायों द्वारा वसूल की जाती है. (ग) कंडिका “ख” में वर्णित वित्तीय वर्ष में मुरूम एवं रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के दर्ज प्रकरणों की संख्या एवं उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “स” पर दर्शित है. (घ) जी नहीं.

अंतागढ़ विधान सभा क्षेत्र में वृक्षारोपण

15. (क्र. 2944) **श्री भोजराज नाग** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अंतागढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पिछले 5 वर्षों में कहां-कहां वृक्षारोपण का कार्य किया गया है ? रकबा एवं लागतवार जानकारी दें ? (ख) रोपित वृक्षों में से वर्तमान में कितने प्रतिशत वृक्ष सुरक्षित है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) रोपित वृक्षों में वर्तमान में औसतन 81 प्रतिशत वृक्ष सुरक्षित है.

अंतागढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामों में वन प्रबंधन समिति का गठन

16. (क्र. 2945) **श्री भोजराज नाग** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अंतागढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन ग्रामों में वन प्रबंधन समिति का गठन किया गया है ? (ख) वर्ष 2013-2014 एवं 2014-2015 में प्रत्येक समितियों को कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है ? तथा समितियों द्वारा कौन-कौन से कार्य किये गये हैं ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) अंतागढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 250 ग्रामों में वन प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है. ग्रामवार गठित समितियों की सूची पुस्तकालय में रखे “परिशिष्ट-एक” में दर्शित है. (ख) वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में 28 समितियों को कुल रु. 19529800/- की राशि आवंटित की गई है. वर्षवार समितियों को आवंटित राशि एवं कराये गये कार्यों का विवरण पुस्तकालय में रखे “परिशिष्ट-दो” में दर्शित है.

महासमुंद जिला के अंतर्गत आयोजित महिला जागृति शिविर

17. (क्र. 2952) **श्रीमती रूपकुमारी चौधरी** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि महासमुंद जिले में वर्ष 2013 से 12 मार्च, 2015 तक कुल कितने महिला जागृति शिविर कहां-कहां कब-कब आयोजित किये गये ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? कितनी राशि खर्च की गई ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : महासमुंद जिले में वर्ष 2013-14 में 43 स्थानों में तथा 2014-15 में 12 मार्च 2015 तक 36 महिला जागृति शिविर आयोजित किये गये हैं. विकासखण्डवार आयोजित शिविरों एवं व्यय का विवरण †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

जिला महासमुंद में वन विभाग के अंतर्गत स्वीकृत कार्य

18. (क्र. 2953) **श्रीमती रूपकुमारी चौधरी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिले में वन विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 एवं दिसम्बर 2014 तक कुल कितने कार्य स्वीकृत हुए ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ख) कुल कितने कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं ? कितने कार्य प्रारंभ नहीं किये गये हैं ? कब तक पूर्ण कर लिये जाएंगे ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) महासमुंद जिले में वन विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 एवं दिसम्बर 2014 तक कुल 230 कार्य स्वीकृत हुए जिसमें महासमुंद विकासखण्ड में 85 कार्य, बागबाहरा विकासखण्ड में 41 कार्य, पिथौरा विकासखण्ड में 53 कार्य, बसना विकासखण्ड में 10 कार्य एवं सरायपाली विकासखण्ड में 41 कार्य स्वीकृत किए गए हैं. (ख) कुल 204 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं. 26 कार्य अपूर्ण हैं. कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो प्रारंभ नहीं किया गया है. मनरेगा के कार्य अवशेष राशि प्राप्त होने पर एवं शेष कार्य वित्तीय वर्ष 2015-16 में पूर्ण कर लिए जाएंगे.

कवर्धा वन मण्डल में सागौन तस्करी के दर्ज प्रकरण

19. (क्र. 2962) **श्री गिरवर जंघेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कवर्धा वनमंडल क्षेत्र में सत्र 2014-15 में 28 फरवरी, 2015 तक सागौन तस्करी के कितने प्रकरण दर्ज किये गये ? (ख) तस्करी पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? प्रकरणवार नाम बतायें ? कितने वाहनों पर राजसात की कार्यवाही की गई ? (ग) तस्करी को रोकने के लिये क्या-क्या कदम उठाये गये ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) कवर्धा वनमंडल क्षेत्र में सत्र 2014-15 में 28 फरवरी 2015 तक सागौन तस्करी के 04 प्रकरण दर्ज किये गये. (ख) वनोपज को जप्त कर तस्करी के विरुद्ध पी.ओ.आर. जारी कर विवेचना में लिया गया. उक्त जप्त वनोपज राजस्व भूमि की पायी गयी. प्रकरणवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	अपराधी का नाम/पता	पी.ओ.आर. क्रमांक एवं दिनांक	जप्त वनोपज की मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री नंदलाल व. आशाराम सतनामी ग्राम रेहुंटा	क्र. 7095/07, दिनांक 16-09-14	सागौन सिलपट 63 नग 0.139 घ.मी.
2.	श्री मुकेश व. समेलाल डहरिया ग्राम रेहुंटा	क्र. 7095/12, दिनांक 14-10-14	सागौन चिरान 328 नग 1.432 घ.मी.
3.	श्री रजक व. तिरिथ डहरिया ग्राम रेहुंटा	क्र. 7095/13, दिनांक 14-10-14	सागौन सिलपट 02 नग 0.061 घ.मी.
4.	श्री चन्द्रिका व. अंतू डहरिया ग्राम रेहुंटा	क्र. 7095/14, दिनांक 14-10-14	सागौन चिरान 87 नग 0.354 घ.मी.

इस अवधि में किसी भी वाहन पर राजसात की कार्यवाही नहीं की गई. (ग) तस्करी रोकने हेतु पर्याप्त अमला वनक्षेत्र में तैनात हैं जो वन प्रबंधन समितियों के सक्रिय सहयोग से वनों की सुरक्षा एवं अवैध वनोपज के परिवहन पर नियंत्रण करता है. क्षेत्र में अवैध वनोपज के रोकथाम हेतु आवश्यकतानुसार बैरियर स्थापित है. फॉरेस्ट स्ट्राइक फोर्स तथा उड़नदस्ता दल सतत् संवेदनशील क्षेत्रों में गस्ती कर वनों की सुरक्षा करते हैं एवं तस्करी पर रोक लगाने में सक्षम हैं.

बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या का निराकरण

20. (क्र. 2985) **श्री अवधेश सिंह चंदेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में किस-किस ग्रामों में लो वोल्टेज की समस्या है ? कहां-कहां अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाया जाना है ? कितने ग्राम/मजराटोला में विद्युत की आपूर्ति आज तक नहीं हुई है ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ख) लो वोल्टेज की समस्या के निराकरण हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? (ग) बेमेतरा विधान सभा के कितने ग्रामों में विद्युत विस्तार हेतु आवेदन प्राप्त हुए ? प्राप्त आवेदनों पर क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र के किसी भी ग्राम से लो वोल्टेज संबंधी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. अतः इस हेतु किसी भी ग्राम में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाया जाना प्रस्तावित नहीं है. 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण के लिए कराये गये सर्वे अनुसार बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र के बेरला विकासखण्ड के 02 बसाहटों तथा नवागढ़ विकासखण्ड के 01 इस प्रकार कुल 03 बसाहटों में विद्युत आपूर्ति नहीं है. (ख) उत्तरांश "क" के संदर्भ में प्रश्न उद्भूत नहीं होता. (ग) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र के एक ग्राम यथा चोरभट्टी में विद्युत विस्तार हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके लिये प्राक्कलन स्वीकृत कर संबंधित ग्राम पंचायत को मांग पत्र जारी किया गया है. वर्तमान में मांग की गई राशि का भुगतान अप्राप्त है, ग्राम पंचायत से भुगतान प्राप्त होने पर विद्युत कनेक्शन देने की कार्यवाही की जा सकेगी.

अतारांकित प्रश्नोत्तर

गुण्डरदेही वि.स. क्षेत्र में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु राशि की स्वीकृति

1. (क्र. 340) **श्री राजेन्द्र कुमार राय** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र हैं ? कितने केन्द्र भवन विहीन हैं ? (ख) भवन विहीन केन्द्रों के लिए कब तक राशि स्वीकृति की जावेगी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) 431 आंगनबाड़ी केन्द्र हैं। 131 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं। (ख) आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवनों के निर्माण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर दी जाती है। अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

2. (क्र. 481) **श्री संतोष बाफना** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 01 फरवरी, 2015 की स्थिति में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? (ख) उल्लेखित किन-किन आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन हैं और कौन से भवन विहीन हैं ? (ग) उक्त तिथि तक किन-किन स्थानों पर नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र प्रारंभ किये जाने आवेदन प्राप्त हुए हैं ? किन-किन स्थानों पर नवीन आंगनबाड़ी खोले जाने हेतु प्रस्ताव कब प्रेषित किये गये हैं ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) 01 फरवरी 2015 की स्थिति में 424 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। (ख) 208 आंगनबाड़ी केन्द्रों में भवन हैं और 216 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ग) दिनांक 01 फरवरी 2015 तक नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र प्रारंभ किये जाने 09 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने हेतु 23 प्रस्ताव दिनांक 28-10-2013 को प्रेषित किए गए हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है।

लोक आयोग द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की अनुशंसा

3. (क्र. 552) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 में 31 जनवरी, 2015 तक लोक आयोग द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध जांच अथवा कार्यवाही की अनुशंसा की थी ? (ख) राज्य शासन द्वारा उक्त दिनांक तक किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? एवं कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही नस्तीबद्ध की गयी ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में है। (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में है।

रामपुर विधान सभा क्षेत्र में रेडी टू ईट सामग्री के गुणवत्ता की जांच

4. (क्र. 1146) **श्री श्यामलाल कंवर** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रामपुर विधान सभा क्षेत्र में रेडी-टू-ईट फूड बनाये जाने हेतु कितने केन्द्र स्थापित किये गये हैं ? (ख) उक्त प्रदाय किये जा रहे सामग्री की गुणवत्ता की जांच किसके द्वारा की जाती है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) रामपुर विधान सभा क्षेत्र में 27 महिला स्व सहायता समूहों द्वारा रेडी टू ईट फूड प्रदाय किया जा रहा है। (ख) रेडी टू ईट फूड के गुणवत्ता की जांच भारत सरकार, खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड की नवी मुंबई स्थित प्रयोगशाला से कराई जाती है।

रामपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत खेल परिसरों का निर्माण

5. (क्र. 1147) **श्री श्यामलाल कंवर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रामपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने खेल परिसरों का निर्माण कहां-कहां पर कराया गया है ? (ख) कितने पूर्ण या अपूर्ण हैं ? (ग) कब तक कार्य पूर्ण किया जाना है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) खेल परिसरों की संख्या निरंक है. (ख) एवं (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

जिला सूरजपुर में असंगठित मजदूरों को सामग्री वितरण

6. (क्र. 1327) **श्री पारसनाथ राजवाड़े** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2013-14 में सूरजपुर जिले के भैयाथान, सूरजपुर, ओड़गी विकासखंड क्षेत्र में विकासखंडवार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मकार बन्धुओं को कितनी साईकलें, सिलाई मशीन व अन्य कीट सामग्री प्रदाय किया गया है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : वर्ष 2013-14 में सूरजपुर जिले के भैयाथान, सूरजपुर, ओड़गी विकासखंड क्षेत्र में विकासखंडवार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मकार बन्धुओं को 260 सायकल एवं 270 सिलाई मशीन प्रदाय किया गया है व अन्य किट सामग्री प्रदाय हेतु योजना संचालित नहीं है.

भटगांव विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत पेंशन प्रकरण

7. (क्र. 1328) **श्री पारसनाथ राजवाड़े** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सूरजपुर जिले के भटगांव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत भैयाथान, ओड़गी, सूरजपुर विकासखंडों में वर्ष 2012-13 एवं 2013-2014 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सुखद सहारा, राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विकलांग पेंशन, परिवार सहायता पेंशन योजना के कुल कितने प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं ? कृपया वर्षवार जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : सूरजपुर जिले के भटगांव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत भैयाथान, ओड़गी, सूरजपुर विकासखण्डों में वर्ष 2012-13 एवं 2013-2014 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, सुखद सहारा योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना तथा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के स्वीकृत प्रकरणों की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र. (1)	योजना का नाम (2)	2012-13 (3)	2013-14 (4)
1.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	3136	4113
2.	सुखद सहारा योजना	1407	1523
3.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	6256	6131
4.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना	148	189
5.	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	83	54
योग		11030	12010

सूरजपुर जिले में तेन्दू पत्ता संग्राहकों को बोनस का भुगतान

8. (क्र. 1333) **श्री पारसनाथ राजवाड़े** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सूरजपुर जिले में वर्ष 2012-2013 एवं 2014 में कितने तेन्दूपत्ता की खरीदी की गई है, और संग्राहकों को बोनस के रूप में कितनी राशि नगद दी गयी ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : जानकारी निम्नानुसार है :-

वर्ष	क्रय की गई तेन्दूपत्ता की मात्रा (मा.बो. में)	नगद में वितरित नगद प्रोत्साहन पारिश्रमिक (बोनस) (रुपये में)
(1)	(2)	(3)
2012-13	88,458.687	1,36,32,838.00
2013-14	72,226.275	2,69,17,861.00

बिलासपुर संभाग में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत संपन्न विवाह

9. (क्र. 1414) **श्री अमित अजीत जोगी :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर संभाग में वर्ष 2011 से 2014 तक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कितने जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया ? वर्षवार अलग-अलग जानकारी दें। (ख) शासन के नियमानुसार विवाह जोड़ों को कितने-कितने लागत की कौन-कौन सी सामग्री प्रदान की जाती है ? वर्ष 2011 से 2014 तक के वर्षों में कौन-कौन सी सामग्री प्रदान की गयी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) बिलासपुर संभाग में वर्ष 2011 से 2014 तक मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांतर्गत 5441 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया. वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ष	जोड़ों की संख्या
1.	2011	2282
2.	2012	876
3.	2013	1274
4.	2014	1009

(ख) मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत राशि रुपये 11500.00 की व्यय सीमा के अधीन वर-वधू के कपड़े, श्रृंगार सामग्री, बर्तन सेट, टीन की पेट्टी/सूटकेस, स्टील अलमीरा, बिस्तर एवं गृहस्थी के लिये न्यूनतम आवश्यक सामग्री प्रदाय की जाती है. वर्ष 2011 से 2014 तक के वर्षों में प्रदाय की गई सामग्री में बर्तन सेट, वर-वधू के लिये वस्त्र एवं श्रृंगार सामग्री तथा गृहस्थी के लिये न्यूनतम आवश्यक सामग्री शामिल है.

केशकाल विधान सभा क्षेत्रांतर्गत ट्यूबवेल स्थापना हेतु विद्युत कनेक्शन के प्राप्त आवेदन

10. (क्र. 1533) **श्री संतराम नेताम :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केशकाल विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में दिनांक 31 जनवरी, 2015 की स्थिति में ट्यूबवेल हेतु विद्युत कनेक्शन के लिए कितने कृषकों के आवेदन प्राप्त हुए ? (ख) कितने को कनेक्शन प्रदान किया गया एवं कितने प्रकरण लंबित है ? लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) केशकाल विधान सभा क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2013-14 में 439 आवेदन एवं 2014-15 में दिनांक 31 जनवरी 2015 तक 751 आवेदन अर्थात् कुल 1190 कृषकों के आवेदन सिंचाई पम्प कनेक्शन हेतु प्राप्त हुए हैं. (ख) उत्तरांश "क" में प्राप्त आवेदनों में से 740 कृषकों को सिंचाई पम्प कनेक्शन प्रदाय किये गये एवं 450 प्रकरण लंबित है. उक्त लंबित 450 प्रकरणों में से 160 प्रकरण कृषकों द्वारा औपचारिकता पूर्ण नहीं करने एवं 290 प्रकरण लाइन विस्तार की आवश्यकता के कारण लंबित है. औपचारिकता पूर्ण लंबित 290 प्रकरणों के कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करने का प्रयास है.

केशकाल विधान सभा क्षेत्र में संचालित क्रेशर उद्योग

11. (क्र. 1534) **श्री संतराम नेताम :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केशकाल विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कुल कितने क्रेशर उद्योग किन-किन के नाम से संचालित है ? नाम पते सहित जानकारी दें। (ख) क्या उक्त क्रेशर उद्योगों के द्वारा खदानों की विधिवत लीज ली गई है ? यदि हां तो कहां-कहां पर खदान स्थित है ? संचालित क्रेशर मुख्य मार्ग से कितनी दूरी पर संचालित है ? (ग) इन खदानों/क्रेशरों में ब्लास्टिंग के लिये कब-कब कहां से अनुमति ली गई है.

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) केशकाल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कोई भी क्रेशर उद्योग संचालित नहीं है. अतः जानकारी निरंक है. (ख) एवं (ग) "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

अहिवारा विधान सभा क्षेत्र में जे. के. लक्ष्मी सीमेंट प्लांट में कार्यरत मजदूर

12. (क्र. 1598) **राजमहंत सांवला राम डाहरे** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र अहिवारा में निर्माणाधीन जे. के. लक्ष्मी सीमेंट प्लांट, मलपुरीखूर्द, अहिवारा में अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार रोजगार का नियमन एवं सेवा शर्त अधिनियम 1976 के तहत अन्य राज्य से कार्य हेतु कितने महिला एवं पुरुष मजदूर लाये गये हैं ? (ख) यदि हां तो, ठेके व नियोजन प्रवासी कर्मकार पंजी. प्रारूप 13 के आधार पर सूची उपलब्ध करावें. क्या ऐसे पंजीकृत मजदूरों की सूचना स्थानीय थाने एवं पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध करायी गयी है ? यदि करायी गयी है हां तो कब-कब कहां-कहां ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) एवं (ख) विधान सभा क्षेत्र अहिवारा में निर्माणाधीन जे. के. लक्ष्मी सीमेंट प्लांट, मलपुरीखूर्द, अहिवारा में अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 का प्रवर्तन कार्य श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीनस्थ उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), रायपुर द्वारा किया जाता है. अतः राज्य शासन स्तर पर जानकारी निरंक है.

बिलासपुर जिले में रेत खनन की प्रदत्त अनुमति

13. (क्र. 1857) **श्री राजू सिंह क्षत्री** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले के अंतर्गत वर्ष 2012-13, 2013-14 में किन-किन नदियों में कहां-कहां पर कितने घनमीटर रेत उत्खनन की अनुमति किन-किन शर्तों में दी गई है ? (ख) क्या उक्त अवधि में अवैध उत्खनन एवं परिवहन के कोई मामले प्रकाश में आये हैं ? यदि हां तो दर्ज प्रकरणों में क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? तिथिवार जानकारी दें.

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) बिलासपुर जिले के अंतर्गत वर्ष 2012-13 में 30 रेत खदानें अरपा, मनियारी, लीलागर, शिवनाथ, खारून एवं सोन नदी में संचालित थी. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "एक" पर दर्शित है. रेत खदानों में पर्यावरण सम्मति की अनिवार्यता उपरांत वर्ष 2013-14 में पर्यावरण सम्मति प्राप्त कर 24 रेत खदानें छत्तीसगढ़ गौण खनिज रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय विनियमन निर्देश, 2006 एवं पर्यावरण सम्मति में उल्लेखित शर्तों के तहत संचालित है. नदीवार, स्थानवार एवं उत्पादन मात्रा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "दो" पर दर्शित है. (ख) प्रश्नांश "क" की अवधि में खनिज रेत के अवैध उत्खनन के 03 प्रकरण दर्ज कर रुपये 43300 एवं अवैध परिवहन के 189 प्रकरण दर्ज कर रुपये 12,54,835 समझौता राशि वसूल किया गया. तिथिवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "तीन" पर दर्शित है.

सरगुजा जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पद

14. (क्र. 2254) **श्री चिन्तामणी महाराज** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरगुजा जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या कितनी है ? विधान सभा क्षेत्रवार जानकारी देवें ? (ख) सरगुजा विधान सभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के कितने पद रिक्त हैं ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) सरगुजा जिले में स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या 1747 है. विधान सभा क्षेत्रवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) 09 पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के एवं 09 पद सहायिका के पद रिक्त हैं.

विधान सभा क्षेत्र लैलूंगा में स्वीकृत आंगनबाड़ी भवन

15. (क्र. 2587) **श्रीमती सुनीती सत्यानंद राठिया** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013-2014 एवं 2014-2015 में विधान सभा क्षेत्र लैलूंगा अंतर्गत विकासखण्ड लैलूंगा, तमनार एवं रायगढ़ में कितने आंगनबाड़ी भवन स्वीकृत किये गये हैं ? (ख) कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) विधान सभा क्षेत्र लैलूंगा अंतर्गत विकासखण्ड लैलूंगा, तमनार एवं रायगढ़ में वर्ष 2013-2014 में 30 एवं वर्ष 2014-2015 में 05 आंगनबाड़ी भवन स्वीकृत किये गये हैं. (ख) विधान सभा क्षेत्र लैलूंगा अंतर्गत कुल 173 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं.

बस्तर संभाग में तेन्दूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य

16. (क्र. 2736) **श्री लखेश्वर बघेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभाग अंतर्गत वर्ष 2013-14 व 2014-15 में वन विभाग द्वारा तेन्दूपत्ता संग्रहण हेतु कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया ? निर्धारित लक्ष्य से किन स्थानों में अधिक खरीदी की गई ? (ख) प्रश्नांश "क" में तेन्दूपत्ता संग्रहणकर्ता मजदूरों को कितनी मजदूरी राशि प्रदाय की गई ? क्या सभी मजदूरों को साड़ी, चरण पादुका प्रदाय किया गया ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) बस्तर संभाग अंतर्गत वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 हेतु 4,73,700 मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. वर्ष 2013-14 में कांकेर, केशकाल, दक्षिण कोण्डागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा एवं जगदलपुर जिले में एवं वर्ष 2014-15 में पूर्व भानुप्रतापपुर, केशकाल, दक्षिण कोण्डागांव, नारायणपुर एवं बीजापुर जिला यूनियनों में निर्धारित लक्ष्य से अधिक तेन्दूपत्ता की खरीदी की गई. (ख) वर्ष 2013-14 में रुपये 52.16 करोड़ एवं वर्ष 2014-15 में रुपये 47.87 करोड़ की राशि संग्रहण पारिश्रमिक के रूप में तेन्दूपत्ता संग्राहकों को वितरित की गई. वर्ष 2013-14 में कांकेर जिला यूनियन के 441 संग्राहकों को छोड़कर शेष समस्त पात्र संग्राहकों को साड़ी वितरित की गयी एवं समस्त पात्र तेन्दूपत्ता संग्राहकों को चरणपादुका वितरित की गई. वर्ष 2014-15 में सुकमा जिला यूनियन के 21,737 संग्राहकों को छोड़कर शेष समस्त पात्र संग्राहकों को चरणपादुका वितरित किया गया. वर्ष 2014-15 में किसी भी संग्राहकों को साड़ी वितरित नहीं की गई.

प्रदेश में स्थापित व्यवहार न्यायालय

17. (क्र. 2793) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2010-11 से 5-03-2015 तक किस-किस स्थान पर नए व्यवहार न्यायालयों की स्थापना की गई है ? (ख) क्या रायपुर जिले की अभनपुर तहसील में सिविल न्यायालय प्रारंभ करने हेतु कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हाँ तो कब तक ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क)

क्र. (1)	वर्ष (2)	स्थान (3)	संख्या (4)
1.	2010-11	-	-
2.	2011-12	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 का न्यायालय भिलाई-3 जिला दुर्ग, अकलतरा जिला बिलासपुर	01 01
3.	2012-13	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय कोण्डागांव जिला बस्तर, बालोद जिला-दुर्ग, सक्ती जिला जांजगीर-चांपा, कोरबा जिला कोरबा, रायगढ़ जिला-रायगढ़, कुनकुरी जिला-जशपुर, अंबिकापुर जिला-सरगुजा, भानुप्रतापपुर जिला-उत्तर बस्तर, कांकेर, प्रतापपुर जिला-सरगुजा, रामानुजगंज जिला-सरगुजा, कवर्धा जिला-कबीरधाम. रायगढ़ जिला-रायगढ़, सूरजपुर जिला सूरजपुर, अंबिकापुर जिला-सरगुजा, दंतेवाड़ा जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, जांजगीर-जिला जांजगीर, दुर्ग जिला-दुर्ग, रायपुर जिला-रायपुर में एक-एक तथा बिलासपुर जिला-बिलासपुर में 03.	11 10

(1)	(2)	(3)	(4)
	2012-13	रायगढ़ जिला रायगढ़ में 02, अंबिकापुर जिला-सरगुजा में 02, सूरजपुर जिला-सरगुजा में 01, रायपुर जिला-रायपुर में 01, बलौदाबाजार जिला-बलौदाबाजार (सिविल जिला रायपुर) में 01, दुर्ग जिला-दुर्ग में 01 कोरबा जिला-कोरबा में 01 एवं जांजगीर जिला-जांजगीर चांपा में 01	10
		व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय सुकमा, कोण्डागांव, गरियाबंद, बलौदाबाजार, बालोद, बेमेतरा, मुंगेली, सूरजपुर एवं बलरामपुर	09
		व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालय बलरामपुर एवं राजपुर जिला बलरामपुर	02
04	2013-14	28 न्यायालय (1) जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) रायपुर-02, रायगढ़-01, कटघोरा-01, रामानुजगंज-01, बैकुण्ठपुर-01, कुनकुरी-01, एवं डोंगरगढ़-01	08
		(2) सीनियर सिविल जज रायपुर-02, दुर्ग-02, अम्बिकापुर-01, सूरजपुर-01, कोरबा-01, कटघोरा-01	08
		(3) सिविल न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) दुर्ग-04, भिलाई 3 -01, रायपुर-03, डभरा-01, खरसिया-01, सीतापुर-01, कोटा-01	12
		जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय सूरजपुर, बलौदाबाजार, बेमेतरा, कोण्डागांव एवं बालोद	05
		अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (फास्ट ट्रेक कोर्ट)	
		बस्तर (जगदलपुर), बिलासपुर, दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा), धमतरी, दुर्ग, जांजगीर-चांपा, जशपुर, कबीरधाम (कवर्धा), कोरबा, कोरिया (बैकुण्ठपुर), महासमुंद, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, सरगुजा (अम्बिकापुर), उत्तर बस्तर (कांकेर)	16
05	2014-05-03-15	जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला नारायणपुर	01
		अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट) बालोद, बलौदाबाजार, बेमेतरा, सूरजपुर एवं कोण्डागांव.	05
		अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय सरायपाली जिला महासमुंद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना.	01

(ख) अभनपुर जिला रायपुर में सिविल कोर्ट खोले जाने के संबंध में श्री राधाकृष्ण टंडन अध्यक्ष, नगर पंचायत अभनपुर के पत्र क्रमांक 258, दिनांक 17-01-2011 की छायाप्रति इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक 9322/3020/21-ब/छ. ग./11 दिनांक 30-12-2011 के द्वारा मान. उच्च न्यायालय के अभिमत हेतु छ. ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर को प्रेषित किये जाने पर मान. उच्च न्यायालय द्वारा उनके ज्ञापन क्रमांक 1544 दिनांक 29-02-2012 द्वारा विचारोपरांत उक्त मांग को अस्वीकार किया गया है. कृषि, पशुधन विकास, मछली पालन एवं श्रम विभाग के मान. मंत्री श्री चन्द्रशेखर साहू जी के द्वारा अभनपुर में लिंक कोर्ट की स्थापना के संबंध में मार्च, 2013 में पुनः प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसे इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2823/861/21-ब/छ. ग./2013 रायपुर दिनांक 08-04-2013 के द्वारा पुनः मान. उच्च न्यायालय के अभिमत हेतु प्रेषित किया गया है, जो अभी अपेक्षित है. अतः अभनपुर में सिविल न्यायालय प्रारंभ करने हेतु कोई समय बताया जाना संभव नहीं है.

नया रायपुर में वृक्षारोपण पर व्यय राशि

18. (क्र. 2794) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नया रायपुर में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्य हेतु वर्ष 2010 से 05-03-2015 तक किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी राशि खर्च की गयी है तथा इसके तहत कौन-कौन से सेक्टर में कितने-कितने पौधे लगाए गए हैं ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : नया रायपुर में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्य हेतु रोपण वर्ष 2010 में 192.96 लाख रुपये, रोपण वर्ष 2011 में 505.12 लाख रुपये, रोपण वर्ष 2012 में 167.20 लाख रुपये, रोपण वर्ष 2013 में 126.32 लाख, रोपण वर्ष 2014 में दिनांक 05-03-2015 तक 94.01 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है. इसके तहत सेक्टरवार रोपित पौधों की संख्या † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

आरंग विधान सभा क्षेत्र में स्थित रेत खदानें

19. (क्र. 2857) **श्री नवीन मारकंडेय** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आरंग विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कहां-कहां रेत खदान स्थित है ? विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें. (ख) वर्ष 2013-2014 व 2014-2015 में उक्त खदानों से अवैध उत्खनन की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) आरंग विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत आरंग विकासखण्ड में रेत खदानें ग्राम पारागांव, गुदगुदा, हरदीडीह, कुम्हारी, राटाकाट, चिखली, चपरीद, गुल्लु, कुरूद एवं अमेठी में संचालित है. (ख) वर्ष 2013-14 व 2014-15 (20 मार्च 2015 तक) में उक्त खदानों से अवैध उत्खनन की कुल 06 शिकायतें प्राप्त हुई है. शिकायतों पर की गई कार्यवाही की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

गरियाबंद जिला अंतर्गत वन विभाग द्वारा एन. जी. ओ. को दिये गये कार्य

20. (क्र. 2863) **श्री संतोष उपाध्याय** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला गरियाबंद अंतर्गत वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में 15 मार्च, 2015 तक वन विभाग द्वारा किन-किन एन.जी.ओ. को कहां-कहां, कौन-कौन से कार्य दिये गये हैं ? (ख) उक्त एनजीओ द्वारा कौन-कौन से कार्य किये गये ? कितना भुगतान विभाग द्वारा कब-कब किया गया ? (ग) क्या उपरोक्त एनजीओ के विरुद्ध गड़बड़ी की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है ? यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जिला गरियाबंद अंतर्गत गरियाबंद वनमंडल में प्रश्नाधीन अवधि में एन. जी. ओ. को जो कार्य दिये गये हैं का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	एन. जी. ओ. का नाम	दिये गये कार्य का विवरण	
		कार्य का स्थान	कार्य का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
2012-13	विकास समाज सेवी संस्थान, नवागढ़	छुरा परिक्षेत्र में	लाख पालन प्रशिक्षण का कार्य.

(1)	(2)	(3)	(4)
2012-13	ग्रामीण विकास ट्रस्ट, रायपुर	फिंगेश्वर परिक्षेत्र में सरकड़ा समिति में	दुधारू गाय वितरण का कार्य.
2012-13	ग्रामीण विकास ट्रस्ट, रायपुर	फिंगेश्वर परिक्षेत्र के द्वारतरा करचाली समिति में	गाय वितरण का कार्य.
2012-13	ग्रामीण विकास ट्रस्ट, रायपुर	फिंगेश्वर परिक्षेत्र के बम्हनी समिति में	दुधारू गाय वितरण का कार्य.
2013-14	-	-	निरंक
2014-15 में 15 मार्च, 2015 तक	-	-	निरंक

(ख) उक्त एन. जी. ओ. द्वारा किये गये कार्य एवं विभाग द्वारा किये गये भुगतान का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	वितरण वर्ष	परिक्षेत्र का नाम	एन. जी. ओ. का नाम	किये गये कार्य का विवरण	भुगतान की गई राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	2012-13	छुरा	विकास समाज सेवी संस्थान, नवागढ़	लाख पालन प्रशिक्षण का कार्य दिया गया.	300000.00
2.	2012-13	फिंगेश्वर	ग्रामीण विकास ट्रस्ट, रायपुर	सरकड़ा समिति में हितग्राहियों को दुधारू गाय वितरण करने का कार्य.	405000.00
3.	2012-13	फिंगेश्वर	ग्रामीण विकास ट्रस्ट, रायपुर	द्वारतरा करचाली समिति में हितग्राहियों को दुधारू गाय वितरण करने का कार्य.	812500.00
4.	2012-13	फिंगेश्वर	ग्रामीण विकास ट्रस्ट, रायपुर	बम्हनी समिति में हितग्राहियों को दुधारू गाय वितरण करने का कार्य.	75000.00
5.	2013-14	-	-	निरंक	-
6.	2014-15, 15 मार्च, 2015 तक	-	-	निरंक	-
योग					1592500.00

(ग) उपरोक्त एन. जी. ओ. के विरुद्ध किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है. अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

महासमुंद विधान सभा क्षेत्र में गौण खनिज से प्राप्त रायल्टी

21. (क्र. 2892) **डॉ. विमल चोपड़ा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद विधान सभा क्षेत्र में गौण खनिज से कितनी रायल्टी प्राप्त हुई ? (ख) गौण खनिज से किन-किन पंचायतों को कितनी-कितनी राशि 2011 से 2014 के दौरान दी गई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) महासमुंद विधान सभा क्षेत्र में गौण खनिज से वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 तक कुल 4,24,61,744.00 रुपये की रायल्टी राशि प्राप्त हुई है। (ख) वर्ष 2011 से 2014 के दौरान गौण खनिज से प्राप्त रायल्टी राशि में से पंचायतवार संवितरित राशि की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है।

जिला कोण्डागांव में श्रमिक योजनाओं के तहत लाभान्वित श्रमिक

22. (क्र. 2901) **श्री मोहन मरकाम** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010 से 2013 तक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एवं असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल की योजनाओं के तहत राज्य एवं केन्द्र सरकार के द्वारा लागू श्रमिक योजनाओं के तहत कोण्डागांव जिले के कितने श्रमिकों को लाभान्वित किया गया ? (ख) लाभान्वित श्रमिक या पंजीकृत श्रमिकों में से कितने श्रमिक राज्य से बाहर रोजगार हेतु पलायन किये हैं ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) वर्ष 2010 से 2013 तक छ. ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के तहत 1563 श्रमिकों एवं छ. ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के तहत 1611 श्रमिकों को राज्य सरकार के द्वारा लागू श्रमिक योजनाओं के तहत कोण्डागांव जिले में लाभान्वित किया गया। (ख) लाभान्वित अथवा पंजीकृत श्रमिकों में से किसी श्रमिक के राज्य से बाहर रोजगार हेतु पलायन की सूचना/शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सक्ती विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ट्यूबवेल स्थापना हेतु विद्युत कनेक्शन के प्राप्त आवेदन

23. (क्र. 2904) **डॉ. खिलावन साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सक्ती विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा फरवरी, 2015 तक की स्थिति में ट्यूबवेल की स्थापना हेतु विद्युत कनेक्शन के लिए कितने कृषकों द्वारा आवेदन प्राप्त हुए हैं ? (ख) कितने को कनेक्शन प्रदान कर दिया गया है ? कितने प्रकरण लंबित हैं ? (ग) लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जायेगा ? विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) सक्ती विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2012-13 में 78 आवेदन, वर्ष 2013-14 में 33 आवेदन तथा वर्ष 2014-15 में 28 फरवरी 2015 तक 17 आवेदन अर्थात् कुल 128 कृषकों के आवेदन सिंचाई पम्प कनेक्शन हेतु प्राप्त हुए हैं। (ख) उत्तरांश "क" में प्राप्त आवेदनों में से 112 कृषकों को सिंचाई पम्प कनेक्शन प्रदान किया गया है। 08 कृषकों द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण नहीं किये जाने के कारण उनके आवेदन निरस्त किये गये एवं 08 प्रकरण लंबित है। उक्त लंबित आवेदनों में से 01 प्रकरण जमीन विवाद एवं शेष 07 प्रकरणों में कृषकों से लाईन विस्तार हेतु आवश्यक राशि का भुगतान अप्राप्त होने के कारण विद्युत कनेक्शन लंबित है। (ग) लंबित 01 प्रकरण में जमीन विवाद के निपटारे एवं 07 प्रकरण में कृषकों द्वारा औपचारिकता पूर्ण किये जाने के उपरांत कनेक्शन देने की कार्यवाही की जावेगी, समय सीमा बताना संभव नहीं है। सभी 08 प्रकरण सक्ती विकासखण्ड के हैं।

जिला जांजगीर-चांपा में संचालित रेत/मुरूम खदानें

24. (क्र. 2905) **डॉ. खिलावन साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला जांजगीर-चांपा में कितनी रेत एवं मुरूम की कहां-कहां खदान है ? कृपया नाम बतायें ? रेत भंडारण करने का क्या नियम है ? वर्ष 2012 से फरवरी, 2015 तक जिले में अवैध रेत/मुरूम भंडारण के कितने प्रकरण दर्ज किये गये हैं ? और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : जिला जांजगीर-चांपा में मुरूम की कोई भी खदान स्वीकृत नहीं है तथा रेत के कुल 07 खदानें संचालित हैं, जो तहसील नवागढ़ के ग्राम भोगहापारा, तहसील जांजगीर के ग्राम देवरहा, तहसील डभरा के ग्राम चंद्रपुर, बरहागुड़ा एवं बिलईगढ़ तथा

तहसील बलौदा के ग्राम मदनपुर एवं नवागांव में स्थित हैं. रेत भण्डारण हेतु छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम 2009 प्रभावशील है. वर्ष 2012 से फरवरी 2015 तक जिले में अवैध रेत/मुरूम भण्डारण के कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं किये गये हैं, अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

बलरामपुर जिलान्तर्गत संचालित रेत खदान में अवैध उत्खनन के दर्ज प्रकरण

25. (क्र. 2920) **श्री बृहस्पत सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बलरामपुर जिले के रामानुजगंज एवं बलरामपुर में पिछले दो वर्षों में अवैध उत्खनन के कितने प्रकरण प्रकाश में आये ? उक्त प्रकरणों में कितन वाहनों को राजसात किया गया है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : बलरामपुर जिले के रामानुजगंज एवं बलरामपुर में पिछले दो वर्षों में रेत के अवैध उत्खनन का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है. अतः वाहनों को राजसात किये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है.

बलरामपुर जिले में संचालित क्रेशर खदानें

26. (क्र. 2934) **डॉ. प्रीतम राम** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलरामपुर जिले में कितने क्रेशर संचालित है ? संचालित क्रेशर मुख्य मार्ग से कितनी दूरी पर संचालित है, नाम सहित जानकारी दें ? (ख) उपरोक्त संचालित क्रेशर खदानों को कहां-कहां की कुल कितनी-कितनी एरिया की गिट्टी खदान कितनी-कितनी अवधि हेतु लीज पर दी गई है ? वर्ष 1 अप्रैल 2012 से 10 मार्च 2015 तक अवैध गिट्टी खनन के एवं परिवहन के कुल कितने प्रकरण किस-किस धारा के तहत किस-किस क्रेशर संचालक एवं अन्य के विरुद्ध दर्ज किये गये हैं ? दर्ज प्रकरणों में क्या कार्यवाही की गई है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) बलरामपुर जिले में कुल 34 क्रेशर संचालित है. संचालित क्रेशर की मुख्य मार्ग से दूरी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "एक" के कालम नंबर 6 पर दर्शित है. (ख) प्रश्नांश "क" में संचालित क्रेशरों हेतु स्वीकृत गिट्टी खदान की जानकारी परिशिष्ट "एक" के कालम 3, 4 एवं 5 पर दर्शित है. 1 अप्रैल 2012 से 10 मार्च 2015 तक गिट्टी के अवैध उत्खनन एवं परिवहन में छ. ग. गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम, 53 (5) के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अर्थदण्ड की राशि वसूल की गई, विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "दो" में दर्शित है.

बस्तर जिले में महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु व्यय राशि

27. (क्र. 2938) **श्री दीपक बैज** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्तर जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना प्रशासन द्वारा आदिवासी विकास विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 से फरवरी 2015 तक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : बस्तर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग को एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना/आदिवासी विकास विभाग द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में कोई बजट/आवंटन नहीं मिला है. अतः उक्त मद से प्रशिक्षण हेतु राशि व्यय का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है.

बस्तर जिले के संचालित भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र

28. (क्र. 2939) **श्री दीपक बैज** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले के अंतर्गत कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है ? कितने आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन है ? भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन कहां किया जा रहा है ? (विकासखंडवार जानकारी दें). (ख) जिले के कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है ? (ग) उक्त जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों में कितने में अहाता निर्माण किया गया है तथा कितने में शेष है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) 1849 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। 760 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन है। उक्त भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 698 आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किराये के भवनों में, 39 आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन अन्य शासकीय भवनों में, 23 आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन सामुदायिक सहयोग के भवनों में किया जा रहा है। विकासखंडवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जिले के 753 आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। (ग) बस्तर जिले के 184 स्वयं के आंगनबाड़ी भवनों में अहाता निर्मित है तथा 905 स्वयं के आंगनबाड़ी भवनों में अहाता निर्माण शेष है।

जिला जांजगीर-चांपा में क्रेशर एवं मुख्य मार्ग, नदी, तालाबों से क्रेशर की दूरी

29. (क्र. 2943) **श्री केशव चन्द्रा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में कुल कितने क्रेशर किन-किन के नाम पर स्थापित हैं ? खसरा नं. एवं रकबा सहित बतायें ? क्या उक्त जमीन का डायवर्सन हुआ है ? (ख) प्रश्नांश “क” में स्थापित क्रेशर की दूरी राष्ट्रीय मार्ग, राजमार्ग एवं स्थानीय सड़क (प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सड़क) से कितनी है ? तथा स्थापित क्रेशर से कितनी दूरी पर नदी, नाला या तालाब स्थित है ? (ग) स्थापित क्रेशर की पत्थर तोड़ने की क्षमता कितनी है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जिला जांजगीर-चांपा में 107 क्रेशर स्थापित हैं। स्थापित क्रेशरों के संचालक का नाम, खसरा नंबर एवं रकबा की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है। छ. ग. गौण खनिज नियम 1996 तथा छ. ग. खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम 2009 में क्रेशर संचालन के लिए डायवर्सन किये जाने का प्रावधान नहीं है। (ख) संचालित/स्थापित क्रेशर की राष्ट्रीय मार्ग, राजमार्ग एवं स्थानीय सड़क (प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सड़क) तथा नदी, नाला या तालाब से दूरी की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है। (ग) स्थापित क्रेशर की पत्थर तोड़ने की क्षमता के संबंध में खनिज नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

अंतागढ़ विधान सभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

30. (क्र. 2946) **श्री भोजराज नाग** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अंतागढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? कितने स्वयं के भवन में संचालित हैं ? कितने किराये के भवन में संचालित हैं ? (ख) अंतागढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के पद स्वीकृत हैं ? कितने रिक्त हैं ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) 732 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। 381 केन्द्र स्वयं के भवन में तथा 279 केन्द्र किराये के भवन में संचालित हैं। (ख) 736 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं 736 आंगनबाड़ी सहायिकाओं के पद स्वीकृत हैं। 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं 100 सहायिकाओं के पद रिक्त हैं।

जिला कांकेर में परियोजना प्रशासन द्वारा महिलाओं के प्रशिक्षण में व्यय राशि

31. (क्र. 2947) **श्री भोजराज नाग** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कांकेर जिले में वर्ष 2012-13 से 31 दिसम्बर, 2014 तक परियोजना प्रशासन द्वारा आदिवासी विकास विभाग द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को प्रशिक्षण हेतु कुल कितनी राशि व्यय की गई ? कृपया विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ख) अंतागढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने महिला स्व सहायता समूहों का गठन किया गया है ? कृपया विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करने की कृपा करें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) कांकेर जिले में प्रश्नाधीन अवधि में परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना/आदिवासी विकास विभाग द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग को गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु बजट/राशि प्रदाय नहीं की गई है, अतः उक्त मद से प्रशिक्षण पर व्यय का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ख) अंतागढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 771 महिला स्व सहायता समूहों का गठन किया गया है। विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

बसना विधान सभा क्षेत्र में हितग्राहियों को ट्राईसाईकिल का वितरण

32. (क्र. 2954) **श्रीमती रूपकुमारी चौधरी** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बसना विधान सभा क्षेत्र के अंदर कितने हितग्राहियों को वर्ष 2013 से 12 मार्च, 2015 तक ट्राईसाईकिल का वितरण किया गया है ? विकासखण्डवार जानकारी दें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : बसना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 2013 से दिनांक 12 मार्च 2015 तक 32 हितग्राहियों को ट्राईसाईकिल वितरित किये गये हैं विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक	विकासखंड का नाम	हितग्राहियों की संख्या
1.	पिथौरा	20
2.	बसना	12
योग		32

मनगरा वन चेतना केन्द्र में पौधों का रोपण

33. (क्र. 2963) **श्री गिरवर जंघेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सत्र 2011-12 से 2014-15 में 28 फरवरी, 2015 तक वन चेतना केन्द्र मनगरा (मुढीपार) में किस-किस प्रजाति के कितने पौधों का रोपण किया गया ? (ख) पौधा रोपण हेतु प्रश्नांश "क" की अवधि में सत्रवार कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ ? (ग) रोपित पौधों में कितने जीवित एवं कितनों की कटाई की गई ? वर्तमान में कितने पौधे जीवित हैं ? प्रजातिवार जानकारी दें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) सत्र 2011-12 से 2014-15 में 28 फरवरी, 2015 तक वन चेतना केन्द्र मनगट्टा (मुढीपार) में कोई रोपण नहीं कार्य नहीं किया गया है. (ख) रोपण कार्य नहीं होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) रोपण कार्य नहीं होने से कटाई एवं जीवित पौधों का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

डोंगरगांव विधान सभा क्षेत्र में राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत स्वीकृत एवं व्यय राशि

34. (क्र. 2972) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विधान सभा क्षेत्र में राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत वन एवं गैर वन क्षेत्रों में बिगड़े बांस वनों एवं भीरों के सुधार/कार्यशाला/शिल्पकारों/कृषक को प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये 2012-13 से 2014-15 तक कितनी-कितनी राशि का आवंटन प्राप्त हुआ ? प्राप्त आवंटन के विरुद्ध कितनी-कितनी राशि, किस-किस मद में खर्च की गई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विधान सभा क्षेत्र में राजनांदगांव वनमण्डल अंतर्गत राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत वन एवं गैर वन क्षेत्रों में बिगड़े बांस वनों एवं भीरों के सुधार/कार्यशाला/शिल्पकारों/कृषक को प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये वर्ष 2012-13 में कोई आवंटन नहीं किया गया है. वर्ष 2013-14 में 15.00 लाख एवं वर्ष 2014-15 में 4.50 लाख की राशि बांस प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना एवं शिल्पकारों के कौशल उन्नयन हेतु आवंटन किया गया जो निम्नानुसार है :-

(राशि लाख में)

वर्ष	आवंटित राशि	मदवार खर्च का विवरण	
		मद का नाम	व्यय राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
2013-14	15.00	मांग संख्या 41-2406 (7322) प्रसंस्करण इकाई	15.00
योग	15.00		15.00

(1)	(2)	(3)	(4)
2014-15	4.50	मांग संख्या 41-2406 (7322) प्रसंस्करण इकाई	4.50
योग	4.50		4.50
कुल योग	19.50		19.50

राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विधान सभा क्षेत्र में खैरागढ़ वनमण्डल को राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत वन एवं गैर वन क्षेत्रों में बिगड़े बांस वनों एवं भीरों के सुधार/कार्यशाला/शिल्पकारों/कृषक को प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक कोई आवंटन नहीं किया गया है।

जिला राजनांदगांव में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत एवं व्यय राशि

35. (क्र. 2978) **श्री भोलाराम साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 में राजनांदगांव जिले के अंतर्गत किन-किन मदों में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई ? (ख) कितनी-कितनी राशि, किस-किस मद में खर्च की गई ? कृपया विकासखण्डवार जानकारी दें।

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) विकासखण्ड स्तरीय-ग्रामीण खेल प्रतियोगिता में रुपये 3,60,000/-, महिला खेल प्रतियोगिता मद में रुपये 1,80,000/-, मैराथन दौड़ मद में रुपये 1,71,000/-, युवा उत्सव मद में रुपये 1,35,000/-, ग्रामीण क्षेत्र खेल अभ्यास योजना मद में रुपये 17,01,000/- तथा जिला स्तरीय-ग्रामीण खेल प्रतियोगिता मद में रुपये 2,25,000/-, महिला खेल प्रतियोगिता मद में रुपये 1,20,000/-, मैराथन दौड़ मद में रुपये 46,000/-, युवा उत्सव आयोजन में रुपये 50,000/-, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज में रुपये 1,35,000/-, खेल प्रतियोगिता हेतु संघ को अनुदान मद में रुपये 16,12,850/-, खेल सामग्री क्रय मद में रुपये 2,00,000/-, जिला स्तरीय एक शाम शहीदों के नाम में रुपये 40,000/-, खेल प्रशिक्षण शिविर मद में रुपये 1,50,000/- राशि स्वीकृत किए गए, (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में है।

जिला रायगढ़ में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आयोजित समोहिक विवाह

36. (क्र. 2981) **श्री उमेश पटेल** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के रायगढ़ जिलांतर्गत विगत 2 वर्षों में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत किन-किन स्थलों में शासन की ओर से सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराये गये ? तिथिवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांकित अवधि तक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अलग-अलग जनपद क्षेत्रों से कुल कितने-कितने गरीब परिवार के विवाह योग्य बेटियों का विवाह कराया गया ? (ग) मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत संचालित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह होने वाले जोड़े को शासन की ओर से कितनी आर्थिक सहायता/अनुदान एवं अन्य सामग्री उपहार के रूप में दिये जाते हैं ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) वर्ष 2013 की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” एवं वर्ष 2014 की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है। (ख) वर्ष 2013 की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” एवं वर्ष 2014 की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है। (ग) मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत प्रति कन्या 15,000 रु. सहायता का प्रावधान है, जिसमें से आयोजन पर 2500 रु. व्यय किये जाने, 11,500 रु. उपहार सामग्री के रूप में एवं 1000 रु. ड्राफ्ट या बैंक खाते के माध्यम से प्रदान किये जाने का प्रावधान है। योजना अंतर्गत राशि रुपये 11,500 की व्यय सीमा के अधीन सामग्री प्रदाय हेतु जारी की गई सुझावात्मक सूची अनुसार वर-वधु के कपड़े, श्रृंगार सामग्री, बर्तन सेट, टीन की पेटी/सूटकेस, स्टील अलमीरा, बिस्तर एवं गृहस्थी के लिये न्यूनतम आवश्यक सामग्री प्रदाय की जाती है।

प्रदेश में मूक बधिर/शारीरिक विकलांगों हेतु संचालित शैक्षणिक संस्थान

37 (क्र. 2986) **श्री अवधेश सिंह चंदेल** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मुक बधिर/शारीरिक विकलांगों की शिक्षा हेतु शैक्षणिक संस्था किस-किस स्तर की कहां-कहां संचालित है ? जिलेवार जानकारी उपलब्ध करायें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : प्रदेश में मूक बधिर/शारीरिक विकलांगों की शिक्षा हेतु शैक्षणिक संस्था शासकीय/स्वैच्छिक संस्थाओं की जिलेवार जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है.

“ब” में है. (ग) भानुप्रतापपुर विधान क्षेत्र अंतर्गत पशुओं के टीकाकरण में वर्ष 2013-14 में राशि रु. 12,20,855/- एवं वर्ष 2014-15 (फरवरी 2015) में राशि रु. 6,90,943/- व्यय हुई. विस्तृत विवरण † संलग्न प्रपत्र “स” में है.

जिला कांकेर में संचालित आदिवासी आश्रम एवं छात्रावास

34. (क्र. 2828) **श्री शंकर ध्रुवा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कांकेर में कुल कितने आदिवासी कन्या एवं बालक आश्रम-छात्रावास कितनी-कितनी क्षमता के संचालित है ? (ख) प्रश्नांश “क” के संचालित आश्रम एवं छात्रावासों में कितने-कितने पद स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त है ? (ग) रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जिला कांकेर में 34 आदिवासी कन्या आश्रम एवं 42 बालक आश्रम, 31 आदिवासी कन्या छात्रावास एवं 75 बालक छात्रावास संचालित है. आश्रम/छात्रावास की क्षमता का विवरण †† संलग्न प्रपत्र “अ” पर दर्शित है. (ख) उक्त संचालित आश्रम एवं छात्रावासों में स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है. (ग) यथा संभव शीघ्र. निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

जिला कांकेर में संचालित आश्रम एवं छात्रावास हेतु क्रय सामग्री

35. (क्र. 2829) **श्री शंकर ध्रुवा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कांकेर में कुल कितने आदिवासी कन्या एवं बालक आश्रम-छात्रावास कितनी-कितनी क्षमता के संचालित है ? (ख) प्रश्नांश “क” के तहत संचालित आश्रम एवं छात्रावासों हेतु वर्ष 2013-14 में किस-किस मद से कौन-कौन सी सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में कब-कब की गई ? क्या उक्त हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी ? यदि हां तो, कब-कब ? (ग) सामग्री आपूर्ति करने हेतु किस-किस संस्था फर्म को कार्यादेश कितनी-कितनी मात्रा में आपूर्ति हेतु दिया गया तथा संबंधित को कितनी-कितनी मात्रा का भुगतान किस-किस दर से किया गया ? (घ) क्या आपूर्ति किये गये सामग्री के गुणवत्ताविहीन होने की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है.

बलरामपुर जिला गठन के उपरांत वन भूमि पट्टा प्रदाय के प्राप्त आवेदन

36. (क्र. 2921) **श्री बृहस्पत सिंह** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पृथक बलरामपुर जिले के गठन के उपरांत वन भूमि पट्टे के लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ? (ख) प्राप्त आवेदनों में से दिनांक 15-03-2015 तक कितने आवेदकों को पट्टा प्रदान किया जा चुका है ? कितने शेष है ? (ग) शेष आवेदकों को कब तक पट्टा दिया जा सकेगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) कुल 9898 आवेदन प्राप्त हुए. (ख) प्राप्त आवेदनों में से दिनांक 15-03-2015 तक कुल 203 आवेदकों को वन अधिकार पत्र प्रदान किया चुका है. 638 शेष है, तथा 9057 आवेदन अपात्र होने से निरस्त किया गया है. (ग) निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

संजारी बालोद विधान सभा क्षेत्र को बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा अनु. जाति विकास प्राधिकरण अंतर्गत स्वीकृत कार्य

37. (क्र. 2929) **श्री भैयाराम सिन्हा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत पांच वित्तीय वर्षों में संजारी बालोद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण तथा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के तहत कितने कार्य कितनी राशि के स्वीकृत किये गये ? (ख) क्या कंडिका “क” में स्वीकृत सभी कार्य पूर्ण कर लिये गए हैं ? यदि नहीं तो कितने कार्य अपूर्ण है ? अपूर्ण कार्यों को कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	प्राधिकरण का नाम	स्वीकृत कार्य संख्या	स्वीकृत राशि (राशि लाखों में)
1.	बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण	104	458.28
2.	अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण	57	265.83
योग		161	724.11

(ख) स्वीकृत 161 कार्यों में से 143 कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं तथा 18 अपूर्ण हैं. यथासंभव शीघ्र. निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है.

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्र. 2245) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

सरगुजा एवं सूरजपुर जिले के 17 ग्रामों के उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिल भुगतान नहीं करने पर विद्युत सप्लाई काटे गये ग्रामों का विकासखण्डवार विवरण

क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड	ग्राम का नाम	बकाया राशि (रु० में)
1	सरगुजा	उदयपुर	देवटिकरा	4,18,667.00
2		उदयपुर	रकेली	2,00,229.00
3		उदयपुर	नुनेरा	4,26,351.00
4		उदयपुर	घाटबर्सा	2,34,887.00
5		उदयपुर	जजगा	17,73,492.00
6		उदयपुर	जजगी	5,48,487.00
7		उदयपुर	साधर	6,18,815.00
8		उदयपुर	कूमदेवा	6,72,939.00
9		उदयपुर	खम्हरिया	19,49,130.00
10		उदयपुर	भदवाही	7,44,108.00
11		उदयपुर	तोलगा	6,93,785.00
12	सूरजपुर	प्रेमनगर	नवापाश खर्द	7,86,682.00
13		प्रेमनगर	केदारपुर	1,26,635.00
14		प्रेमनगर	सलका	3,42,811.00
15		प्रेमनगर	महगई	5,57,769.00
16		प्रेमनगर	कालीपुर	97,357.00
17		प्रेमनगर	पंडरी	5,44,463.00
कुल योग				1,07,36,587.00

पुरिशिष्ट "दो"

[तारकित प्रश्न संख्या 02 (क. 2567) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण द्यूरो द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के यहाँ मारे गये छापे में प्राप्त नगदी एवं अन्य सम्पत्ति की जानकारी

क्र.	आरोपी अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता	नगद राशि (रुपये में)	प्राप्त अन्य सम्पत्ति का मूल्य (रुपये में)
1	श्री आलोक अग्रवाल, कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन विभाग, बिलासपुर।	40,62,200	1,76,95,101
2	श्री अबरार बेग, उपयंत्री, खारंग जल संसाधन विभाग, बिलासपुर।	4,17,97,000	10,41,350
3	श्री जी०आर० देवांगन, उपयंत्री, खारंग जल संसाधन विभाग, बिलासपुर।	63,65,000	16,00,100
4	श्री विजय कुमार सिंह ठाकुर, उपयंत्री, खारंग जल संसाधन विभाग, बिलासपुर।	85,59,000	12,80,710
5	श्री विनोद मलेवार, एस०डी०ओ०,	53,80,000	—
6	श्री बी०डी०एस० नरवरिया, उपयंत्री	56,80,000	—
	योग	7,18,43,200	2,16,17,261

प्रपत्र "ब"

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

क्र.	अपराध क्रमांक एवं पंजीयन दिनांक	आरोपी का नाम, पदनाम एवं पता	धाराएं
1.	56/2014 29.12.2014	(1) श्री आलोक अग्रवाल, कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन विभाग, बिलासपुर। (2) अबरार बेग, उपयंत्री, खारंग जल संसाधन विभाग, बिलासपुर। (3) श्री जी०आर० देवांगन, उपयंत्री, खारंग जल संसाधन विभाग, बिलासपुर। (4) श्री विजय कुमार सिंग ठाकुर, उपयंत्री, खारंग जल संसाधन विभाग, बिलासपुर।	420,467, 468,471, 120-बी भा.द.वि. एवं 13(1) डी, 13 (2) भ. नि.अ. 1988
2	05/2015 19.01.2015	श्री आलोक अग्रवाल, कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन विभाग, बिलासपुर।	109, 120बी, 420, 467, 468, 471 भा.द.वि. एवं 13(1) ई, 13 (2) भ.नि. अ. 1988

परिशिष्ट "तीन"
[तदर्थित प्रश्न संख्या 04 (क. 2974) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रश्न "अ"

विधानसभा क्षेत्र साजा की जानकारी

क. जिले का नाम	परियोजना का नाम	स्त्री. आ. वा. केन्द्रों के संख्या	संचालित स्त्री. आ. वा. केन्द्रों के संख्या	असंचालित स्त्री. आ. वा. केन्द्रों के संख्या	सभी मले से कुल स्त्री. आ. वा. भवनों की निर्माण की स्थिति				आ. वा. केन्द्रों की संख्या जिनके लिए भवन स्वी नहीं हैं।	स्वयं के भवन में संचालित आ. वा. केन्द्रों की संख्या	आ. वा. केन्द्रों की संख्या जो स्वयं के भवन में संचालित नहीं हैं।	वि. स. के भवनों में संचालित आ. वा. भवनों की संख्या	अन्य शासकीय भवन में संचालित आ. वा. केन्द्रों की संख्या	सामुदायिक संस्थानों के भवन में संचालित आ. वा. केन्द्रों की संख्या
					आ. वा. केन्द्रों की संख्या जिनके लिए स्त्री. आ. वा. भवन स्वी नहीं हैं।	प्रारंभ भवनों की संख्या	अपूर्ण भवनों की संख्या	पूर्ण भवनों की संख्या						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	बंमतरा	256	256	0	203	15	34	154	53	148	108	73	20	15
2	दुर्ग	151	151	0	121	1	11	109	30	108	43	29	9	5
योग -		407	407	0	324	16	45	263	83	256	151	102	29	20

प्रपत्र "ब"

क्र.	हितग्राही श्रेणी	पूरक पोषण आहार अंतर्गत वितरण की जाने वाली सामग्री
1	6 माह से 3 वर्ष आयु के सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चे	इस श्रेणी के हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा में रेडी टू ईट फूड, मुर्दा लड्डू प्रति मंगलवार सप्ताह के 6 दिवस हेतु टेक होम राशन के रूप में वितरित किया जाता है ।
2	3 से 6 वर्ष के सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चे.	इस श्रेणी के हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा में भीनू अनुसार नाश्ता, गर्म भोजन प्रतिदिन (सप्ताह के 6 दिवस हेतु), मुर्दा लड्डू (सप्ताह में एक दिन) साथ ही गंभीर कुपोषित बच्चों को रेडी टू ईट फूड निर्धारित मात्रा में सप्ताह के 6 दिन टेक होम राशन के रूप में वितरित किया जाता है ।
3	गर्भवती एवं शिशुवती महिलाएं	इस श्रेणी के हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा में रेडी टू ईट फूड, मुर्दा लड्डू प्रति मंगलवार सप्ताह के 6 दिवस हेतु टेक होम राशन के रूप में वितरित किया जाता है ।
4	किशोरी बालिकाएं	इस श्रेणी के हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा में रेडी टू ईट फूड सप्ताह के 6 दिवस हेतु द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को टेक होम राशन के रूप में वितरित किया जाता है ।

टीप:- राज्य शासन द्वारा कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती शिशुवती महिलाओं को प्रतिमाह 01 किलोग्राम डबल फोर्टिफाईड साल्ट देने के निर्देश है, किन्तु भारत सरकार से संशोधित निर्देश प्राप्त न होने के कारण वर्तमान में डबल फोर्टिफाईड साल्ट का प्रदाय नहीं किया जा रहा है ।

परिशिष्ट "चार"

[तर्जित प्रश्न संख्या 09 (क. 2977) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड

क्र. सं.	परिषद	दर्ज पी.ओ.आर. प्रकरण		अपराधी संख्या	नामजद प्रकरण	अपराधी का नाम	काट गये वृक्ष की प्रजाति	मात्रा	अनुसंगान के तहत वसूल की गई राशि (रु. में.)
		नामजद	योग						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	मोहला	02	110	04	01	1) श्री देवकुमार व. बरतलाल 2) श्री नकुल व. सवल	बोल्डर पत्थर	8 घ.मी	10000
2	भोजटोला	-	101	101	-	1) श्री मोहित व. पन्कजराज 2) श्री लक्ष्मण व. भंवर सिंह	मिश्रित प्रजाति (जलाऊ) गड़दे	2 गड़दे	1000
3	खडगांव	-	81	81	-	1) श्री वीरसिंह व. पतिराम	मिश्रित प्रजाति (जलाऊ)	एक बेलगाड़ी	1000
4	बोरिया	04	80	84	01	1) श्री प्यारेलाल व. शिवराम 2) श्री गुरुरीलाल व. शिवराम	सागौन	0.054 घ.मी	400
5	मिस्सी	-	70	70	01	1) श्री विजूराम व. मेनुराम 1) श्री महेश व. निरसिंह	सागौन	0.064 घ.मी	500
6	देववाडवी	-	61	61	01	-	सागौन	0.500 घ.मी	-
	योग :	06	503	509	06	-	-	-	12900

परिशिष्ट "पांच"

[तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 2525) के भाग (क) की जानकारी]

बिल्हा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत खनिज डोलोमाईट खनिजपट्टेधारियों को जारी विस्फोटक अनुज्ञप्ति की जानकारी

क्र.	खनिजपट्टाधारियों का नाम एवं पता	तहसील/स्थान(ग्राम) का नाम	स्वीकृत रकबा (हेक्टर में)	विस्फोटक अनुज्ञप्ति का क्रमांक	विस्फोटक अनुज्ञप्ति ग्राम एवं खसरा क्रमांक
1	2	3	4	5	6
1	मेसर्स मुरारीलाल केदारमल पो. श्रीमती पार्वती बाई अग्रवाल निवासी-बिल्हा, जिला बिलासपुर	धौराभाठा	3.381	ई/सीसी/सीजी/ 22/90 (ई 9751)	ग्राम धौराभाठा - खसरा नं. 120
2	मेसर्स मुरारीलाल केदारमल पो. श्रीमती पार्वती बाई अग्रवाल निवासी - बिल्हा, जिला बिलासपुर	हरदी	6.058	ई/सीसी/सीजी/ 22/90 (ई 9751)	ग्राम धौराभाठा - खसरा नं. 120
3	मेसर्स मुरारीलाल केदारमल पो. श्रीमती पार्वती बाई अग्रवाल निवासी - बिल्हा, जिला बिलासपुर	धौराभाठा	2.096	ई/सीसी/सीजी/ 22/90 (ई 9751)	ग्राम धौराभाठा - खसरा नं. 120
4	मेसर्स सिंह स्टोन माईन्स प्रो. श्री रघुराज सिंह निवासी - बिलासपुर	धौराभाठा	4.374	ई/सीसी/सीजी/ 22/342 (ई 47061)	ग्राम निपनिया-खसरा नं. 15/2, 15/3
5	श्री हरीश कुमार शाह निवासी - विनोबा नगर, बिलासपुर	धौराभाठा	2.721	ई/सीसी/सीजी/ 22/107 (ई 9850) एवं ई/सीसी/सीजी/ 22/94 (ई 9778)	ग्राम चिचिरदा-खसरा नं. 112 एवं ग्राम मेड़पार-खसरा नं. 299
6	श्री एन.एस. सहगल प्रो. एसोसियेटेड मायनिंग कंपनी बिलासपुर	हरदी	4.212	ई/सीसी/सीजी/ 22/12 (ई 8647)	ग्राम हरदी-खसरा नं. 7
7	सेन्ट्रल इंडिया स्टोन माईन्स श्री नरेश कुमार अग्रवाल निवासी - बिल्हा जिला बिलासपुर	धौराभाठा	3.090	ई/सीसी/सीजी/ 22/27 (ई 9033)	ग्राम खरकेना-खसरा नं. 1107 (पीसी-21)
8	मे. शिवशंकर मिनरल्स एण्ड डोलोमाईट श्री गोपाल अग्रवाल, बिल्हा, बिलासपुर	धौराभाठा	2.247	ई/सीसी/सीजी/ 22/8 (ई 8396)	ग्राम धौराभाठा-खसरा नं. 280

क्र.	रनिपदटाधारियो का नाम एवं पता	तहसील/स्थान(ग्राम) का नाम	स्वीकृत रकबा (हेक्टर में)	विस्फोटक अनुज्ञापि का क्रमांक	विस्फोटक अनुज्ञापि ग्राम एवं खसरा क्रमांक
1	2	3	4	5	6
9	मै. शिवशंकर मिन्तरत्स एण्ड डोलामाईट श्री गोवर्धन अग्रवाल, बिल्हा, बिलासपुर	हरदी	3.969	ई/सीसी/सीजी/ 22/8 (ई 8396)	ग्राम धीराभाटा-खसरा नं. 260
10	बिलासपुर मायनिंग इंडिया प्रा.लिमि. श्री नरेश कुमार अग्रवाल निवासी - बिल्हा जिला बिलासपुर	हिरी	2.008	ई/सीसी/सीजी/ 22/27 (ई 9033)	ग्राम खरकेना-खसरा नं. 1107 (पीसी-21)
11	बिलासपुर मायनिंग इंडिया प्रा.लिमि. श्री नरेश कुमार अग्रवाल निवासी - बिल्हा जिला बिलासपुर	हिरी	3.24	ई/सीसी/सीजी/ 22/27 (ई 9033)	ग्राम खरकेना-खसरा नं. 1107 (पीसी-21)
12	मै. गुप्ता स्टोन माइन्स प्रो. श्री द्वारिका प्रसाद गुप्ता निवासी - मेनरोड बिल्हा, जिला बिलासपुर	हिरी	1.781	ई/सीसी/सीजी/ 22/468 (ई 48982) एवं ई/सीसी/सीजी/ 22/288 (ई 37724)	ग्राम खरकेना-खसरा नं. 888 एवं ग्राम खरकेना-खसरा नं. 831
13	श्री गोविन्द अग्रवाल निवासी - बिल्हा जिला बिलासपुर	पेण्डीडीह	1.820	ई/सीसी/सीजी/ 22/95 (ई 9787)	ग्राम पेण्डीडीह-खसरा नं. 247
14	श्री कृष्ण कुमार गोरख निवासी - दयालबंद बिलासपुर	पेण्डीडीह	0.971	ई/सीसी/सीजी/ 22/26 (ई 9026)	ग्राम पेण्डीडीह-खसरा नं. 284/1, 272, 276
15	श्री आर.के. सिंह निवासी - आदर्श कालोनी, बिलारापुर	हरदी	6.050	ई/सीसी/सीजी/ 22/342 (ई 47061)	ग्राम निपनिया-खसरा नं. 15/2, 15/3
16	मेसर्स स्टील अथॉरटी ऑफ इंडिया (लि.बी.एम. पी. भिलाई)	पेण्डीडीह	100.85	ई/एच ड्यू/सीजी /22/155 (ई 37703)	ग्राम छतौना-खसरा नं. 479/1
17	श्री सुनील जैन आ. श्री शिखरचंद जैन निवासी -भारतीय नगर, बिलासपुर	झलफा	4.047	ई/सीसी/सीजी/ 22/113 (ई 28347)	ग्राम झलफा-खसरा नं. 115/1क

परिशिष्ट "छः"

[तारिखित प्रश्न संख्या 11 (क. 2765) के भाग (ब) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

दिनांक 01-01-2014 से 28-01-2015 में सड़क दुर्घटना से मृतक के परिवार को दी गई श्रद्धापूर्ति राशि की जानकारी

क्र.	मृतक का नाम	मृत्यु दिनांक	घटना क्षेत्र	मृतक के आश्रित का नाम एवं पता जिनको श्रद्धापूर्ति राशि भुगतान किया गया	मृतक का संबंध	स्वीकृत राशि	भुगतान की गई राशि	भुगतान दिनांक
		3	4	5		6	7	8
1	स्व. गीतमदास	02.01.14	दरौ	श्रिया महंत पति स्व. गीतम दास साकिन रामनगर तहसील कटघोरा	पति	25000	25000	02.01.2014
2	स्व. अमीरदास	02.01.14	दरौ	कमिता महंत पिता अगीर दास साकिन रामनगर तहसील कटघोरा	पुत्री	25000	25000	02.01.2014
3	स्व. अशोक कुमार	05.01.14	दरौ	राजकुमार नाग गंभीर साथ साकिन छिरहुट तहसील कटघोरा	पिता	25000	25000	05.01.2014
4	स्व. विजय दास	22.02.14	दरौ	गीखन दास आ. श्यामदास साकिन नरेडीमुडा तहसील कटघोरा	पिता	25000	25000	20.06.2014
5	स्व. आबील अली	12.01.14	करौली	अजमत अली आठ करामत अली साकिन छुईडाडा तहसील कोरवा	पिता	25000	25000	18.11.2014
6	स्व. रामेश्वर लाल	13.01.14	पाली	शिवकुमारी पति स्व. रामेश्वर लाल साकिन दगिया तहसील पाली	पति	25000	25000	15.11.2014
7	स्व. लक्ष्मण	16.01.14	पाली	राधाबाई स्व. लक्ष्मण साकिन भोपालपुर तहसील पाली	पति	25000	25000	08.10.2014
8	स्व. सनदराम	19.01.14	पाली	महेश सिंह पिता स्व. त्रिलोक सिंह साकिन नवागांव तहसील पाली	पुत्र	25000	25000	07.07.2014
9	स्व. नयाराम	31.08.14	बांगो	रूजबाई पति स्व. नयाराम साकिन पॉन्डीउपरदेडा तहसील पॉन्डीउपरदेडा	पति	25000	25000	15.12.2014
10	स्व. सरोज कन्ना	05.03.14	बालको	प्रेमबाई पति स्व. राजेश साकिन भद्राधारा तहसील कोरवा	पति	25000	25000	13.01.2015
11	स्व. छोटू चौहान	08.03.14	बालको	ईतवार बाई पति स्व. रामन सिंह साकिन बेगुगिरीबस्ती तहसील कोरवा	माता	25000	25000	18.11.2014
12	स्व. सुरेन्द्र कुमार	09.03.14	बालको	रघुबाई पति स्व. दासूसिंह साकिन बेगुगिरीबस्ती तहसील कोरवा	माता	25000	25000	18.11.2014
13	स्व. अनिता कुमार	31.03.14	कुसमुण्डा	रामेश्वर आ. सुरिया राम धमनागुडी हाल मुकाम गेवरा तहसील कटघोरा	पिता	25000	25000	04.06.2014
14	स्व. रामप्रसाद	07.04.14	कटघोरा	जलबाई पति स्व. रामप्रसाद साकिन कटघोरा तहसील कटघोरा	पति	25000	25000	11.08.2014
15	स्व. राजेन्द्र	02.02.14	कटघोरा	राति पति स्व. राजेन्द्र पटेल साकिन अमलडीहा तहसील पॉन्डीउपरदेडा	पति	25000	25000	21.04.2014
16	स्व. रेहाना परबिन	11.05.14	कटघोरा	सफात बाई पति स्व. तावकअली साकिन कटघोरा तहसील कटघोरा	माता	25000	25000	08.08.2014
17	स्व. योगेन्द्र दास	30.05.14	कोरवा	कृष्णोदास महंत पिता पीलादास महंत साकिन डोडीपारा तहसील कोरवा	पिता	25000	25000	18.11.2014
						425000	425000	

योग

प्रपत्र "ब"

दिनांक 01-01-2014 से 28-01-2015 में सड़क दुर्घटना से मृतक के परिवार को दी गई क्षतिपूर्ति राशि भुगतान हेतु शेष की जानकारी

क्र.	मृतक का नाम	मृत्यु दिनांक	घटना क्षेत्र थाने का नाम	मृतक के आश्रित का नाम एवं पता जिनका शेष भुगतान किया जाना है	मृतक का संबंध	स्वीकृत राशि	भुगतान हेतु शेष	टिप्पणियाँ
1	1 स्व. चरण सिंह	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व. चरण सिंह	10.01.14	कुसमुण्डा	स्व. चरणसिंह साकिन गेटरा तहसील कटघोरा	पति	25000	25000	भुगतान की कार्यवाही प्रक्रिया में है।
2	स्व. हुलासराम	15.02.14	कुसमुण्डा	सुकन्या देवी पति स्व. हुलास राम पटेल साकिन मिशनरोड तहसील कोरवा	पति	25000	25000	
3	स्व. गणेश कुमार	14.01.14	कटघोरा	शांतिबाई पति स्व. झाडूराम साकिन कटघोरा तहसील कटघोरा	माता	25000	25000	
4	स्व. शिव प्रताप	17.05.14	कटघोरा	पुष्पाबाई पति स्व. शिवप्रसाद साकिन कटघोरा तहसील कटघोरा	पति	25000	25000	
5	स्व. सुधीना	23.01.14	बालको	खिलावन मरकाम आठ नोहर सिंह साकिन कुदरीखार तहसील कोरवा	पति	25000	25000	
6	स्व. सागर सिंह	23.01.14	बालको	कामता बाई पति स्व. सागर सिंह साकिन गुरुडीह तहसील कोरवा	पति	25000	25000	
7	स्व. शुकवारो बाई	23.01.14	बालको	फिरतराम रावत आठ स्व. भोकसूराम साठ गुरुडीह तहसील कोरवा	पुत्र	25000	25000	
8	स्व. सुलनाथ	03.02.14	बालको	हीरामणी नागवंशी पति सुखनाथ साकिन पथरीपाण तहसील कोरवा	पति	25000	25000	
9	स्व. यु. किरण	10.08.14	बालको	दीनदयाल यादव आठ रमाशंकर साकिन गाधुपानी तहसील कोरवा	पिता	25000	25000	
10	स्व. कृष्ण कुमार	25.02.14	सरगा	रामप्रसाद आदिले आठ हीरामनाथ आदिले साकिन उरगा तहसील कोरवा	पिता	25000	25000	

क्र.	भूतक का नाम	मृत्यु दिनांक	घटना क्षेत्र शाने का नाम	भूतक के आश्रित का नाम एवं पता जिनको राशि भुगतान किया जाना है	मृतक का संबंध	स्वीकृत राशि	भुगतान हेतु शेष	शिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	स्व. अफजल गैमन	27.08.14	उरगा	रुकसाना बानो पति स्व. अफजल गैमन साठ उरगा तहसील कोरवा	पति	25000	25000	"
12	स्व. संतोष दास	15.04.14	पाली	बंधनबाई पति स्व. संतोष दास साकिन ग्राम रंगोले तहसील पाली	पति	25000	25000	"
13	स्व. पुनीराम	08.05.14	पाली	रामजी आठ स्व. पुनीराम साकिन धैतगा तहसील पाली	पुत्र	25000	25000	"
14	स्व. फूलसिंह कंवर	27.06.14	बांगो	बालकृंवर पति स्व. फूलसिंह कंवर साकिन कानकोना तहसील पेंडीउपरोड़ा	पति	25000	25000	"
15	स्व. चन्द्रपाल सिंह	10.07.14	पसान	रामबाई पति स्व. चन्द्रपाल सिंह साकिन फूलसर तहसील पेंडीउपरोड़ा	पति	25000	25000	"
16	स्व. प्रेमलाल	04.05.14	कोरवा	अमरिका बाई पति गणेशराम साकिन कुदरी तहसील कोरवा	माता	25000	25000	"
17	स्व. कातिबाई	04.05.14	कोरवा	अमरिका बाई पति गणेशराम साकिन कुदरी तहसील कोरवा	माता	25000	25000	"
18	स्व. भंवर सिंह	18.03.14	कोरवा	मनता पति स्व. भंवर सिंह साकिन कोरवा तहसील कोरवा	पति	25000	25000	"
19	स्व. अमर यादव	15.09.14	कोरवा	मिरजा यादव पति स्व. अमर यादव साठ मणु स्त्री के पीछे तहसील कोरवा	पति	25000	25000	"
						475000	475000	

योग

प्रपत्र "स"

दिनांक 01-01-2014 से 28-01-2015 में सबूक दुर्घटना से गंभीर रूप से घायलों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि की जानकारी

क्र.	घायलों का नाम	दुर्घटना दिनांक	घटना क्षेत्र घाने का नाम	घटना का प्रकार	स्वीकृत राशि	दुगतान हेतु शेष	टिप्पणियाँ
		3	4	5	6	7	8
1	हीरामणी नागवंशी परि सुखनाथ साकिन पधरीपारा तह0 कोरवा	23.01.14	बालको	गंभीर चोट	10000	10000	मुगतान की कार्यवाही प्रक्रिया में है।
2	योगेश कुमार आ0 श्यामलाल साकिन करी तह0 पाली	27.02.14	पाली	गंभीर चोट	10000	10000	मुगतान की कार्यवाही प्रक्रिया में है।
					20000	20000	

योग

1	2	3	4	5
5	--:--	--:--	मेनका माता स्वसहायता समूह परसाही बाना	28-08-2009
6	--:--	--:--	महालक्ष्मी स्वसहायता समूह पौन	02-01-2012
7	--:--	--:--	राधाकृष्ण महिला स्वसहायता समूह अकलतरा	01-07-2013
8	--:--	--:--	विशवा महिला स्वसहायता समूह तराद	28-08-2009
9	--:--	बलौरा	ज्ञानमंगा स्व सहा. समूह सोनबरसा पो.जा. डोगरी	28-08-2009
10	--:--	--:--	सहयोगी प्राण लक्ष्मी स्व सहा. समूह चारपारा	01.07.2013
11	--:--	--:--	नवोदय स्व सहा. समूह बिराहनी ब	28-08-2009
12	--:--	--:--	अमरौतिन स्व सहा. समूह बेलदुकरी	28-08-2009
13	--:--	--:--	मिनीमाता स्व सहा. समूह बुडगाहन वि.ख. बलौरा	09-09-2009
			13	
1	पामगढ	पामगढ	पामगढहीन चाई स्व.सहायता समूह पामगढ	28-08-2009
2	--:--	--:--	विकास स्व.सहायता समूह बोहाडीह	03-12-2012
3	--:--	--:--	नौ गायत्री स्व.सहायता समूह खपरी	02-01-2012
4	--:--	--:--	ज्वालामुखी स्व.सहायता समूह पहला	28-08-2009
5	--:--	--:--	नमता स्व.सहायता समूह पनगांव	28-08-2009
6	--:--	--:--	चौहान स्व.सहायता समूह राहौर	28-08-2009
7	--:--	--:--	दूर्गा स्व.सहायता समूह मेकरी	03-12-2012
8	--:--	--:--	जयंती स्व.सहायता समूह कंसला.	03-12-2012
9	--:--	--:--	मा संतोषी स्व.सहायता समूह तनौद	02-06-2013
10	--:--	नवागढ 1	जय मां संतोषी स्वसहायता समूह तुसा	28-08-2009
11	--:--	--:--	अनपूर्णा स्वसहायता समूह (तुसा) शिवरीनारायण	09-09-2009
12	--:--	--:--	जय लक्ष्मी स्वसहायता समूह (मिसवा) कंरा	09-09-2009
13	--:--	--:--	मां कर्मा महिला स्वसहायता समूह, सलाहन	28-08-2009
			13	
1	जांजगीर	जांजगीर	सुशोभल स्व सहा. समूह पु. संदरी पो.जा. कुशुद	28-09-2009
2	--:--	--:--	आंवला महिला स्व सहायता समूह ग्राम भैसमुडी	02-06-2013

1	2	3	4	5
3	--:--	--:--	माँ संतोषी स्व. सहा. समूह स्थापनाय सिजनी भेला	28-09-2009
4	--:--	--:--	जय माँ लक्ष्मी स्व सहायता समूह करमंदी	02-06-2013
5	--:--	--:--	जय माँ दुर्गाशक्ति स्व सहा. समूह नवापारा पो.आ. अमोदा	28-09-2009
6	--:--	--:--	सरस्वती स्व सहायता समूह, भडेसर	05-05-2014
7	--:--	--:--	माँ मनकायाई स्व सहा. समूह धाराशिव खोखरा	09-09-2009
8	--:--	--:--	शास्त्र स्व सहा. समूह पुटपुरा	09-09-2009
9	--:--	बलौदा	पूर्णा महिला स्व सहायता समूह ग्राम कुल्दा	15-03-2012
10	--:--	नवागढ़ 1	सरस्वती स्वसहायता समूह अकलतरी(सेमरा)	09-09-2009
11	--:--	--:--	माँ शारदा स्वसहायता समूह नवागढ़	28-08-2009
			11	
1	चन्द्रपुर	डभरा	शारदा स्व सहायता समूह फरसवानी	28.08.2009
2	--:--	--:--	माँ श्रुत स्व सहायता समूह कटौद	28.08.2009
3	--:--	--:--	जय लक्ष्मी स्व सहायता समूह जवाली	28.08.2009
4	--:--	--:--	जयसतनाम स्व सहायता समूह बांधापली	28.08.2009
5	--:--	--:--	माँ दुर्गा स्व सहायता समूह कवलाशर	02-01-2012
6	--:--	--:--	माँ लक्ष्मी स्व सहायता समूह कटौद	02-01-2012
7	--:--	--:--	एकता महिला स्व सहा. समूह केकराभांड	03-12-2012
8	--:--	--:--	के.ए.एस. फाउण्डेशन शिव शक्ति समूह केकराभांड	03-12-2012
9	--:--	--:--	अम्बे स्व सहायता समूह डभरा	03-12-2012
10	--:--	मालखरीद	जय माँ दुर्गा महिला स्व. सहा. समूह अमराडीह	28.08.2009
11	--:--	--:--	जय चण्डी ईश्वर महिला स्व.सहा. समूह सिंधरा	28.08.2009
12	--:--	--:--	जय लक्ष्मी स्व.सहा. समूह नरियरा	28.08.2009
13	--:--	--:--	महिला बचत साख समूह सारसडोल	28.08.2009
			13	

1	2	3	4	5
1	सक्ती	सज्जी	नौ संगोषी स्व सहायता समूह	28-08-2009
2	--:--	--:--	महामाया स्व सहायता समूह, देवठी	28-08-2009
3	--:--	--:--	जय गाँ मनका दाई स्व सहायता समूह, सकरेली (ब)	09-09-2009
4	--:--	--:--	महामाया स्व सहायता समूह, सबती	28-08-2009
5	--:--	--:--	योगेश्वरी स्व सहायता समूह, जावंग	28-08-2009
6	--:--	--:--	मिठानीन स्व सहायता समूह, सकरेली (बा)	09-09-2009
7	--:--	--:--	जय भा लक्ष्मी स्व सहायता समूह, नगरदा	28-08-2009
8	--:--	--:--	दया डेयरी स्व सहायता समूह, जावंग	28-08-2009
9	--:--	बहनीडीह	जय नौ वैष्णोवरेवी स्व सहायता समूह हथनेवरा	01.01.2009
10	--:--	--:--	आन्ना स्व सहायता समूह सायगाँव	01.01.2009
11	--:--	--:--	चौदनी स्व सहायता समूह सहराहड़	01.01.2009
12	--:--	--:--	भौ शारदा स्व सहायता समूह सकरेली	01.03.2012
13	--:--	--:--	दिनानी स्व सहायता समूह पोडीकला	01.07.2013
14	--:--	बलौदा	नौ मङ्गारानी स्व सहा. समूह कुरवा भाटाथारा, शिवनी	09-09-2009
15	--:--	--:--	नौ मेरिना महिला स्व सहायता समूह प्रेमनगर चाँला	15-03-2012
		योग :-	15	
		महायोग :-	79	

परिशिष्ट "आठ"
[कार्यरत प्रश्न संख्या 13 (क. 2004) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

1	2	3	4	वर्ष (क. 2)											
				2012-13		2013-14		2014-15							
				वृत्तारोपण कार्य	वृत्तारोपण कार्य से नवान कार्य	वृत्तारोपण अनुसंधान कार्य	वृत्तारोपण अनुसंधान कार्य से नवान कार्य	वृत्तारोपण अनुसंधान कार्य	वृत्तारोपण अनुसंधान कार्य से नवान कार्य	वृत्तारोपण अनुसंधान कार्य					
2013-14	वेरवा	मिलिट्री स्टील स्टांड	समवा, 2858 मार्ग पथ रोपण सिमाही	5614946	275656	5830802	-	378836	1123663	35346	483365	-	419528	-	418626
2014-15	केरला	एन.एन.टी.सी. जगदलपुर	खगुलखर्द मार्ग पथ रोपण	-	5156375	5148875	-	-	-	-	-	-	1635477	725114	2333361
	सावा		विटोर सावा पथ रोपण	-	-	687197	637197	-	-	-	-	-	308229	387958	687197
योग:				5614946	6130728	11754674		378836	1123663	35346	483365	1047736	1532710		1483416

प्रति

परिशिष्ट - नौ

[तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 2955) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

विभाग एवं वन विकास निगम द्वारा खनीकरण क्षेत्र, रोपित पौधों एवं जीवित पौधों की जानकारी

वर्ष	विभाग/ वन विकास निगम	खनीकरण क्षेत्रफल (हे.में)	पथ वृक्षारोपण (कि.मी)	रोपित पौधों की संख्या	जीवित पौधों संख्या
2010-11	विभाग	1531.960	0.00	2154732	1246324
	वन विकास निगम	31.200	0.00	78000	66300
योग :-		1563.160	0.00	2232732	1312624
2011-12	विभाग	1169.675	21.00	1738065	1232408
	वन विकास निगम	30.000	0.00	75000	63750
योग :-		1199.675	21.00	1811065	1296158
2012-13	विभाग	1372.000	7.00	1747000	1374185
	वन विकास निगम	101.000	0.00	252500	209683
योग :-		1473.000	7.00	1999500	1583868
2013-14	विभाग	820.000	16.00	1271200	1079802
	वन विकास निगम	8.000	0.00	20900	17000
योग :-		828.000	16.00	1291200	1096802
2014-15 (12.03.2015)	विभाग	810.800	6.00	1354180	1333808
	वन विकास निगम	170.720	0.00	426800	366445
योग :-		981.520	6.00	1780980	1700253
महायोग :-		6045.355	50.000	9115477	6989705

परिशिष्ट "दस"

[तारकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 2862) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

नवागतन योजनांतर्गत वर्ष 2012-13 में गरियाबंद जिले में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं की जानकारी

क्र.	स्वयं सेवी संस्थाओं के नाम/पता	अध्यक्ष का नाम	संस्था का पंजीयन (फर्म एवं सांसायटी एक्ट/कंपनी एक्ट) क्र/वर्ष	ए.जी.ओ. को भुगतान की गई राशि (रुपये में)	टिप्पणी
1.	नवज्योति स्वयं सेवी संस्था ज्ञान पी. वरुण: तह राजिम, जिला गरियाबंद	श्री प्रेमलाल सिन्हा	3247 / 30-06-2008	3,94,476 / -	-
2.	आदर्श दीप अक्षयता पुस्तकालय केंद्र, प दीनदयाल उपाध्याय नगर, एम-1-138, रायपुर	श्री आशु गोयल	5654 / 05-03-1998	75,978 / -	-
3.	छ.ग. लोक चेतना मंच, मकान नं. 813, सुंदर नगर, रायपुर	श्री निवाज खान	6387 / 06-06-2005	93,480 / -	-
4.	सामाजिक चेतना मंच, मकान नं. 1 को ऑपरेटिव बैंक के बाजू, सुंदर नगर, रायपुर, छ.ग.	श्री अभिशेख शर्मा	7161 / 30-09-2005	निरंक	योजना अंतर्गत कार्य नहीं किया गया

परिशिष्ट "ग्यारह"

[तारकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 2005) के भाग (क) की जानकारी]

राजनांदगांव जिले में वन विभाग द्वारा मांग संख्या 41-4342 सड़कें तथा भवन बजट मद से निर्माण कार्यों की स्थलवार, वर्षवार जानकारी

(राशि - रु. में)

वर्ष	कार्यक्रम का नाम	स्थान का नाम	भवन निर्माण		इसके दो.एन. निर्माण	
			स्वीकृत संख्या	स्वीकृत राशि	स्वीकृत कि.मी.	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7
2013-14	खैरागढ़	खैरागढ़	1	2.38		
		शिराहौली	1	2.00		
		योग :-	2	4.38		
2014-15	खैरागढ़	खैरागढ़	2	7.40		
		रापुरी से बांधनवागांव			5.00	42.15
		राजजीटोला से झोलापानी			7.00	59.01
		सीतागोटा से कन्हारगांव			2.00	16.86
	राजनांदगांव	जोध रो बेंवाडी			3.00	25.29
		वाहन चालक कक्षा (वनमंडल कार्यालय)	1	0.72		
		उपवनमंडल अधिकारी कार्यालय भवन, मानपुर	1	14.85		
		उपवनमंडल अधिकारी, आयस, चौकी	1	12.77		
		कर्मचारी भवन, मनगल्ला	1	3.70		
		कर्मचारी भवन, सालहेमट्टी	1	3.70		
		कर्मचारी भवन, औंधी	1	3.70		
		योग :-	8	46.84	17.00	143.31

परिशिष्ट "बाराह"

[तारखत प्रश्न संख्या 22 (क्र. 1568) के भाग (ख) एवं (घ) की जानकारी]

प्रश्न "अ"

क्र.	तारखाने का नाम एवं पता	श्रमिक का नाम व उम्र	दुर्घटना दिनांक	मुआवजा राशि	अनुकंपा नियुक्ति
वर्ष 2012-13					
1	कोर फव प्रोजेक्ट यूनिट-2 प्राय.लिमि. 10ए. हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया, इथस्योज भिलाई जिला-दुर्ग	श्री संतोष कुमार केशवानी	23.11.2012	मृतक कर्मचारी राज्य बीमा निगन के तहत बीमित था। बीमा क्रमांक 5915388496 है। मृतक के माता पिता को पेंशन के रूप में प्रतिदिन रु 56.10/- की दर से दिया जा रहा है।	मृतक श्रमिक के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई है।
2	शिवम हाईटेक प्रायवेट लिमिटेड, 22/सी, हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिलाई	श्री प्रहलाद सिंग, उम्र 37 वर्ष	21.03.2013	श्रमिक ई.एस.आई में बीमित था। बीमा क्रमांक 59000274900 है। मृतक के पत्नी व बच्चे को पेंशन प्रतिदिन रु 174/- की दर से दिया जा रहा है। मृतक के पत्नी को प्रबंधन द्वारा अतिरिक्त सहायता रु 7,00,000/- प्रदान किया गया है।	मृतक श्रमिक के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई है।

वर्ष 2012-13

3	जे.के.लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड ग्राम-मलपुरीखुर्द, जिला-दुर्ग	श्री तरुण बजार उम्र-22 वर्ष	01.04.2013	मृतक के आश्रित को रु.10 लाख मुआवजा राशि दी गई है	मृतक श्रमिक के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई है।
4	श्री जयदाया स्टील्स प्रायवेट लिमिटेड, 20ए, हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया, हथखोज भिलाई जिला-दुर्ग	श्री दीपक साहू उम्र.30 वर्ष	16.08.2013	श्रमिक ई.एस.आई में बीमित था। बीना कमाक 5915540500 है। मृतक के आश्रित को पेंशन रु 12180/- की दर से दिया जा रहा है	मृतक श्रमिक के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई है।
5	जैन राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम व पोस्ट जेवरा धमधा रोड, दुर्ग	श्री अशोक कुमार निशाद उम्र 25 वर्ष	12.08.2013	मृतक श्रमिक के पत्नी को रु 2,00,000/- मुआवजा दिया गया है।	मृतक श्रमिक के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई है।
6	जे.के.लक्ष्मी सीमेंट ग्राम-मलपुरीखुर्द अहिवारा	श्री विपिन कुमार आ. श्री म्हेश चंद्रा उम्र 22 वर्ष	11.10.2013	प्रबंधन द्वारा दिनांक 11.10.2013 को ही मृतक के पिता को रु 392000/-, एवं मृतक के पत्नी को रु 808000/- दिया गया है। अतिरिक्त सहायता राशि 40,000 दिनांक 11.10.2013 को दिया गया है	मृतक श्रमिक के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई है।
7	श्री सीता एग्रो फूड्स प्रायवेट लिमिटेड, ग्राम-अरसनारा, धमधा रोड, दुर्ग	श्री बालाराम आठ स्व. श्री धनजय राम, उम्र 50 वर्ष	25.10.2013	प्रबंधन द्वारा मुआवजा राशि रु.5,00,000/- (रु.पाँच लाख) नगदी मृतक के पत्नी, पुत्र एवं पुत्री को भुगतान कर दिया गया है।	मृतक श्रमिक के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई है।
8	बजरंग एग्रीटेक (इं.) प्रायवेट लिमिटेड, ग्राम-समोदा, जिला-दुर्ग	श्री महेन्द्र कुमार निशाद आठ स्व.श्री रामप्रसाद निशाद उम्र 28 वर्ष	06.12.2013	प्रबंधन द्वारा अतिरिक्त सहायता के रूप में रु मृतक के आश्रित को रु 50,000/- प्रदाय किया गया है।	मृतक श्रमिक के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई है।

वर्ष 2014-15

9	निरोज इस्पात प्रायवेट लिमिटेड हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया, हथखोज भिलाई	श्री हेमंत साहू उम्र 28 वर्ष	11.05.2014	श्रमिक ई.एस.आई में वीमिड था । बीमा कमाक 59000022360000506 है । प्रबंधन द्वारा मृतक के आश्रित को अतिरिक्त सहायता के रूप में रु 500000/- प्रदास किया गया है ।	मृतक के आश्रितों (शरीर) द्वारा गीकरो हेपु असमर्थता प्रकट की है । अतः अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई है ।
10	जे.के.लक्ष्मी सीमेंट ग्राम-मत्तपुरीखुर्द अहिलारा	श्री मनोज राजवार उम्र 25 वर्ष	29.08.2014	कारखाना प्रबंधन द्वारा श्रमिक क्षतिपूर्ति राशि रु 6,40,969/- श्रम न्यायालय दुर्ग में जमा किया गया है । मुआवजा प्रकरण कर्मांक 100/WC Act/2014(Fatal) श्रम न्यायालय, दुर्ग में विचाराधीन है ।	मृतक श्रमिक के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई है ।

प्रपत्र 'ब'

क	सरखाने का नाम एवं पता	कर्मिक का नाम व पत्र	मुघटना दिनांक	जांच दिनांक	कारखाना अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही	कारखाने के जिम्मेदार लोगों के नाम जिन पर अभियोजन प्रकरण की कार्यवाही की गई	प्रकरण क्रमांक
01	02	03	04	05	06	07	08

वर्ष 2012-13

01	कोर फेंव प्रोजेक्ट यूनिट-2	श्री संतोष कुमार केशवानी	23.11.2012	24.11.2012	धारा 41 नियम 73-ई, धारा 7ए(1) धारा 41 नियम 73(1) के उल्लंघन हेतु प्रकरण श्रम न्यायालय, दुर्ग ने दिनांक 29.01.2013 को दायर किया गया है।	01-श्री विनोद कुमार जैन 02-श्री सुरजीत पाल	15/2013 प्रकरण मान. न्यायालय में लंबित
02	शिवम हाईटेक प्रायवेट लिमिटेड, 22/सी, ईवी इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिलाई	श्री प्रहलाद सिंग, उम्र 37 वर्ष	21.03.2013	22.03.2013	धारा 41 नियम 73- E धारा 7A(1), धारा 41 नियम 73(1) के उल्लंघन हेतु दिनांक 29.04.2013 को प्रकरण दायर किया गया है।	श्री सुभाषचंद्र नाहटा	45/2013 प्रकरण मान. न्यायालय में लंबित

वर्ष 2013-14

जे.के.जक्षी सीमेंट लिमिटेड ग्राम- मलपुरीखुर्द, जिला-दुर्ग	श्री तरुण बंजारे उम्र-22 वर्ष	01.04.2013	धारा 41 नियम 73- E धारा 7A(1), धारा 41 नियम 73- C के उल्लंघनों हेतु दिनांक 29.04.2013 को प्रकरण दायर किया गया है।	श्री एस.के.जांजी	47/2013 प्रकरण दिनांक 15.05.2014 को मा.व्याजालय द्वारा रु. 1,50,000 अर्धपण्ड च न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित कर निर्णित किया गया है।
04 श्री जयबाब स्टील्स प्रायवेंट लिमिटेड,ग्राम-ज रवाय, जिला-दुर्ग	श्री दीपक साहू उम्र 30 वर्ष	16.06.2013	धारा 41 नियम 73(B) (a), धारा 41 नियम 73(B) (b), एवं धारा 7A(1) के उल्लंघनों हेतु दिनांक 12.08.2013 को प्रकरण दायर किया गया है।	01-श्री पुरुषोत्तम अथवाल 02-श्री जी एन श्रीनारतन	97/2013 प्रकरण मान. न्यायालय में ललित

05	जैन राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम व पोस्ट जेवरा धमघा रोड, दुर्ग	श्री अशोक कुमार निसाद उम्र 25 वर्ष	12.08.2013	07.01.2014	कारखाना अधिनियम की धारा 88 सपठित नियम 108(1), धारा 88 सपठित नियम 108(3), धारा 6(1) एवं 7 सपठित नियम 4 एवं धारा 62(2) सपठित नियम 96(1) के उल्लंघनों हेतु अभियुक्त श्री रमेश कुमार जैन के विरुद्ध दिनांक 28. 01.2014 को प्रकरण दायर किया गया है ।	श्री रमेश कुमार जैन	69/2014 मान. न्यायालय द्वारा दिनांक 21.08.2014 को अभियुक्त को रु 1,60,000/- अर्थदण्ड व न्यायालय लठने तक की सजा से दंडित किया गया है ।
06	जै.के.लक्ष्मी सीगंट ग्राम-भलपुराबुर्द अहिचारा	श्री विपिन कुमार आ. श्री महेश चंद्रा उम्र 22 वर्ष	11.10.2013	11.10.2013	धारा 7A(1), धारा 41 नियम 73(1) एवं धारा 41 नियम 73 E के उल्लंघनों हेतु श्रम न्यायालय, दुर्ग में दिनांक 20.12.2013 को प्रकरण दायर किया गया है ।	श्री एस.के.पाली	219/2013 प्रकरण दिनांक 26.05.2014 को मान. न्यायालय द्वारा रु. 1,50,000 अर्थदण्ड से दंडित कर निर्गित किया गया है ।

07	श्री सीता एग्री प्रोपर्टी प्रायवेट लिमिटेड, ग्राम-अरसनारा, धम्मारा रोड, दुर्ग	श्री बालाराम आठू स्व.श्री अनज राम, उग्र 50 वर्ष	25.10.2013	13.11.2013	धारा 88 नियम 108(4), धारा 41 नियम 73(1) एवं धारा 41 नियम 73-E के उल्लंघनों हेतु श्रम न्यायाल, दुर्ग में प्रकरण दिनांक 06.01.2014 को दायर किया गया है ।	01- श्री गणेश प्रसाद 02-श्री कमलेश साहू	06/2014 प्रकरण मान. श्रम न्यायालय, दुर्ग में विचाराधीन
08	वज्रसंग एग्रोटैक (इं.) प्रायवेट लिमिटेड, ग्राम-समोदा, जिला-दुर्ग	श्री महेन्द्र कुमार निषाद आठू स्व. श्री रामप्रसाद निषाद उरु 28 वर्ष	06.12.2013	07.01.2014	धारा 41 नियम 73-E, धारा 41 नियम 73(1) एवं धारा 7A(1), के उल्लंघनों हेतु श्रम न्यायाल, दुर्ग में प्रकरण दिनांक 06.01. 2014 को दायर किया गया है ।	श्री अनिल कुमार बसल	65/2014 प्रकरण मान. श्रम न्यायालय, दुर्ग में विचाराधीन

वर्ष 2014-15

निरोज इस्पात प्रायवेट लिमिटेड हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया, हथखोज मिलाई	श्री हेमंत साहू उम्र 28 वर्ष	11.05.2014	12.05.2014	अधिमार्गी को कारखाना अधिनियम की धारा 7ए(1) के संलग्न हेतु दिनांक 30.09.2014 का प्रकरण दायर किया गया है।	श्री अनिल कुमार अग्रवाल	448/2014 मान. न्यायालय द्वारा दिनांक 05.03.2014 को अभियुक्त को रु 50,000/- से अर्धदंड से दंडित किया गया है।
10 जे.के.लक्ष्मी सीमेंट ग्राम-मलपुरीखुर्द अहिवा	श्री मनोज राजवार उम्र 25 वर्ष	29.08.2014	30.08.2014	कार्यालयीन पत्र कं. 1452 दिनांक 30.08.14 द्वारा निर्माणाधीन सीमेंट कारखाना में दुर्घटना घटित होने से उसकी सूचना क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय) रायपुर को दी गई थी। उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) रायपुर के पत्र क्रमांक आर.पी. 01/2015-DY.CLC दिनांक 24.03.2015 द्वारा सूचित किया गया है कि नियोजक तथा संबंधित ठेकेदार से प्राणाल दुर्घटना की सूचना प्राप्त नहीं होने से इनके संकथ में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है।	श्री मनोज राजवार के प्राणाल दुर्घटना के जांच हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1452 दिनांक 30.08.14 द्वारा क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय) रायपुर को सूचित किया गया था कारण कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के तहत निर्माणाधीन सीमेंट प्लांट में घटित दुर्घटनाक लिए केन्द्रीय सरकार ही सन्वित सरकार है।	कारखाना प्रबंधन द्वारा श्रमिक क्षतिपूर्ति राशि रु 6,40,969/- श्रम न्यायालय दुर्ग में जमा किया गया है। मुआवजा प्रकरण क्रमांक 100/WC Act/2014(C)34) श्रम न्यायालय दुर्ग में विद्यमान है।

परिशिष्ट "तेरह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 2915) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत दंडिंग/वितरण कंपनी द्वारा कोलबेस्ड/बायोमांस आधारित निजी विद्युत उत्पादकों के साथ निष्पादित अनुबंध के अधीन 10 मार्च 2015 को कंपनीवार क्रय की गई बिजली की मात्रा एवं दर का वितरण

क्रमांक	निजी विद्युत कंपनी का नाम	मात्रा मिलियन यूनिट में	निर्धारित दर रूपये प्रति यूनिट	
			स्थायी प्रभार	उर्जा प्रभार
अ- कोलबेस्ड आधारित निजी विद्युत उत्पादक				
01	मेसर्स ए.सी.बी.(इण्डिया) लिमिटेड, कसाईपाली, कोरबा	0.34	0.0	2.00
02	मेसर्स ए.सी.बी.(इण्डिया) लिमिटेड, चाकाबुडा, कोरबा	0.11	0.0	1.90
03	मेसर्स के.एस.के. महानदी पावर लिमिटेड, गरियारा, जांजगीर-चांपा	0.60	0.0	1.90
04	मेसर्स स्पेक्ट्रम कोल एण्ड पावर लिमिटेड, रतिजा, कोरबा	0.05	0.0	2.00
ब- बायोमांस आधारित निजी विद्युत उत्पादक				
05	मेसर्स महावीर एनर्जी एण्ड कोल बनेफिकेशन लिमिटेड, रायगढ़	0.25	1.58	3.57
06	मेसर्स नीरज पावर प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	0.16	1.61	3.57
07	मेसर्स रिचल पावर प्राइवेट लिमिटेड, बिलासपुर	0.17	1.61	3.57
08	मेसर्स रुकमणी पावर एण्ड स्टील लिमिटेड, खरसेवा	0.22	1.61	3.57
09	मेसर्स श्री श्याम वेयर हाउसिंग एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, जांजगीर चांपा	0.22	2.08	3.57
10	मेसर्स सुधा एग्रो एंड केमिकल लिमिटेड, बिलासपुर	0.26	1.61	3.57
11	मेसर्स शांति जी.डी. इस्पात एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड, जांजगीर-चांपा	0.35	2.16	3.57
12	मेसर्स वंदना विद्युत लिमिटेड, बिलासपुर	0.17	1.53	3.57

नोट : 01. राज्य के विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2014-15 के लिये पारित आदेश दिनांक 31.10.2014 में बायोमांस आधारित निजी विद्युत उत्पादकों के लिये उर्जा प्रभार की दर रूपये 3.96 प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी द्वारा छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग के उक्त आदेश के विरुद्ध केन्द्रीय विद्युत अपील अथॉरिटी, नई दिल्ली में अपील क्रमांक 303/2015 दायर की गई है, जो विचारधीन है। अतः वर्तमान में बायोमांस आधारित निजी विद्युत उत्पादकों को वर्ष 2013-14 के लिये राज्य के नियामक आयोग द्वारा निर्धारित उर्जा प्रभार दर पर देय राशि का आंकलन कर भुगतान किया जा रहा है।

02. प्रत्येक बायोमांस आधारित निजी विद्युत उत्पादक के शेड्यूल के तहत कथ की गई बिजली अनुसार आंकलित लोड फेक्टर पर अधिसूचित उर्जा प्रभार के दर से राशि आंकलित कर उर्जा प्रभार का भुगतान किया जा रहा है।

03. राज्य के विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित आदेश अनुसार प्रत्येक संयंत्र के वाणिज्यिक उत्पादन तारीख के आधार पर स्थायी प्रभार आंकलित कर उनके समक्ष दर्शाई गई है।

04. एमओयू की शर्तों के अधीन कोलबेस्ड पावर प्लांट से खरीदी गई बिजली के लिये केवल विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित उर्जा प्रभार के मान से भुगतान देय है। तदनुसार उर्जा प्रभार का निर्धारण वर्तमान में प्रक्रिया में होने के कारण कंपनी के समक्ष दर्शाई प्रावधिक उर्जा प्रभार की दर पर भुगतान किया जा रहा है।

प्रपत्र 'ब'

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग/वितरण कंपनी द्वारा कोलबेख/बायोमास आधारित निजी विद्युत उत्पादकों के साथ निष्पादित अनुबंध की तारीख एवं अवधि की कंपनीवार जानकारी

क्र.	निजी विद्युत कंपनी का नाम	अनुबंध की तारीख	अनुबंध की वैधता की अवधि
अ- कोलबेख आधारित निजी विद्युत उत्पादक			
01	मेसर्स ए.सी.वी.(इण्डिया) लिमिटेड, कसाईपाली, कोरबा	05.12.2013	20 वर्ष
02	मेसर्स ए.सी.वी.(इण्डिया) लिमिटेड, चाकाडुड़ा, कोरबा	15.01.2015	20 वर्ष
03	मेसर्स के.एस.के. महानदी पॉवर लिमिटेड, नरियारा, जांजगीर-चांपा	18.10.2013	20 वर्ष
04	मेसर्स स्पेक्ट्रम वोल एण्ड पॉवर लिमिटेड, रतिजा, कोरबा	05.12.2013	20 वर्ष
ब-बायोमास आधारित निजी विद्युत उत्पादक			
05	मेसर्स महावीर एनर्जी एण्ड पोल बेनेफिकेशन लिमिटेड, रायगढ़	01.07.2011	20 वर्ष
06	मेसर्स नीरज पावर प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	07.04.2006	20 वर्ष
07	मेसर्स रिडल पावर प्राइवेट लिमिटेड, बिलासपुर	03.02.2007	20 वर्ष
08	मेसर्स रूकमणी पावर एण्ड स्टील लिमिटेड, खरसिया	05.04.2006	20 वर्ष
09	मेसर्स श्री श्याम वेयर हाउसिंग एंड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड, जांजगीर चांपा	19.12.2007	20 वर्ष
10	मेसर्स शुद्धा एग्रो एंड केमिकल लिमिटेड, बिलासपुर	17.10.2008	20 वर्ष
11	मेसर्स शांति जी.डी. इस्पात एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड, जांजगीर-चांपा	24.06.2010	20 वर्ष
12	मेसर्स वंदना विद्युत लिमिटेड, बिलासपुर	18.01.2013	20 वर्ष

प्रपत्र "स"

वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में 10 मार्च 2015 तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग/वितरण कंपनी द्वारा कोलबेस्ड/बायोमॉस आधारित निजी विद्युत उत्पादकों से क्रय की गई बिजली के लिये किये गये भुगतान का कंपनीवार विवरण

क्रमांक	निजी विद्युत कंपनी का नाम	क्रय की गई बिजली के लिये भुगतान की राशि रूपये करोड़ में	
		वित्तीय वर्ष 2013-14	वित्तीय वर्ष 2014-15
अ- कोलबेस्ड आधारित निजी विद्युत उत्पादक			
01	मेसर्स ए.सी.बी.(इण्डिया) लिमिटेड, कसाईपाली, कोरबा	2.82	1.36
02	मेसर्स ए.सी.बी.(इण्डिया) लिमिटेड, चाकाबुड़ा, कोरबा	0.00	0.48
03	मेसर्स के.एस.के. महानदी पॉवर लिमिटेड, नरियारा, जांजगीर-चाम्पा	15.67	10.09
04	मेसर्स स्पेक्ट्रम कोल एण्ड पॉवर लिमिटेड, रतिजा कोरबा	28.30	15.78
ब- बायोमॉस आधारित निजी विद्युत उत्पादक			
05	मेसर्स महावीर एनर्जी एण्ड कोल बेनेफिकेशन लिमिटेड, रायगढ़	47.97	29.58
06	मेसर्स नीरज पावर प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	27.57	20.45
07	मेसर्स रियल पावर प्राइवेट लिमिटेड, बिलासपुर	29.83	19.08
08	मेसर्स रुकमणी पावर एण्ड स्टील लिमिटेड, खरसिया	30.79	22.15
09	मेसर्स श्री श्याम देवर हाउसिंग एंड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड, जांजगीर चांपा	40.62	37.68
10	मेसर्स सुधा एग्रो एंड केमिकल लिमिटेड, बिलासपुर	44.37	31.74
11	मेसर्स शांति जी.डी. इरपात एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड, जांजगीर-चांपा	13.87	44.56
12	मेसर्स वंदना विद्युत लिमिटेड, बिलासपुर	27.72	22.49

नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "बी"दृष्ट

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 01 (अ. 606) के भाग (ख) की जानकारी]

विकास का नाम	जिले का नाम	वर्ष	कार्य विवरण	स्वीकृत विवरण भौतिक (हे० मी)	नई व्यय रु०/₹	काय की तिथि	
1	2	3	4	5	6	7	
सरगुजा	सरगुजा	2011	क्षतिपूर्ति यनीकरण	104.000	48.22	—	
			ए०एन०आर० कार्य	1124.000	86.02	—	
			कार्यालयीन भवन	2 मग	22.24	—	
		आवासीय भवन	12 मग	69.50	—		
		योग :-				225.98	
		2012	क्षतिपूर्ति यनीकरण	6.500	10.93	—	
			एन०डी०एच० यनीकरण	10.000	20.20	—	
			योग :-			31.13	
		2013	क्षतिपूर्ति यनीकरण	840.000	394.59	—	
			एन०डी०एच० यनीकरण	15.000	21.82	—	
			ए०एन०आर० कार्य	1693.750	134.15	—	
		योग :-				750.56	
2014	क्षतिपूर्ति यनीकरण	1212.000	526.30	—			
	एन०डी०एच० यनीकरण	10.000	16.00	—			
	आवासीय भवन	36 मग	126.00	—			
योग :-				668.30			
			सरगुजा जिला योग :-		1675.97		

1	2	3	4	5	6	7
मण्डल का नाम	जिले का नाम	वर्ष	कार्य विवरण	स्वीकृति व्यय (₹0 में)	स्वीकृत राशि	कार्य की स्थिति
		2011	आसिंचित बान रोपण	30.00	14.87	वर्क प्रारंभ
			आर.डी.बी.एफ.	25.000	9.46	
			दोम हावर	3 नम	12.00	
			सड़क किनारे वृक्षारोपण	20 km	129.68	
			पौध तैयारी	500000	37.50	
			जल स्रोत विकास	1	9.46	
			स्टापडेम निर्माण	1	9.46	
			चारगाह विकास क्षेत्र	100.000	13.80	
			भवन निर्माण	2	8.70	
			पी.ओ.एल. ड्रिफ्टर	9	1.70	
			ए.एन.आर.	1808.632	153.65	
			आवसीजोन वृक्षारोपण	30.000	62.75	
			हातिपूर्ति वृक्षारोपण	38.506	21.28	
			योग :-		484.31	
			क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	110.610	7.32	
			असिंचित अंचल रोपण	40.000	5.00	
			असिंचित बांस रोपण	200.000	24.00	
			सड़क किनारे वृक्षारोपण,	5	8.92	
			ए.एन.आर.	2765.485	266.80	
			आवसीजोन	50.000	61.47	
			योग :-		373.51	
			योग 2011 :-		857.82	
मण्डलगड	कोरिया	2011				

मन्त्रालय का नाम	जिले का नाम	वर्ष	कार्य विवरण	स्वीकृति विवरण भौतिक (हे० म०)	स्वीकृत राशि	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
मनेन्द्रगढ़	कोरिया	2013	ए.एन.आर.	3972.665	331.75	कार्य प्रारंभ
			विशेष प्रजाति (कुलू रोपण)	100.000	44.00	"
			खिचत बांस/नीलगिरी	80.000	116.00	"
			योग :-		491.75	"
			योग 2013 :-		905.82	"
			पौधा तैयारी	400000	25.17	"
			शालाब निर्माण	1	12.00	"
			अभिलेखागार निर्माण	1	15.00	"
			पी.ओ.एल. बाइन चालक एवं नरफत	6	12.00	"
			ए.एन.आर	4010.477	320.84	"
कोरिया	कोरिया	2014	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	167.171	86.93	"
			खिचत बांस/नीलगिरी रोपण	30.000	37.50	"
			विशेष प्रजाति असिंचित रोपण	50.000	20.00	"
			सिंचित रोपण	15.000	21.00	"
			अग्नि सुरक्षा (पुस्का)	6	22.00	"
			योग :-		572.44	"

1	2	3	4	5	6	7
संस्थान का नाम	जिले का नाम	वर्ष	कार्य विवरण	संयोजित विवरण भौतिक (हे० में)	संयोजित राशि	कार्य की स्थिति
		2014	कृषिपूर्ति वृक्षारोपण	72.858	37.89	कार्य प्रारंभ
			ए.एम.आर.	5831.680	466.53	
			आइसीजीएन	30.000	0.00	
	कोरिया	2014	लिखित बांस/नीलगिरी	35.000	43.75	
			अभिलेखाना भवन निर्माण	1	15.00	
		2014	योग :-		563.17	
			योग 2014 :-		1135.61	
			कोरिया जिला योग :-		3627.81	
			महायोग (सरायूजा एवं कोरिया जिला)		5303.78	

वर्ष	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षणार्थी	लाभान्वित शिक्षार्थी	प्राप्त राशि	व्यय राशि	रिमांड
		4	5	6	7	8
2010-11	किशोरी शक्ति योजना नवीन ग्रोथ चार्ट पर प्रशिक्षण अनुशिक्षण परिश्रम	किशोरी बालिका	1500	622500.00	622500.00	
		आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	215	23650.00	23650.00	
		आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	50	14410.00	14410.00	
		योग	2065	660560.00	660560.00	
		आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	346	389560.00	389560.00	
2011-12	अनुशिक्षण प्रशिक्षण उन्मुखीकरण प्रशिक्षण किशोरी शक्ति योजना आयुष प्रशिक्षण	आंगनवाड़ी सहायिका	248	202850.00	202850.00	
		किशोरी बालिका	1800	647500.00	647500.00	
		स्व सहायता समूह की महिला	232	58000.00	58000.00	
		अद्वितीय विकास विभाग से रेडी टू ईट फूड किशन, एम. एन. डी. सि. आ. से रोज रोजक के प्रशिक्षण हेतु प्राप्त	0	1800000.00	0.00	यह राशि अं. 2-2-15 में आवधिक की गई है। प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए गयी है।
		योग	2626	3097910.00	1246410.00	
2012-13	उन्मुखीकरण प्रशिक्षण प्रत्यासरण प्रशिक्षण अनुशिक्षण प्रशिक्षण किशोरी बालिका प्रशिक्षण महाज्वान योजना अंतर्गत बालकों को प्रशिक्षण	आंगनवाड़ी सहायिका	300	304500.00	304500.00	
		आंगनवाड़ी सहायिका	100	78000.00	78000.00	
		नवनिपुण आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	30	27000.00	27000.00	
		किशोरी बालिका	1800	660000.00	660000.00	
		कुपोषित बच्चों के पालक	350	70000.00	58800.00	
2015-16	किशोरी बालिका प्रशिक्षण यूथन प्रबंधन प्रणाली संबंधी प्रशिक्षण उन्मुखीकरण प्रशिक्षण एम.आई.एम. प्रशिक्षण	योग	2580	1139500.00	1128300.00	
		किशोरी बालिका	1800	660000.00	578100.00	
		आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	1449	714840.00	714840.00	
		नवनिपुण आंगनवाड़ी सहायिका	50	90000.00	90000.00	
		आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	1441	1381280.00	1375634.00	
	योग	4740	2846220.00	2758574.00		

क्र.	वर्ष	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण के लिये प्राप्त राशि	समाप्तित दिवसोंकी	प्राप्त राशि	व्यय राशि	रिमाक
			परिशेषाधी	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
5	2014-15	किशोरी बालिका प्रशिक्षण	किशोरी बालिका	1800	660000.0	198000.0	
		प्रत्यापमरण प्रशिक्षण	आंगनवाडी सहायिका	0	133000.0	0.0	
		अनुशिक्षण प्रशिक्षण	नवनिपुण आंगनवाडी/मिनी आंगनवाडी कार्यकर्ता	0	138000.0	0.0	
		नवनिपुण आंगनवाडी सहायिकाओं का जॉब/ओरिएंटेशन प्रशिक्षण	आंगनवाडी सहायिका	0	180000.0	0.0	
		एन.आई.एस. प्रशिक्षण	आंगनवाडी कार्यकर्ता	0	11700.0	0.0	
		नवजातन योजना अंतर्गत प्रशिक्षण	सुपोषण मित्र एवं स्व सहायता समूह	87	52225.0	33530.0	
		नवजातन योजना अंतर्गत प्रशिक्षण	आंगनवाडी कार्यकर्ता	140	30100.0	25855.0	
			राशि	2027	1205025.0	257385.0	
			महाभाग	14038	8949215.0	6051229.0	

परिशिष्ट "सोलह"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 1395) की जानकारी]

अजानकमार टायगर रिजर्व से अन्यत्र विस्थापन किये जाने वाले ग्रामों की सूची एवं विस्थापन हेतु चयनित स्थल का विवरण

क्र.	विस्थापन हेतु चयनित वनग्राम	विस्थापन हेतु चयनित स्थल का विवरण	
		जिला/वनमंडल/ परिक्षेत्र का नाम	कक्ष क्रमांक
1	सारसडोल	जिला-मुंगेली वनमंडल-मुंगेली परिक्षेत्र-लोरमी	RF 533 RF 534 PF 1529
2	राजक	जिला-मुंगेली वनमंडल-मुंगेली परिक्षेत्र-लोरमी	RF 556 RF 557 RF 558
3	तिलईडबरा	जिला-मुंगेली वनमंडल-मुंगेली परिक्षेत्र-लोरमी	RF 96
4	बिरारपानी	जिला-बिलासपुर वनमंडल-मरवाही परिक्षेत्र-गौरेला	PF 1254 PF 1255
5	छिरहट्टा	जिला-बिलासपुर वनमंडल-मरवाही परिक्षेत्र-गौरेला	

परिशिष्ट "सत्रह"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या CH (क्र. 2568) की जानकारी]

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम विभाग के अधिकारी-कर्मचारी के विरुद्ध दर्ज जुर्म की जानकारी

क्र.	अपराध क्रमांक एवं पंजीयन दिनांक	आरोपी अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम	धाराएं
1.	9/2015 2.03.2015	(1) श्री शिवशंकर भट्ट, प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम, मुख्यालय रायपुर। (2) श्री अरविंद धुप, स्टेशन टायरिस्ट, नागरिक आपूर्ति निगम, मुख्यालय रायपुर। (3) श्री जीतराम यादव, सीनियर असिस्टेंट, नागरिक आपूर्ति निगम, मुख्यालय रायपुर। (4) श्री विनायक देहली, ए.ए.ओ., नागरिक आपूर्ति निगम, मुख्यालय रायपुर। (5) श्री कौतुकंत वारोक, स्टेशन टायरिस्ट, नागरिक आपूर्ति निगम, मुख्यालय रायपुर। (6) श्री डी.के. चन्द्रवंशी, ए.ओ., नागरिक आपूर्ति निगम, मुख्यालय रायपुर। (7) श्री जी.के. देवांगन, ए.ओ., नागरिक आपूर्ति निगम, मुख्यालय रायपुर। (8) श्री गिरीश शर्मा, एमडी नान का पीए, नागरिक आपूर्ति निगम, मुख्यालय रायपुर। (9) श्री सतीश कर्पट, क्यू.आई., नागरिक आपूर्ति निगम, कैरालूर। (10) श्री हरीश सोनी, क्यू.आई., नागरिक आपूर्ति निगम, कांकर। (11) श्री शैलरागर पटेल, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, क्यू.आई., नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर। (12) श्री आलोक चन्द्रवंशी, एड्यू.आई., नागरिक आपूर्ति निगम, राजगांवगांव। (13) श्री हरदीप सिंह भाटिया, जूनियर तकनीकी सहायक, नागरिक आपूर्ति निगम, कांकर। (14) श्री एस.के. चन्द्राकर, क्यू.आई., नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर। (15) श्री सुधीर कुमार भोले, ए.ए.ओ., नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर। (16) श्री विशाल सिन्हा, क्यू.आई., नागरिक आपूर्ति निगम, अंबिकापुर। (17) श्री के.के. बटु, जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम, बिलारपुर। (18) श्री टी.डी. हरबंवाणी, जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम, धमारी। (19) श्री आर.एन. सिंह, जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम, सूरजपुर। (20) श्री एन.के. सुरेंद्र, ली.ए.ओ., नागरिक आपूर्ति निगम, महासमुंद। (21) श्री डी.के. शर्मा, शाखा प्रबंधक, भंडार गृह निगम, बालोद। (22) श्री डी.पी. तिवारी, सहायक प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम, बालोद। (23) श्री संदीप अग्रवाल, कंपनी सेक्रेटरी, नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर। (24) श्री डी.एल. कुलवाहा, क्वालिटी कंट्रोल असि. मैनेजर, नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर। (25) श्री आर.पी. पाठक, क्वालिटी कंट्रोल असि. मैनेजर, नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर।	109, 120वीं भा.द.वि. एवं 13(1) डी. 13 (2) ब.नि.अ. 1983
2.	11/15 03.03.15	श्री देवेन्द्र सिंह कुशवाहा भारतीय स्वयं निगम से सेवानिवृत्त होकर नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर में सहायक प्रबंधक क्वालिटी कंट्रोल के पद पर	13 (1) डी. 13 (2) ब.नि.अ. 1983
3.	13/15 03.03.15	श्री आरुणो सिंह सहायक प्रबंधक (प्रमारी प्रबंधक) नागरिक आपूर्ति निगम, सूरजपुर	13 (1) डी. 13 (2) ब.नि.अ. 1983
4.	14/15 03.03.15	श्री संदीप अग्रवाल कंपनी सेक्रेटरी एम.ए. स्टेट सिविल कॉर्पोरेशन निगम रायपुर	13 (1) डी. 13 (2) ब.नि.अ. 1983
5.	15/15 04.03.15	श्री दिलीप कुमार शर्मा प्रमारी प्रबंधक स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन बालोद	13 (1) डी. 13 (2) ब.नि.अ. 1983
6.	16/2015 04.03.2015	श्री सतीश कुमार कैवर्त्य, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, नागरिक आपूर्ति निगम, जयदलपुर	13 (1) डी. 13 (2) ब.नि.अ. 1983

7.	17/2015 04.03.2015	श्री शिवशंकर मद्दट, प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर	13 (1) ई. 13 (2) म.नि.अ. 1986
8.	18/2015 05.03.2015	श्री खारसागर पटेल, जूनियर टेक्नीकल असिस्टेंट, रायगढ़	13 (1) ई. 13 (2) म.नि.अ. 1986
9.	19/2015 05.03.2015	श्री कौशल कुमार गपु, जिला प्रबंधक, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लि. बिलासपुर	13 (1) ई. 13 (2) म.नि.अ. 1986
10.	20/2015 07.03.2015	श्री आर पी पाठक, सहायक प्रबंधक, क्वालिटी कंट्रोल, नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर	13 (1) ई. 15 (2) म.नि.अ. 1986
11.	21/2015 07.03.2015	श्री गिरीश कुमार देवगन्, जेन्स अधिकारी, नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर	13 (1) ई. 13 (2) म.नि.अ. 1986

परिशिष्ट "उन्नीस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 2940) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जाजगीर-चांपा में पर्यावरण सम्मति प्राप्त कर संचालित रेत खदानों की जानकारी

स.क्र	ग्राम/ नगर का नाम	तहसील	संचालक/ आवेदक का नाम
1	2	3	4
1	भोगहापारा	नदागढ़	नगर पंचायत शिवरीनारायण
2	देवरहा	जाजगीर	ग्राम पंचायत उदयबंद
3	चंद्रपुर	डभरा	नगर पंचायत चंद्रपुर
4	बरहागुडा	डभरा	ग्राम पंचायत गोपालपुर
5	बिलईगढ़	डभरा	ग्राम पंचायत चंदली
6	मदनपुर	बलीदा	ग्राम पंचायत रैनपुर
7	नयागांव	बलीदा	ग्राम पंचायत नवागाव

प्रपत्र "ब"

वर्ष	प्राप्त रायल्टी (रूपयों में)
2011-12	320000
2012-13	708000
2013-14	984000
2014-15	324000
योग	2336000

प्रपत्र 'स'

वर्ष	खनिज का नाम	अवैध उत्खनन		अवैध परिवहन	
		दर्ज प्रकरण	वसूल की गई समझौता राशि (रुपयों में)	दर्ज प्रकरण	वसूल की गई समझौता राशि (रुपयों में)
2011-12	मुरुम	06	77690	16	28840
	रेत	निरंक	निरंक	17	20800
2012-13	मुरुम	07	635800	09	55300
	रेत	01	18000	44	127560
2013-14	मुरुम	10	428420	39	207000
	रेत	04	45000	127	695000
2014-15	मुरुम	09	375780	21	113160
	रेत	03	35840	94	613960

परिशिष्ट "बीस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 2952) की जानकारी]

पहिला जागृति शिविर आयोजित किये जाने का स्थान, दिनांक एवं व्यय राशि का विवरण वर्ष 2013-14

क्र.	विकासखण्ड का नाम	शिविर आयोजन का स्थान	शिविर आयोजन का दिनांक	व्यय राशि
1		खरोरा	01/09/2013	2000
2		सुशील रौम्युल वार्ड	02/09/2013	2000
3		सरदार पटेल वार्ड	03/09/2013	2000
4		पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड	04/09/2013	2000
5		स्वामी विवेकानंद वार्ड	06/09/2013	2000
6		परसकोल	07/09/2013	2000
7		मधेवा	09/09/2013	2000
8		आदर्श नगर वार्ड	10/09/2013	2000
9		लाल बहादुर शास्त्री वार्ड	11/09/2013	2000
10		क्षेमघा	12/09/2013	2000
11		नवापारा	15/09/2013	1758
12		खरोरा (विकासखंडस्तर)	20/02/2014	43992
13		नवागांव	09/09/2013	2500
14	विकासखण्ड महासमुंद	तुरैगा	13/09/2013	2500
16		सरेकेल	12/09/2013	2500
16		बरेकेलकला	14/09/2013	2500
17		मालीडीह	03/09/2013	2500
18		खट्टी	07/03/2013	2500
19		लाभिनकला	14/06/2013	2500
20		बिरकोनी	13/06/2013	2500
21		धनसुली	05/09/2013	2500
22		मोगरा	28/02/2014	2500
23		अछोला	05/09/2013	2025
24		छपराडीह	03/09/2013	2500
25		खट्टी	24/02/2014	675
26		पटेवा (विकासखंडस्तर)	13/02/2014	33712
योग				129662
1		घोयनाबाहरा	23/01/2014	26321
2		बिन्दावन	24/01/2014	4000
3		शिकारीपाली	24/01/2014	4000
4	विकासखण्ड हागबाहरा	बागबाहरा	24/01/2014	4000
5		बागबाहरा	30/01/2014	24750
6		पटपरपाली	15/02/2014	4000
7		घुंजापाली	08/03/2014	4000
8		कोमाखान	31/03/2014	4000
योग				75071

	विकासखण्ड का नाम	शिविर आयोजन का स्थान	शिविर आयोजन का दिनांक	व्यय राशि
1	विकासखण्ड पिथौरा	पिथौरा	27/02/2014	19145
2		पिरदा	23/12/2013	19272
योग				38417
1	विकासखण्ड बसना	चनाट	01/11/2014	1800
2		शिंघनपुर	15/11/2014	1780
3		भदरपुर (विकासखण्डस्तर)	09/01/2014	29412
4		बसना (विकासखण्डस्तर)	13/01/2014	30672
योग				63730
1	विकासखण्ड सरायपाली	बलौदा (विकासखण्डस्तर)	20/12/2013	24998
2		सरायपाली (विकासखण्डस्तर)	30/12/2013	42622
योग				67620
1	जिला स्तरीय कार्यक्रम	जिला स्तर पर बालिका दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन	01/03/2014	30000
कुलयोग वर्ष 2013-14				404500

महिला जागृति शिविर आयोजित किये जाने का स्थान, दिनांक एवं व्यय राशि का विवरण - वर्ष 2014-15

क्र.	विकासखण्ड का नाम	शिविर आयोजन का स्थान	शिविर आयोजन का दिनांक	व्यय राशि
1	विकासखण्ड महाराजमुंद	मचेवा	18/06/2014	2000
2		खैरा	20/06/2014	2000
3		खरौरा	08/07/2014	2000
4		नवेगा	17/08/2014	2000
5		आदर्श नगर महासमुन्द	02/12/2014	2000
6		गुरुनानक बाई महासमुन्द	11/09/2014	2000
7		सुशिल सैम्यूल बाई मझारामुन्द	18/09/2014	2000
8		सुभाष नगर महासमुन्द	20/08/2014	2000
9		प्यारेलाल बाई महासमुन्द	25/09/2014	2000
10		परसकोल	24/07/2014	2000
11		पट्टेवा	13/12/2014	2500
12		झलप	29/11/2014	2500
13		कांसारंगी	11/07/2014	2000
14		पाली	12/12/2014	2000
15		हुमगांव	22/11/2014	3500
16		भूरका	15/11/2014	2920
17		बिरकोनी	06/12/2014	1500
18		सिरपुर	20/12/2014	2000
19		बन्हनी	28/02/2015	850
20		महासमुन्द (विकासखण्डस्तर)	08/03/2015	25300
21		महासमुन्द (विकासखण्डस्तर)	01/01/2014	9700
योग				54770

परियोजना/विकासखण्ड का नाम	शिविर आयोजन का स्थान	शिविर आयोजन का दिनांक	व्यय राशि
विकासखण्ड बागबाहरा	खम्हरिया	12/07/2014	2000
	घंटापाली	08/11/2014	2000
	मुनगासेर	20/12/2014	2000
	पटपरपाली	24/01/2015	2000
	तेन्दूवगेना	24/01/2015	2000
	बागबाहरा	24/01/2015	2000
	खल्लारी	24/01/2015	2000
	कोमाखान	31/01/2015	2000
	घुंघापाली	07/02/2015	2000
	बागबाहरा	08/03/2015	2000
योग			20000
विकासखण्ड पिथौरा	गठबेड़ा	08/11/2014	4000
	पिरदा	15/11/2014	4000
	भूरकोनी	22/11/2014	4000
	कौंहाकुडा	29/11/2014	4000
	सल्डीह	06/12/2014	4000
योग			20000
कुलयोग वर्ष 2014-15			114770

अतारंकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "इक्कीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 03 (क्र. 552) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 में 31 जनवरी 2015 तक लोक आयोग द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध की गई अनुशांसा संबंधी जानकारी

भारतीय प्रशासनिक सेवा

क्र.	अधिकारी का नाम
1	श्री एच.पी.किण्डो, तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण नगर पालिक निगम भिलाई जिला दुर्ग

भारतीय वन सेवा

कं.	अधिकारी का नाम
1	श्री बी.पी. सिंह (2003) तत्कालीन अधीक्षक अचानकमार अभ्यारण्य, बिलासपुर वनमण्डल
2	श्री शिरीष चन्द्र अग्रवाल (1983), तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य वनौषधि पादप बोर्ड, रायपुर
3	श्री सुधीर अग्रवाल (1988), तत्कालीन वनमण्डलाधिकारी महारासमुंद वनमण्डल
4	श्री राजेश गोवर्धन (1988), तत्कालीन वनमण्डलाधिकारी नरहरपुर, जिला कांकेर
5	श्री व्ही.एस. लकड़ा (1996), तत्कालीन उप वनमण्डलाधिकारी नरहरपुर, जिला कांकेर
6	श्री एच.एल. रात्रे (1998), तत्कालीन वनमण्डलाधिकारी, महारासमुंद वनमण्डल
7	श्री एस.पी. रजक (2002), तत्कालीन वनमण्डलाधिकारी, मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल

प्रपत्र "ब"

लोक आयोग की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय वन सेवा अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी

क.	अधिकारी का नाम	प्रकरण में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही
1	श्री एच.पी.किण्डो, तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण नगर पालिक निगम भिलाई जिला दुर्ग	श्री एच.पी. किण्डो, भा.प्र.से. अर्धवार्षिकीय आयु पूर्ण कर दिनांक 31.09.2013 को शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अतः मान. लोक आयोग की अनुशंसा अनुसार श्री किण्डो के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ करने हेतु अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु सह-उपादान) नियम-1958 के नियम-6 (1)(b) में प्रावधान अनुसार भारत सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक होने के कारण भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एव पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली से अनुमति चाही गई है। भारत सरकार से वांछित अनुमति अभी तक अप्राप्त होने के कारण प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

भारतीय वन सेवा के अधिकारी

क.	अधिकारी का नाम	प्रकरण में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही
1	श्री वी.पी. सिंह (2003) तत्का. अधीक्षक अचानकमार अभ्यारण, बिलासपुर वनमण्डल	श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित कर विभागीय आदेश दिनांक 24.02.2015 द्वारा जांचकर्ता एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है। विभागीय जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
2	श्री शिरीष चन्द्र अग्रवाल (1983), तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य वनोपधि पाठप बोर्ड, रायपुर	प्रकरण में आयोग की गई अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में श्री अग्रवाल के विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पत्र दिनांक 14.11.2011 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। श्री अग्रवाल द्वारा दिनांक 26.11.2011 को बचाव उत्तर प्रस्तुत किया गया। जिसका परीक्षण कर वन विभाग के आदेश दिनांक 20.12.2012 द्वारा श्री अग्रवाल को भविष्य के लिये सचेत करते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है।
3	श्री सुधीर अग्रवाल (1988), तत्कालीन वनमण्डलाधिकारी महारासमुंद वनमण्डल	प्रकरण में आयोग की गई अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में श्री अग्रवाल के द्वारा प्रस्तुत बचाव उत्तर पर विभागीय पत्र दिनांक 10.12.2014 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, रायपुर का अभिमत प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के माध्यम से चाहा गया है। अभिमत अपेक्षित है।

4	श्री राजेश गोवर्धन (1986), तत्कालीन वनमण्डलाधिकारी नरहरपुर, जिला कांकेर	प्रकरण में आयोग की गई अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में वन विभाग द्वारा श्री गोवर्धन को दिनांक 03.03.2012 को स्पष्टीकरण जारी किया गया। श्री गोवर्धन द्वारा दिनांक 08.10.12 को अंतिम उत्तर प्रस्तुत किया गया। प्रकरण पूर्ण विवेचना उपरांत विभागीय आदेश दिनांक 30.09.2014 द्वारा प्रकरण नस्तीबद्ध करते हुए छत्तीसगढ़ लोक आयोग को प्रकरण विलोपित किये जाने के संबंध में लेख किया गया है।
5	श्री व्ही.एस. लकड़ा (1996), तत्कालीन उप वनमण्डलाधिकारी नरहरपुर, जिला कांकेर	प्रकरण में आयोग की गई अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में वन विभाग द्वारा श्री लकड़ा को दिनांक 03.03.2012 को स्पष्टीकरण जारी किया गया। श्री लकड़ा द्वारा दिनांक 20.03.2012 को बचाव उत्तर प्रस्तुत किया गया। प्रकरण पूर्ण विवेचना उपरांत विभागीय आदेश दिनांक 30.09.2014 द्वारा नस्तीबद्ध करते हुए छत्तीसगढ़ लोक आयोग को प्रकरण विलोपित किये जाने के संबंध में लेख किया गया है।
6	श्री एच.एल. रात्रे (1998), तत्कालीन वनमण्डलाधिकारी, महारागुंव वनमण्डल	प्रकरण में आयोग की गई अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा श्री रात्रे के विरुद्ध प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, रायपुर से आरोप पत्र का प्रस्ताव अभिमत सहित उपलब्ध कराये जाने हेतु दिनांक 20.03.2012 को लेख किया गया था। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, रायपुर एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर द्वारा परीक्षण कर प्रकरण में आरोप स्थापित न होने का लेख किया गया। जिसकी विवेचना कर पूर्ण विचारोपरांत छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के आदेश दिनांक 03.09.2012 द्वारा प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है।
7	श्री एस.पी. रजक (2002), तत्कालीन वनमण्डलाधिकारी, मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल	प्रकरण में आयोग की गई अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में श्री रजक के विरुद्ध दिनांक 29.10.2010 को आरोप पत्र जारी कर विभागीय आदेश दिनांक 04.12.2014 द्वारा जांचकर्ता एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रकरण में विभागीय जांच की कार्यवाही प्रकियाधीन है।

परिशिष्ट "बाईस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 2254) के भाग (क) की जानकारी]

सरगुजा जिला अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों की विधानसभावार जानकारी

क.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1	अम्बिकापुर	673
2	सीतापुर	593
3	लुण्ड्रा	481
कुल योग	3	1747

परिशिष्ट "तेईस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 2794) की जानकारी]

नया रायपुर क्षेत्र में वृक्षारोपण की सेक्टरवार रोपित पौधों की जानकारी

सेक्टर क्र.	रोपित पौधों की संख्या
1	2
1	16120
2	7365
4	27736
5	5636
6	3301
7	17300
9	5246
10	7550
12	3182
13	6592
15	10557
16	5423
17	2347
19	63872
21	6790
22	6195
23	20504
24	66902
25	5857
28	6290
29	20174
32	6000
33	3152
34	14106
36	11649
39	4450
40	13849
योग :-	368145

परिशिष्ट 'चौबीस'

[अन्तर्गत प्रश्न संख्या 15 (क्र. 2857) के भाग (ख) की जानकारी]

वर्ष 2013-14 व 2014-15 (20 मार्च 2015 तक) में आरंग विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत रेत खदानों में अवैध उत्खनन संबंधी प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत प्राप्ति दिनांक	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	शिकायत पर की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
1	श्री ओंकारनाथ तिवारी	31.08.2013	निजी भूमि से अवैध रेत उत्खनन रोकने बाबत।	शिकायतकर्ता भूमि स्वामी श्री ओंकारनाथ तिवारी के समक्ष राजस्व निरीक्षक आरंग, खनि सर्वेयर तथा खनि निरीक्षक द्वारा ग्राम हरदीडीह में द्रष्टे रेत खदान क्षेत्र की जांच की गई जांच में पाया गया कि रेत का उत्खनन घोषित क्षेत्र द्वारा नंबर 190 रकबा 4 हेक्टर क्षेत्र से ही किया जाना पाया गया, किसी भी अन्य निजी भूमि, से रेत का अवैध उत्खनन होना नहीं पाया गया। शिकायतकर्ता की भूमि में रेत (रास्ता) बनाया जाना पाया गया। जांच के समय रेत का उत्खनन/ परिवहन कार्य बंद करा गया।
2	श्री दत्तन कुमार चन्द्राकर, जनपद सदस्य आरंग निवासी ग्राम रतनी	17.12.2013	नासगांव में अवैध रूप से तंचालित रेत खदान को तत्काल बंद करने बाबत।	ग्राम पंचायत पासगांव की रेत खदान की जांच ग्रामवासियों के समक्ष, राजस्व निरीक्षक आरंग, खनि सर्वेयर तथा खनि निरीक्षक द्वारा की गई। जांच में पाया गया कि रेत उत्खनन का कार्य खदान क्षेत्र के अन्दर ही किया गया है। पर्यावरण समिति में स्वीकृत रेत की मात्रा पूर्ण उत्खनन कर लिये जाने के कारण खदान में उत्खनन कार्य बंद था।
3	जाश्रित ग्राम करमंदी हरदीडीह ग्रामवासी	08.01.2014	ग्राम पंचायत कागदेही (करमंदी) सरपंच द्वारा महानदी रेत का अवैध उत्खनन किया गया है, जांच करने बाबत।	शिकायत की जांच खनि निरीक्षक द्वारा ग्राम पंचायत कागदेही के पंच गणों एवं ग्रामवासियों के समक्ष की गई। ग्रामवासियों ने अपने बयान में बताया कि रेत खदान विगत 3-4 माह पूर्व कार्यशील थी, जिसमें रायल्टी की कोई चोरी नहीं की गई और न ही अवैध वसूली की गई। ग्राम प्रभारी आरंग ने प्रतिवेदित किया है कि ग्राम आरंग द्वारा अवैध रेत परिवहन करते हुए जल वाहनों की सख्या निरक है। ग्राम पंचायत कागदेही में रेत खदान रकबा 4 हेक्टर पर्यावरण समिति दिनांक 07.12.2013 को प्राप्त कर वर्तमान में दिनांक 13.01.2014 से जनपद पंचायत द्वारा दो संवहन हेतु अधिवृत्त किया गया है।

1	2	3	4	5
4	श्री शतवारी पंच, श्री दिलीप पंच, श्री बोदल निगाम, श्री बालाराम, श्री नंदू, निपाद एवं समस्त ग्रामवासी राटाकाट (देनीडीह) आरंग (छ.ग.)	16.01.2014	आरंग विकासखण्ड के ग्राम पंचायत राटाकाट के आश्रित ग्राम देनीडीह रेत खदान को सरपंच के द्वारा खिलेश्वर पटेल के साथ साठगांठ कर लोडर मशीन से रात्रि में बिना पिट-पास के अवैध रूप से रेत उत्खनन की जा रही है। इस पर लोडर नशीन जप्त करने की कार्यवाही करने बाकत।	ग्राम देनीडीह की रेत खदान की जांच किये जाने पर पाया गया कि उक्त रेत खदान हेतु पर्यावरण सन्मति प्राप्त न होने के कारण कलेक्टर रायपुर द्वारा उक्त रेत खदान के संयोजन हेतु कोई अभिवहन पास जारी नहीं किया गया था, किन्तु मौके पर अवैध रेत उत्खनन हेतु श्री खिलेश्वर पटेल के द्वारा चैन माऊण्टेड मशीन मौके पर लायी गई थी। बयान पंचनामा के आधार पर 100 घनमीटर रेत के अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज करते हुए मौके पर चैन माऊण्टेड मशीन जप्त कर सील की गई। श्री खिलेश्वर पटेल के द्वारा जप्त की गई मशीन की सील तोड़कर ले जाने के उल्लंघन धाना आरंग में उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 11.02.2014 को दर्ज कराई गई है।
5	श्री राम दयाल साहू, ग्राम मोहगोला तहसील व थाना आरंग जिला रायपुर	28.10.2014	ग्राम पंचायत कुटेला आश्रित ग्राम मोहगोला तहसील व थाना आरंग जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में 29.06.2014 को घटित घटना बाकत।	शिकायत क्षेत्र की आवश्यक जांच किये जाने पर श्री बालदास गुरु सहायक इन्फ्रस्ट्रक्चर एवं श्री अशोक कुमार पटेल के विरुद्ध रेत खनिज अवैध उत्खनन का प्रकरण तैयार कर रुपये 18,20,800/- अर्धदण्ड प्रस्तावित करते हुए प्रकरण न्यायालय में दर्ज किया गया है। प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय में विद्यमान है।
6	सरपंच ग्राम पंचायत चिखली	02.01.2015	ग्राम पंचायत चिखली रेत खदान (A) में हो रही अनियमितता एवं जबरदस्ती उत्खनन के संबंध में।	शिकायत क्षेत्र की आवश्यक जांच किये जाने पर श्री संदीप कुमार पाठे के विरुद्ध रेत खनिज अप्रति उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर रुपये 1,48,500/- अर्धदण्ड यचूती की गई तथा गुरुदेव इंफ्रस्ट्रक्चर इन्फ्रस्ट्रक्चर के विरुद्ध रेत खनिज अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर रुपये 57,000/- अर्धदण्ड वसूली की गई।

परिशिष्ट "पच्चीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 2892) के भाग (ख) की जानकारी]

वर्ष 2011 से 2014 के दौरान गौण खनिज की प्राप्त आवृत्ति राशि में से पंचायतवार संचित राशि की जानकारी

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	संचित राशि (रूपयों में)
1	2	3
1	धनसुली	22914.00
2	बेलदुकरी	452451.00
3	बांसकूडा	82768.00
4	अचानकपुर	154420.00
5	लोहारडीह	18540.00
6	परसाडिह	23175.00
7	नांदगांव	59804.00
8	बडगांव	2527321.00
9	मुनगासेर	44185.00
10	गोपालपुर	163202.00
11	मोंगरा	894266.00
12	सोरीद	236044.00
13	अछरीडीह	288663.00
14	जागपाली	35817.00
15	लखनपुर	70816.00
16	चिंगरीद	583416.00
17	कनेकेरा	283464.00
18	भलेसर	81071.00
19	अछोली	1415758.00
20	कौंदकेरा	30146.00
21	उमरदा	16000.00
22	परसदा (ख)	384123.00
23	मुढेना	2019901.00
24	मोरघा	381718.00
25	शेर	1986583.00
26	घोडारी	1761521.00
27	कौआइर	30378.00
28	बेलसोणडा	446123.00
29	बिरकोनी	1167577.00

परिशिष्ट "छब्बोस"

[अंतराक्षित प्रश्न संख्या 28 (क. 2939) के भाग (क) की जानकारी]

राज्य जिले की जानकारी

क्र.सं.	विधानसभा का नाम	परियोजना का नाम	समीक्षित आरंभ की संख्या	समाप्त आरंभ की संख्या	अव्ययित आरंभ की संख्या	राज्य में कुल स्वीकृत आरंभ संख्या की विभाजक की स्थिति		योग	आ.व. संख्या के लिए आरंभ की संख्या नहीं है	आ.व. संख्या के लिए आरंभ की संख्या नहीं है	आ.व. संख्या के लिए आरंभ की संख्या नहीं है	अन्य आ.व. संख्या के लिए आरंभ की संख्या नहीं है	शुद्ध संख्या के लिए आरंभ की संख्या नहीं है	पूर्ण भवनों में आरंभ की संख्या	आरंभ की संख्या	आरंभ की संख्या	आरंभ की संख्या		
						स्वी.	अपूर्ण												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	हरद्वार	हरद्वार	359	359	0	288	0	71	187	238	101	187	172	136	22	14	0	187	152
2	दरभंगा	दरभंगा-1	197	197	0	155	2	49	104	155	42	104	93	91	7	1	26	78	60
3	दरभंगा	दरभंगा-2	155	155	0	123	0	41	82	123	32	82	73	72	1	0	37	45	56
4	जगदलपुर	जगदलपुर (गो.)	281	281	0	220	15	44	161	220	61	161	120	109	5	6	82	79	117
5	जगदलपुर	जगदलपुर (शु.)	71	71	0	11	9	1	1	11	60	1	70	66	4	0	0	1	0
6	हरद्वार	हरद्वार	208	208	0	177	13	35	129	177	31	129	79	77	2	0	0	129	63
7	लोकपाल	लोकपाल	181	181	0	181	1	34	146	181	0	146	35	34	1	0	0	146	145
8	लोहापट्टीगुला	लोहापट्टीगुला	241	241	0	220	0	56	164	220	21	164	77	72	3	2	39	125	95
9	बास्तानाप	बास्तानाप	156	156	0	156	1	42	115	156	0	115	41	41	0	0	0	115	64
योग:-			1849	1849	0	1501	41	373	1089	1501	348	1089	760	698	39	23	184	905	753

परिशिष्ट "स्टाईस"

[अतार्थिकत प्रथम संख्या 29 (क्र. 2943) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

जिले में स्थापित केशर संचालकों का नाम, छसमा नंबर एवं रकबा की जानकारी

1. लीज क्षेत्र में स्थापित केशरों की जानकारी

क्र.	केशर संचालक का नाम एवं पता	व्यक्ति	जान	रकबा नंबर	स्वामित्वदाता का स्थान	स्थापित केशर की पूरी (मीटर में)					जाला से पूरा
						राष्ट्रीय मार्ग से पूरी	राजमार्ग से पूरी	स्थानीय सड़क से पूरी	नदी से पूरी	जाला से पूरा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	श्री धुब कुमार अग्रवाल निवासी जयसहार	नि.श्रे. चूनापत्थर	अकलतरा	966	3.931	5.00	15000	500	10000	5000	1900
2	श्रीमती कोटिया निवासी अकलतरा	नि.श्रे. चूनापत्थर	अकलतरा	655, 656/1, 656/2	1.956	5.00	15000	400	10000	5000	2000
3	नानारती देवी, नि. अकलतरा	नि.श्रे. चूनापत्थर	अकलतरा	169/1, 2	1.40 ए	5.00	15000	1000	10000	5000	2000
4	श्री राजय कोटिया, नि. अकलतरा	नि.श्रे. चूनापत्थर	अकलतरा	651	0.971	5.00	15000	500	10000	5000	2000
5	एस.एस. इन्टरप्राइजेस प्रा. श्री सतीश अग्रवाल, नि. चंपा	नि.श्रे. चूनापत्थर	अकलतरा	630/2, 649/1	0.923	5.00	15000	500	10000	5000	2000
6	श्री सत्य कुमार खण्डेलिया	नि.श्रे. चूनापत्थर	तराई	2115	0.971	1500	8000	1500	8000	5000	2000
7	अजिनाश अग्रवाल निवासी डिलासपुर	नि.श्रे. चूनापत्थर	तराई	2110/1	1.741	1000	8000	1000	9000	5000	1500
8	श्री किशोर भाई पटेल निवासी सक्कर प्रो	नि.श्रे. चूनापत्थर	तराई	2114	2.429	1000	8000	1500	9000	5000	1500
9	श्री शिवाजी मिनरल श्याम सुन्दर जवाबिदा बिलासपुर	नि.श्रे. चूनापत्थर	तराई	2113	1.012	1500	8000	1500	9000	5000	1500
10	गदन जैन निवासी अकलतरा	नि.श्रे. चूनापत्थर	तराई	2111/1	1.943	2000	8000	1500	9000	5000	2000
11	आनंद अग्रवाल निवासी इन्डोनीडीह	नि.श्रे. चूनापत्थर	तराई	2115	2.634	2000	8000	1000	9000	5000	2000
12	श्रीमती शारदा मुक्तिम पति श्री निरंजन मुक्तिम	नि.श्रे. चूनापत्थर	तराई	2111	0.703	1500	8000	1500	9000	5000	1000
13	बालाजी इन्टरप्राइजेस प्रो शिव गर्ग नि. बिलासपुर	नि.श्रे. चूनापत्थर	किरासी	731	1.619	2000	8000	500	9000	5000	1000
14	श्रीराम अरोरा निवासी बिलासपुर	नि.श्रे. चूनापत्थर	किरासी	793/8, 793/14	2.028	2000	8000	2000	9000	5000	2000
15	श्री. माहामाया इन्टरप्राइजेस प्रो. श्री दीनानाथ सिंह निवासी अकलतरा	नि.श्रे. चूनापत्थर	किरासी	721/16	0.911	1500	8000	1000	9000	5000	1500
16	श्रीमती पुष्पलता पंचायती निवासी बिलासपुर	नि.श्रे. चूनापत्थर	किरासी	828, 830, 831, 832 एड अन्य	2.486	2000	8000	1000	9000	5000	1000
17	श्री गिरनलस प्रो श्री जयन कोटिया निवासी अकलतरा	नि.श्रे. चूनापत्थर	किरासी	837/1/अ, 848/24अ, 837/1स/1, 848/24/क	1.012	1500	8000	500	9000	5000	1000
18	श्री लीला अग्रवाल निवासी तराई	नि.श्रे. चूनापत्थर	किरासी	844/3, 844/4	2.672	2000	8000	1500	9000	5000	1000

क्र.श. संचालक के नाम व स्थान की जानकारी		संशोधित केशर की दूरी (मीटर में)									
क्र	केशर संचालक का नाम एवं पता	खनिज	ग्राम	खसरा नंबर	खनिरियाकर का रकबा	राष्ट्रीय मार्ग से दूरी	राजमार्ग से दूरी	स्थानीय सड़क से दूरी	नदी से दूरी	नाला से दूरी	तालाब से दूरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	श्रीमती पूजा जैन निवासी बिलासपुर	नि.श्रे. चूनापत्थर	किचारी	837/19, 948/12ख, 531/14/2, 54E/16/3, 837/17,948/16/4 में से	1620	2000	5000	1500	5000	5000	1000
20	श्री बाबूलाल अग्रवाल, नि.0 जौजगीर	नि.श्रे. चूनापत्थर	करगंवा	1053, 1116, 1117/3	0.487	8000	7000	500	2000	600	1000
21	श्रीमती इन्दु अग्रवाल पति श्री अजय अग्रवाल, नि.0 जौजगीर	नि.श्रे. चूनापत्थर	बैजलपुर	372/3	0.510	5000	7000	500	2000	100	1000
22	श्री राम गोपाल डिक्केना, नि.0 कोन्वा	नि.श्रे. चूनापत्थर	विरगहनी	136	0.910	1000	3000	110	105	70	1000
23	श्री.शालाजी बनवारी ताल शर्मा गु.पो.घोन्था	नि.श्रे. चूनापत्थर	विरगहनी	196/1, 2 एवं अन्य	1.650	1000	3000	120	200	100	1000
24	श्री नंद कुमार ओझा आ. श्री अर्जुन लाल ओझा निवासी चाम्पा	नि.श्रे. चूनापत्थर	विरगहनी	97/3, 9E/1, 2, 3	0.543	2000	4000	400	1000	250	1000
25	श्री जनुना प्रसाद राठीर, नि.0 विरगहनी	नि.श्रे. चूनापत्थर	विरगहनी	294/1	0.809	2000	4000	150	1000	90	1000
26	सुरेश कुमार राठीर, नि.0 विरगहनी	नि.श्रे. चूनापत्थर	विरगहनी	294/1	0.506	1000	3000	120	700	70	1000
27	श्री लोकेश चन्दा निवासी नगझर	नि.श्रे. चूनापत्थर	नगझर	164	1.539	2000	8000	120	150	1000	1000
28	श्री राधेकृष्ण मिश्रस पाट, श्री रतन चन्द्र अग्रवाल निवासी अकलतरा	नि.श्रे. चूनापत्थर	अकलतरा	173	0.810	5000	15000	1000	10000	6000	1000
29	मेसर्स बालाजी मिश्रस एच माइन्स पाट आशीष खण्डेलिया निवासी अकलतरा	नि.श्रे. चूनापत्थर	अकलतरा	177/1, 177/2	2.429	5000	15000	1000	10000	6000	1000
30	जी.एच.एन.मार्बनिंग प्रा.लि. डोरदेक्टर विक्रम चन्दा	नि.श्रे. चूनापत्थर	पाना	11/1	3.846	5000	7000	200	13000	4000	1000
31	श्री त्रिलोकनाथ अग्रवाल निवासी सक्ती	नि.श्रे. चूनापत्थर	तरीद	2109/1	3.643	1500	6000	1500	9000	6000	1500
32	पिकास तुलस्वान निवासी अकलतरा	नि.श्रे. चूनापत्थर	तरीद	2101/1	3.036	1000	8000	1500	9000	6000	1500
33	निरंजन मुक्तिम निवासी-अकलतरा	नि.श्रे. चूनापत्थर	तरीद	2107/2	2.227	1200	6000	700	9000	6000	1500
34	श्री गोविंद राम अग्रवाल निवासी बिलासपुर	नि.श्रे. चूनापत्थर	तरीद	2112, 2113	0.910	1000	8000	1500	9000	6000	1500
35	श्री विवेक सराफ आ. श्री प्रमोद सराफ, नि.0 अकलतरा	नि.श्रे. चूनापत्थर	तरीद	2070/1, 2070/3, 2038	0.510	400	6000	500	9000	6000	1500
36	श्री राजेश कुमार दैणद निवासी तरीद	नि.श्रे. चूनापत्थर	तरीद	2107/2, 2108/2, 2109/2, 2110/2,	0.445	900	8000	700	9000	6000	1500
37	श्री मुकेश कुमार जैन	नि.श्रे. चूनापत्थर	किचरी	731	1.538	1000	5000	1000	9000	6000	1000

क्र	कंशर संचालक का नाम एवं पता	स्थान	प्रभ	खपरा नंबर	स्तिथि/वस्तु का प्रकार	रक्षित कंशर की दूरी (मीटर)				चालाक से दूरी	
						संचालक से दूरी	संचालक से दूरी	संचालक से दूरी	संचालक से दूरी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	श्री प्रभाकर धर दीवान निवासी किरारी	नि.क. घुनापत्थर	किरारी	837/1 अ, 837/1 ब	0.739	1000	3000	1000	9000	5000	1500
39	म. शक्ति स्टोन कंशर प्रो. श्री अजय विपरी, नि.0 बिलासपुर	नि.क. घुनापत्थर	किरारी	704/1 अ, 6 ए, 705/1	1.012	1500	5000	500	9000	5000	1500
40	श्री निराल पाट, श्री रुद्र सिंह, नि.0 तपोद	नि.क. घुनापत्थर	किरारी	731	1.012	1000	5000	1000	9000	5000	1500
41	रोशन कुमार सिंह निवासी बिलासपुर	नि.क. घुनापत्थर	किरारी	750	1.215	1000	8000	700	9000	5000	1500
42	अनिल कुमार अग्रवाल निवासी जाजगीर	नि.क. घुनापत्थर	किरारी	786/2, 3, 4, 786/1, 2, 3, 4, 767/1, 2	0.871	1000	8000	1200	9000	5000	1500
43	रविशंकर प्रोजेक्ट प्रा.0 लिमि. अकलावा	नि.क. घुनापत्थर	किरारी	767/4, 6, 9	0.741	1500	8000	2000	9000	5000	1500
44	श्री इन्द्रकुमार प्रजापति निवासी किरारी	नि.क. घुनापत्थर	किरारी	836/1, 4, 5, 6, 20, 335/2, 4, 5, 6, 11-13	2.016	1500	8000	1000	9000	5000	1500
45	श्री प्रदीप कुमार राठौर निवासी जाजगीर	नि.क. घुनापत्थर	किरारी	826/4, 8, 26/17	0.749	1500	8000	1500	9000	5000	1500
46	मुक्ति मिश्राल प्रो. श्री लक्ष्मण मुक्ति, अकलावा	नि.क. घुनापत्थर	किरारी	724/1	0.731	1500	8000	700	9000	5000	1500
47	श्री श्याम निराल पाटो श्री अशिता मोदी नि.0 कोरवा	नि.क. घुनापत्थर	किरारी	626/23	1.417	2000	8000	1000	9000	5000	1500
48	एच.एम. इन्टरप्राइजस प्रो. श्री महेश मिश्राल, नि.0 जाजगीर	नि.क. घुनापत्थर	करवादा	1095/1, 1097/2, 1099, 1100, 1101, 1103, 1104, 1124	1.661	8000	7000	110	2000	90	1000
49	भक्त पवन स्टोन क्लेशिंग इ. प्रो. श्री दुलीशम राठौर, नि.0 बिरगहनी	नि.क. घुनापत्थर	करवादा	1029/2, 1030/2, 1031/1, 2	1.519	8000	7000	1000	2000	200	1000
50	श्रीमति श्वेता गादी, नि.0 घांग	नि.क. घुनापत्थर	बिजलपुर	385/1, 2	0.608	8000	7000	600	2000	80	1000
51	श्री कुंज बिहारी अग्रवाल, नि.0 घांग	नि.क. घुनापत्थर	बिरगहनी	294/1	1.983	2000	3000	300	500	70	1500
52	श्री संजय कुमार अग्रवाल, नि.0 जाजगीर	नि.क. घुनापत्थर	बिरगहनी	172	0.807	1000	3000	300	500	80	1500
53	श्रीमति सखुवला मुक्ति अकलावा	नि.क. घुनापत्थर	बिरगहनी	288, 289, 290, 291, 292	0.834	1000	3000	500	500	70	1500
54	एच.के.एच. कम्पनी प्रो. श्री सुधीर कुमार अग्रवाल निवासी कोरवा	नि.क. घुनापत्थर	बिरगहनी	244, 245, 252, 254	0.781	1000	3000	300	500	80	1500
55	श्री राजेश कुमार राठौर नि.0 तपोद	नि.क. घुनापत्थर	बिरगहनी	171/5 में से	0.324	700	3000	120	200	100	1500
56	मोदी स्टोन क्लेशिंग इ. प्रो. श्री जीवन	नि.क. घुनापत्थर	बिरगहनी	100/1, 100/5	0.332	800	3000	70	200	150	1000

क्र.	अंशर संचालक के नाम व स्थान की जानकारी				स्थिति अंशर की दूरी (मीटर में)						
	अंशर संचालक का नाम एवं पता	खनिज	ग्राम	असरा नंबर	स्वनिर्माण का रकबा	राष्ट्रीय मार्ग से दूरी	राजधानी से दूरी	स्थानीय सड़क से दूरी	नदी से दूरी	बाला से दूरी	तालाब से दूरी
1	कुमार मोदी निवासी ग्राम	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	श्री आर्य स्थान लघु उद्योग प्रो श्री किशोर कुमार मोहन, नि:0 चापा	नि.शे. घुनापत्थर	बिराहनी	1128/2, 1130/2,3,4,5	1.100	1500	3000	150	1500	140	1000
58	श्री मुकेश कुमार बंसल, नि:0 चापा	नि.शे. घुनापत्थर	बिराहनी	155, 160	0.484	1000	3000	80	150	80	1500
59	श्री जगजित राहु आ श्री गुरुनारायण निवासी बिराहनी	नि.शे. घुनापत्थर	बिराहनी	85/2, 96/2, 3, 8, 99/2	0.531	1000	3000	1000	700	70	1500
60	श्री सौम्या गिजल्ला प्रो. धूरुजाल साहू चापा	नि.शे. घुनापत्थर	बिराहनी	71/3, 71/4, 71/5, 82/2, 83/2, 84	1.307	1000	3000	1500	1000	300	1500
61	श्री भारती निररत्न प्रो. राजेंद्र कुमार शर्मा, नि:0 बिराहनी	नि.शे. घुनापत्थर	बिराहनी	234, 235, 206/1, एवं अन्य	1.560	1000	3000	400	150	200	1000
62	श्री जयंत कुमार शर्मा बिराहनी	नि.शे. घुनापत्थर	बिराहनी	294/1, एवं अन्य	0.932	1500	3000	200	500	90	1000
63	राजेश कुमार मोदी निवासी ग्राम	नि.शे. घुनापत्थर	बिराहनी	258, एवं अन्य	1.227	1200	3000	110	200	100	1000
64	असदीप सिंह भाटिया चापा	नि.शे. घुनापत्थर	करमदी	684, 688, 689	0.454	8000	7000	1000	2000	130	1000
65	श्री ओम साई अंशर लॉग, प्रो. रविंद्र द्विवेदी, चापा	नि.शे. घुनापत्थर	करमदी	687/1ए 688/1ए 660/2ए 661ए 662ए 663	1.025	8000	7000	1000	2000	200	1000
66	राजेश कुमार अग्रवाल, नि:0 चापा	नि.शे. घुनापत्थर	करमदी	442, 445/1	0.516	8000	7000	1000	2000	130	1000
67	जगत रतन कशर प्रो. श्यामली जगल घुंटे निवासी जंजीर	नि.शे. घुनापत्थर	निराहनी	300/2,3,4 अन्य	1.475	11000	6000	300	2000	4000	1000
68	श्री भद्रेश जी साह निवासी नामगढ	नि.शे. घुनापत्थर	सतखन	338	4.000	10000	8000	150	9000	2000	1500
69	श्री उमेश कुमार अग्रवाल निवासी झुलन	नि.शे. घुनापत्थर	झुलन	204	1.215	200	1000	300	5000	300	1500
70	माधुराम अग्रवाल आ श्री प्रहलाद राय अग्रवाल, नि:0 शिवरीनारायण	नि.शे. घुनापत्थर	शुकुलपारा	215/3, 216/4	2.025	15000	400	500	200	1000	700
71	महेश कृष्ण गिनरत्न प्रो. श्री सहल खड्गेनिया, नि:0 अकलतरा	नि.शे. घुनापत्थर	जंजश	592	4.000	5000	7000	1000	200	100	1000
72	गौर रतन कशर भाई, श्री महेश चन्द्र अग्रवाल, नामगढ	नि.शे. घुनापत्थर	कण्डीपारा	1/1	3.056	200	1000	300	5000	300	1000
73	श्री हरद कश्यप निवासी बिराहनी	नि.शे. घुनापत्थर	बिराहनी	2010/1	3.400	3000	6000	2000	8000	3000	1500

केंद्र संघालक के नाम व स्थान की जानकारी		स्थापित केशर की दूरी (मीटर में)									
क्र	केंद्र संघालक का नाम एवं पता	खण्ड	ग्राम	खसरा नंबर	स्थायित्व का स्तर	स्थायित्व मान से दूरी	स्थानीय सड़क से दूरी	नदी से दूरी	नाला से दूरी	नाला से दूरी	तालाब से दूरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	श्री बालाजी मंडल एण्ड मिन्स एंड लिमिटेड, साउथकोल	लोलागईट	चूरुपारा	251E/1, 2322/12 2333/5, 2050/1, 2357/2, 2358/12	42.754	2000	16000	200	3000	500	1000
75	एमकेडिम, मिता श्री राजागंद केरिया, निओ अकलतार	डोलगाईट	दरी	459/2	3.163	8000	12000	400	5000	1000	150

2. मंडारण अनुज्ञप्ति प्राप्त कर स्थापित केशरों की जानकारी

केंद्र संघालक के नाम व स्थान की जानकारी										स्थापित केशर की दूरी (मीटर में)									
क्र	केंद्र संघालक का नाम एवं पता	खण्ड	ग्राम	खसरा नंबर	मंडारण अनुज्ञप्ति का स्तर	स्थायित्व मान से दूरी	स्थानीय सड़क से दूरी	नदी से दूरी	नाला से दूरी	नाला से दूरी	तालाब से दूरी								
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	इन्डु अग्रवाल प्रो. विनायक मिन्स निवासी जांजीर	नि.शे. घुनाफथर	बैजलपुर	407/2,3,4,5	0.50 ए	8000	7000	600	2000	700	1500								
2	लक्ष्मणेश्वर स्टोन केशर प्रो लोनाकरण गुप्ता निवासी चरईद,	नि.शे. घुनाफथर	हुकुलपारा	213	1.12 ए	15000	1500	200	2300	1000	700								
3	श्री दीपक अग्रवाल निवासी चरईकिया	नि.शे. घुनाफथर	कटाई	1681/4, 5, 6	0.37 ए	7000	1500	110	2500	1000	500								
4	भैरव बालाजी गार्डनिंग प्रो आजीव खण्डेकिया निवासी अकलतार	नि.शे. घुनाफथर	चरईद	176/39	0.60 ए	6000	17000	110	1200	200	500								
5	नेपाल आर.एस. मिन्स प्रो नरेश कुमार अग्रवाल निवासी-बिलारफुड	नि.शे. घुनाफथर	किररी	719/2, 720	0.70 ए	800	7000	150	8000	4000	700								
6	राज मिन्स प्रो मो. सुक्यान निवासी-अकलतार	नि.शे. घुनाफथर	अकलतार	139/1	1.30 ए	5000	12000	150	8000	3000	1000								
7	ओम केशर श्रीमति-सगीता निवासी-जांजीर	नि.शे. घुनाफथर	किररी	789/4	1.00 ए	1000	7000	1000	8000	4000	1000								
8	श्री देवजी रिंग कालख निवासी-जांजीर	नि.शे. घुनाफथर	बनाडील	103/3	0.52 ए	700	7000	1000	8000	4000	1000								
9	शे. नलाजी एण्ड एस केशर उद्योग पाट. श्री विजय कुमार अग्रवाल निवासी-अकलतार	नि.शे. घुनाफथर	बनाडील	2/1	0.348 हे	700	7000	1000	8000	4000	1000								
10	गुरेश्वरी केशर प्रो. श्री नरसिम बर्मन निवासी बलीन	नि.शे. घुनाफथर	बलीन	1/2 ख, 1/1B	0.61 ए	25000	1500	120	1000	300	1000								
11	राजकुमार अग्रवाल निवासी डोगर	नि.शे. घुनाफथर	डोगर	1158	0.58 ए	24000	1500	120	1000	300	1000								
12	एस. जे. मिन्स प्रो. संतोष अग्रवाल	नि.शे. घुनाफथर	बैजलपुरा	181/1	0.45 ए	9000	23000	1000	6000	200	1000								

अंशर संचालक के नाम व स्थान की जानकारी											
क्र.सं.	अंशर संचालक का नाम एवं पता	सूचना	संख्या	संख्या	प्रकार/विवरण का संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	नि. तस्की										
13	आर. के. स्टोन, जिलेद गबेल, नि.0 समती	नि.शे. घुनापल्लर	घनापल्लर	18	0.36 ₹	9000	20000	10000	6700	200	1000
14	सिद्धी विनायक प्रो.0 राजेन्द्र सिंह, नि.0 बिलासपुर	नि.शे. घुनापल्लर	बिलासपुर	708	1.00 ₹	1000	7000	1000	8000	4000	10000
15	यावा फनहंस शानोदोग प्रो. श्री बजरंग लाल अग्रवाल निवासी खरसीया	नि.शे. घुनापल्लर	घनापल्लर	392/7	0.35 ₹	6000	1500	400	2000	1500	500
16	नि.0 राधा मोहन देवसे प्रो.0 नीलेश मंडवी, नि.0 अकलतरा	नि.शे. घुनापल्लर	घनापल्लर	7/1, 7/3 7/4, 8	3.45 ₹	300	7000	1000	5000	4000	10000
17	रुमादेव स्टोन के.सिंग इण्डो, प्रो.0.महेश कुमार भंडी, नि.0 चापा	नि.शे. घुनापल्लर	घनापल्लर	24	0.45 ₹	2000	3000	200	300	200	500
18	नेथरस प्रो.के.ए. प्रो.0 सिमि, प्रो.0 दीपक कुमार शर्मा, नि.0 बिलासपुर	नि.शे. घुनापल्लर	घनापल्लर	2/1, 3/2, 3/3	0.705 ₹	450	7000	1000	8000	4000	10000
19	अलापारट पार्सिंग कंपनी, चारदार	जोलापल्लर	जोलापल्लर	109/2,3,4 114/10,	2.50 ₹	115	400	700	3000	1000	200
20	आर. मधुकर राव, नि.0 अकलतरा	नि.शे. घुनापल्लर	अकलतरा	637	1.04 ₹	4000	11000	200	8000	3000	10000
21	नि.0 कृष्ण मिनरल, प्रो.0 कृष्ण कुमार अग्रवाल नि.0 जंश	नि.शे. घुनापल्लर	जि.राही	753	0.34 ₹	1500	7000	1500	8000	8000	1000
22	रुमादेव चन्दा निवासी ज्वालामुखी	नि.शे. घुनापल्लर	सांघर	1155	1.20 ₹	24000	15000	120	1000	300	10000
23	जय प्रकाश अग्रवाल निवासी राकेश	नि.शे. घुनापल्लर	रुमा	112/14	0.50 ₹	300	3000	2000	1500	200	700
24	दीपक देवानम नि.0 विर	नि.शे. घुनापल्लर	रुमापुर	102/1	0.38 ₹	2000	2000	55	100	1000	1000
25	श्री घुनापल्लर चन्दा निवासी विर, त्याग बरुनादीठ	नि.शे. घुनापल्लर	बिलासपुर	452	0.72 ₹	25000	2000	80	115	1000	1000
26	श्री रामनाथय्य अग्रवाल, निवासी चौक	नि.शे. घुनापल्लर	जि.किरवा	409	0.43 ₹	25000	25000	120	150	1000	10000
27	श्री रमेश चर्तार निवासी-जोखरी	नि.शे. घुनापल्लर	करमदा	1006/4	0.21 ₹	8000	7000	180	2000	200	10000
28	रमेश कुमार अग्रवाल, नि.0 नैला	नि.शे. घुनापल्लर	बिलासपुर	332/1	0.55 ₹	8000	7000	70	200	60	700
29	भा. भवानी केशर स्टोन घुमासी बाई स.श. गडोड	नि.शे. घुनापल्लर	बिलासपुर	1166/1	1.00 ₹	7000	1500	200	2000	1000	500
30	श्री ए.सी.टी. फाईन प्रा.0 लिमि, प्रो.0 रामेन्द्र मिश्रा, नि.0 अकलतरा	नि.शे. घुनापल्लर	अकलतरा	47/1, 2	1.40 ₹	4000	11000	200	8000	3000	10000
31	सतिता स्टोन केशर प्रो.0 सतिता अग्रवाल, नि.0 खरसीया	नि.शे. घुनापल्लर	बिलासपुर	1205/2	0.60 ₹	7000	1000	120	2000	1000	500
32	दुलु श्री मिनरल निदेशक सानोदोग अग्रवाल, नि.0 बरसाड	जोलापल्लर	जोलापल्लर	1791/1,2,3, 1796/1,2, 1797/3,5, 1795/1,2,3,4, 5,5, 1796/1,2	2.64 ₹	2000	15000	70	2000	500	10000

परिशिष्ट "अट्‌टाईस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 2947) के भाग (ख) की जानकारी]

अंतागढ़ विधान सभा क्षेत्र में गठित महिला स्व सहायता समूह की जानकारी

क्र.	विकास खण्ड	गठित महिला स्व सहायता समूह की संख्या
1	2	3
1	अंतागढ़	350
2	कोयलीबेड़ा	26
3	पखांजूर	395
	कुल योग	771

परिशिष्ट "उत्तरीस"

[अतिरिक्त प्रश्न संख्या 35 (अ. 2978) के भाग (ख) की जानकारी]

मद जिन्में राशि व्यय की गई (रूप में)

क्र	विकास खण्ड का नाम	ग्रामीण खेल प्रतियोगिता		महिला खेल प्रतियोगिता		मैराथन दौड़		युवा उत्सव		ग्रामीण क्षेत्र खेल अभ्यास योजना		राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज	खेल सामग्री कय	राष्ट्रीय खेल हेतु संघ को अनुदान	एक शाम राहियों के आयोजन	प्रशिक्षण शिविर
		वि.ख स्तर	जिला स्तर	वि.ख स्तर	जिला स्तर	वि.ख स्तर	जिला स्तर	वि.ख स्तर	जिला स्तर	वि.ख स्तर	जिला स्तर					
1	पुरवदान	40000	-	20000	-	19000	-	15000	-	1,89,000	-	-	-	-	-	-
2	पुरवा	40000	-	20000	-	19000	-	15000	-	1,89,000	-	-	-	-	-	-
3	चौकी	40000	-	20000	-	19000	-	15000	-	1,89,000	-	-	-	-	-	-
4	उपरगाँव	40000	-	20000	-	19000	-	15000	-	1,89,000	-	-	-	-	-	-
5	खैरागाढ़	40000	-	20000	-	19000	-	15000	-	1,89,000	-	-	-	-	-	-
6	खैरागाढ़	40000	-	20000	-	19000	-	15000	-	1,89,000	-	-	-	-	-	-
7	मानपुर	40000	-	20000	-	19000	-	15000	-	1,89,000	-	-	-	-	-	-
8	भेदला	40000	-	20000	-	19000	-	15000	-	1,89,000	-	-	-	-	-	-
9	राजगाँव	40000	2,25,000	20000	1,20,000	19000	46,000	15000	50,000	1,89,000	-	1,35,000	2,50,000	14,12,800	40,000	1,50,000

परिशिष्ट "तीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 36 (क्र. 2981) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

रायगढ़ जिला अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की जानकारी वर्ष 2013

क्र.	जनपद पंचायत का नाम	परियोजना का नाम	विवाह तिथि	विवाह स्थान	वर्ष 2013 में लान्माजिता जोड़े
1	रायगढ़	रायगढ़ शहरी	7 जून 2013	अभियंता भवन रायगढ़	7
			31 जनवरी 2013	रायपुर	4
			22 मार्च 2013	रामवाग रायगढ़	12
		रायगढ़ ग्रामीण	07 जून 2013	अभियंता भवन रायगढ़	13
			31 जनवरी 2013	रायपुर	13
			22 मार्च 2013	रामवाग रायगढ़	34
योग					83
2	पुसीर	पुसीर	10 जून 2013	मंगल भवन पुरौर	20
			31 जनवरी 2013	रायपुर	8
			22 मार्च 2013	रामवाग रायगढ़	20
योग					49
3	तमनार	तमनार	29 जून 2013	मायत्री मंदिर तमनार	16
			31 जनवरी 2013	रायपुर	4
			16 मार्च 2013	तमनार	26
योग					46
4	खरसिया	खरसिया	16 मई 2013	मायत्री मंदिर खरसिया	24
			31 जनवरी 2013	रायपुर	8
			16 मार्च 2013	खरसिया	11
योग -					44
5	घरघोड़ा	घरघोड़ा	21 अप्रैल 2013	धरमजयगढ़	1
			31 जनवरी 2013	रायपुर	4
			16 मार्च 2013	धरमजयगढ़	23
योग-					28
6	धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	20 अप्रैल 2013	मायत्री मंदिर धरमजयगढ़	5
			17 जून 2013	धरमजयगढ़ डाईट	12
			31 जनवरी 2013	रायपुर	7
			24 मार्च 2013	धरमजयगढ़	83
		कापू	20 अप्रैल 2013	मायत्री मंदिर धरमजयगढ़	14
			17 जून 2013	धरमजयगढ़ डाईट	7
			31 जनवरी 2013	रायपुर	8
			24 मार्च 2013	धरमजयगढ़	79
योग					216

क्र.	जनपद पंचायत का नाम	परियोजना का नाम	विवाह तिथि	गिवाह स्थान	वर्ष 2013 में लाभान्वित जोड़े
7	बरमकेला	हरमकेला	11 मई 2013	बी.ई.ओ. प्रांगण हरमकेला	8
			9 जून 2013	गायत्री मंदिर हरमकेला	6
			31 जनवरी 2013	रायपुर	8
			30 मार्च 2013	हरमकेला	21
		लेख्रा	31 जनवरी 2013	रायपुर	11
			30 मार्च 2013	हरमकेला	6
योग-					60
8	सारंगढ़	सारंगढ़	31 जनवरी 2013	रायपुर	8
			30 मार्च 2013	सारंगढ़	19
		कोसीर	31 जनवरी 2013	रायपुर	7
			30 मार्च 2013	सारंगढ़	18
			10 जून 2013	मंडी प्रांगण सारंगढ़	11
योग-					63
9	लैलूंगा	लैलूंगा	31 जनवरी 2013	रायपुर	3
			18 मार्च 2013	लैलूंगा	17
		मुकडेगा	18 मार्च 2013	लैलूंगा	22
योग-					42
महायोग-					31

प्रपत्र "ब"

रायगढ़ जिला अन्तर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की जानकारी वर्ष 2014

क्र.	त.प.प. पंचायत का नाम	परियोजना का नाम	विवाह तिथि	विवाह स्थान	वर्ष 2014 में लाभान्वित जोड़े
1	रायगढ़	रायगढ़ शहरी	28 फरवरी 2014	रामबाग रायगढ़	18
			7 जूलाई 2014	रामबाग रायगढ़	12
			8 दिसम्बर 2014	चक्रवर्त भाल सदन रायगढ़	2
		रायगढ़ ग्रामीण	28 फरवरी 2014	रामबाग रायगढ़	30
			8 जून 2014	रामबाग रायगढ़	15
योग					75
2	पुसौर	पुसौर	28 फरवरी 2014	मंगल भवन पुसौर	25
			7 जून 2014	मंगल भवन पुसौर	11
योग					36
3	तमनार	तमनार	28 फरवरी 2014	गायत्री मंदिर तमनार	37
योग					37
4	खरसिया	खरसिया	28 फरवरी 2014	राडीर भवन खरसिया	18
योग -					18
5	घरघोड़ा	घरघोड़ा	16 जून 2014	बालक मा.शा. घरघोड़ा	16
			29 जून 2014	बंजारी धाम तराईमाल	4
			28 फरवरी 2014	गायत्री मंदिर तमनार	23
			7 जून 2014	रामबाग रायगढ़	3
योग-					46
6	धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	22 मार्च 2014	धरमजयगढ़ डाईट	80
		झांगू	22 मार्च 2014	धरमजयगढ़ डाईट	49
योग					129
7	लैलूगा	लैलूगा	28 फरवरी 2014	लैलूगा	48
		मुकडेगा	28 फरवरी 2014	लैलूगा	23
योग-					71
8	बरमकेला	बरमकेला	24 फरवरी 2014	बी.ई.ओ. प्रागण बरमकेला	16
			01 जून 2014	बी.ई.ओ. प्रागण बरमकेला	16
		तेन्ना	24 फरवरी 2014	बी.ई.ओ. प्रागण बरमकेला	46
			1 जून 2014	बी.ई.ओ. प्रागण बरमकेला	11
			30 जून 2014	गायत्री शक्ति पीठ बरमकेला	3
योग-					92
9	सारंगढ़	सारंगढ़	28 फरवरी 2014	गायत्री मंदिर सारंगढ़	26
		कोसीर	28 फरवरी 2014	जवाहर भवन मैदान सारंगढ़	7
योग-					33
महायोग-					537

परिशिष्ट "इकतीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 37 (क्र. 2986) की जानकारी]

प्रदेश में मूक बधिर/शारीरिक विकलांगों की शिक्षा हेतु शैक्षणिक संस्थाओं की जिलेवार जानकारी

क्रमांक 1	जिले का नाम 2	कार्यालय/संस्था का नाम 3	शैक्षणिक स्तर 4
प्राथमिक स्तर के संस्थाएं			
1	रायपुर	शासकीय बहु विकलांग गृह	प्राथमिक
2	महासमुन्द	शासकीय बहु विकलांग गृह	प्राथमिक
3	कबीरधाम	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ विद्यालय	प्राथमिक
4	दुर्ग	स्वैच्छिक संस्था तुलसी लोक विकारा संस्थान मिलाई जिला दुर्ग	प्राथमिक
5	जगदलपुर	शासकीय अरिथ बाधितार्थ बाल गृह	प्राथमिक
6	दन्तेवाड़ा	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ विद्यालय	प्राथमिक
7	कांकेर	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ विद्यालय	प्राथमिक
8	रायगढ़	स्वैच्छिक संस्था उन्नायक सेवा समिति, छोटे अतरमुड़ा उम संयासक, पंचायत एवं समाज कल्याण के बगल से रायगढ़	प्राथमिक
9	जशपुर	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ विद्यालय	प्राथमिक
10	जशपुर	स्वैच्छिक संस्था होलीकॉस विकलांग सेवा मंच पत्थलगांव जिला जशपुरनगर	प्राथमिक
पूर्व माध्यमिक स्तर के संस्थाएं			
11	रायपुर	शासकीय अरिथ बाधित बाल गृह	पूर्व माध्यमिक
12	रायपुर	स्वैच्छिक संस्था कोपलबाणी चाइल्ड वेलफेयर आर्गनाइजेशन सुन्दर नगर रायपुर	पूर्व माध्यमिक
13	बिलासपुर	स्वैच्छिक संस्था आनंद निकेतन बधिर विद्यालय वेयर हाकस रोड, बिलासपुर	पूर्व माध्यमिक
14	बिलासपुर	स्वैच्छिक संस्था जस्टिस उन्नायक मेमोरियल रोटरी स्कूल फॉर स्पेशल बिल्डिंग बिलासपुर	पूर्व माध्यमिक
15	राजनांदगांव	स्वैच्छिक संस्था आस्था मूक बधिर निःशक्ताजनों के कल्याणार्थ शिक्षण सह पुनर्वास संस्थान बरसापुर परमकांटा के पीछे राजनांदगांव	पूर्व माध्यमिक
16	राजनांदगांव	स्वैच्छिक संस्था अभिजाता निःशक्तों के कल्याणार्थ शिक्षण प्रशिक्षण संस्था दिग्विजय स्टेडियम परिसर राजनांदगांव	पूर्व माध्यमिक
17	सरगुजा	स्वैच्छिक संस्था मानव जीवन ज्योति नेत्रहीन विद्यालय कुनकुरी, यतौली तह सीतापुर जिला सरगुजा	पूर्व माध्यमिक

18	सरगुजा	स्वैच्छिक संस्था होलीकोर्स आशा निकुंज विकलांग केन्द्र सरगुजा	पूर्व माध्यमिक
19	कोरिया	स्वैच्छिक संस्था नेत्रहीन व विकलांग प्रशिक्षण संस्था आमाखेरवा, मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया	पूर्व माध्यमिक
20	जगदलपुर	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ विद्यालय	पूर्व माध्यमिक
21	रायगढ़	स्वैच्छिक संस्था नंदा सरकुलेशन संस्थान एवं अंध-मूक बधिर विद्यालय भगवानपुर रायगढ़	पूर्व माध्यमिक
माध्यमिक स्तर के संस्थाएं			
22	धमतरी	शासकीय श्रवण बाधितार्थ विद्यालय	माध्यमिक
23	बिलासपुर	स्वैच्छिक संस्था जेफ एसोसिएशन विताले कालोनी इंदिरा सेतु के पास जिला बिलासपुर	माध्यमिक
उच्चतर माध्यमिक स्तर के संस्थाएं			
24	रायपुर	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ विद्यालय	हायर सेकेंडरी
25	बिलासपुर	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ विद्यालय	हायर सेकेंडरी
26	दुर्ग	स्वैच्छिक संस्था लायस बेरीटेबल ट्रस्ट "प्रयास" श्रवण विकलांग संस्थान जी.ई.रोड सुपेला भिलाई जिला दुर्ग	उच्चतर माध्यमिक
27	कोरवा	स्वैच्छिक संस्था इनरकील एजुकेशन सोसायटी गैलरी नं. 3, इंदिरा स्टेडियम ट्रांसपोर्ट नगर कोरवा	उच्चतर माध्यमिक
आवासीय संस्थाएं			
28	रायपुर	स्वैच्छिक संस्था रायपुर शाखा नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड प्रेरणा हीरापुर रायपुर	छात्रावास व्यवस्था के तहत विभिन्न विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययन
29	रायपुर	स्वैच्छिक संस्था विकलांग बालिका विकास गृह बोल ऑफ मैनेजमेंट फॉर महाराष्ट्र मंडल द्वारा संचालित सयता कॉलोनी रायपुर	छात्रावास व्यवस्था के तहत विभिन्न विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययन
30	दन्तोवाड़ा	स्वैच्छिक संस्था ग्राम मित्र सेवा संस्था, ग्राम रामावाड़ा विकास खंड व जिला दंतोवाड़ा	आवासीय व्यवस्था तथा विभिन्न विद्यालयों में अध्ययन
व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाएं			
31	रायपुर	स्वैच्छिक संस्था सेवा निकेतन अमंगों का पुनर्वास केन्द्र मंदिर हसीद छेरीखेड़ी रायपुर	प्रशिक्षण (आई.टी.आई) स्तर
32	बिलासपुर	आश्रयदत्त कर्मशाला बिलासपुर	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र
33	बिलासपुर	स्वैच्छिक संस्था रावर्ट कानन वाला स्मृति सेवा संस्थान पेन्द्रारोड बिलासपुर	व्यावसायिक प्रशिक्षण